खण्ड-128, अंक-3
बुधवार, 2 पौष, शक संवत् 1875
(23 दिसम्बर, 1953 ई0)

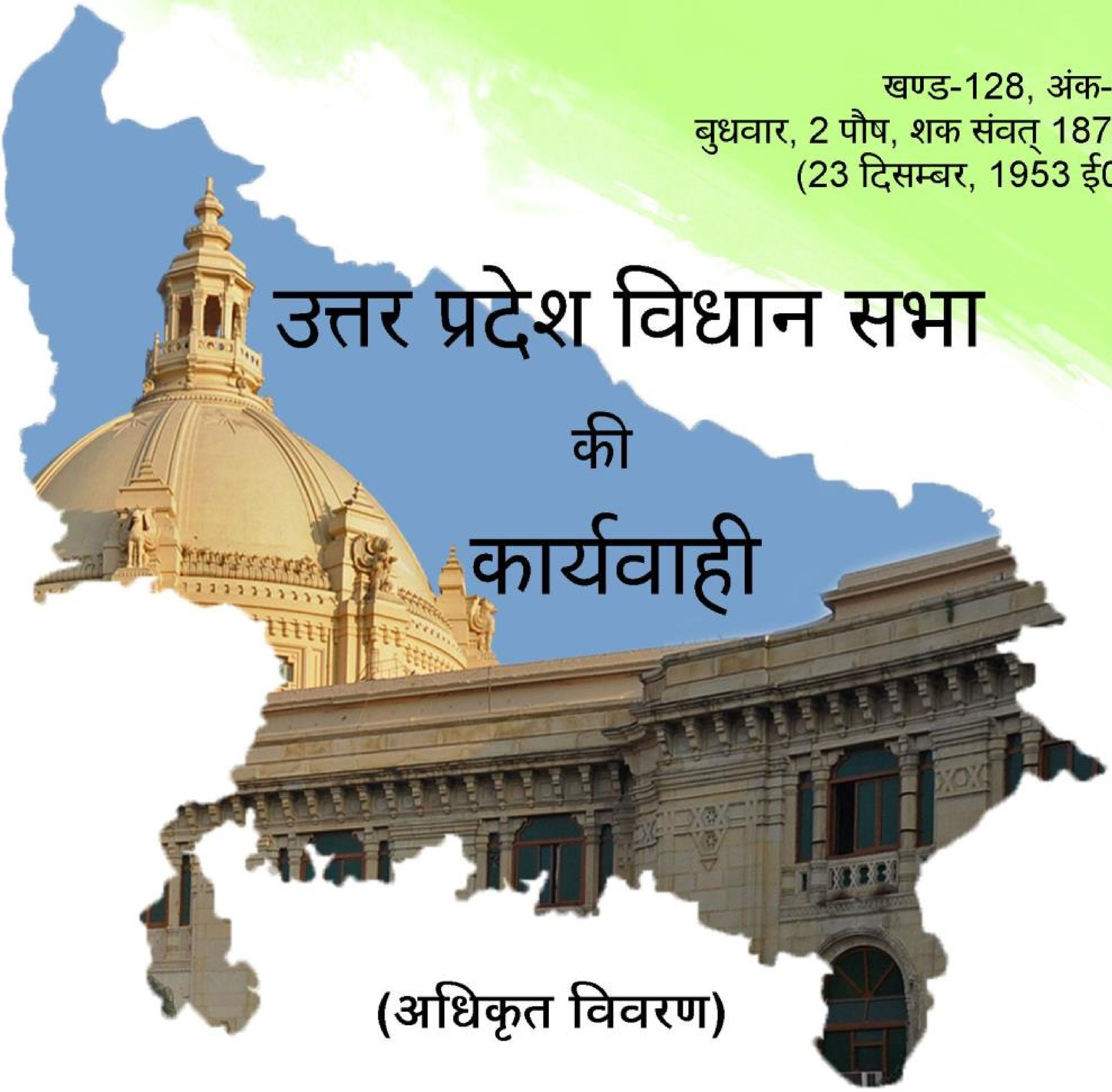

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 128 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:०:—

बुधवार, २३ दिसम्बर, १९५३

—:०:—

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:०:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाँडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाँडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाँडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोर वर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री

बलदेव सिंह, श्री
बलदव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुंवर जी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़रहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम जी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदास, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव क़दम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाँडेय, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाँडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री

श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहाँ मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री,
सुरजूराम, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाँडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

धर्मादा की वसूली के सम्बन्ध में विशेषाधिकारी द्वारा जांच

*१—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—दिनांक १२-१२-५२ के प्रश्न संख्या ३-४ के उत्तरों के सम्बन्ध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने धर्मादा की वसूली के बारे में अब तक कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो उस जांच की क्या रिपोर्ट है और क्या सरकार उस पर कोई कानून बनाने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, धर्मादा की वसूली के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है। उनकी रिपोर्ट की प्राप्ति के उपरान्त सरकार यह निश्चय करेगी कि धर्मादा के नियंत्रण के लिए किसी विधान की आवश्यकता है अथवा नहीं, और यदि है तो उसका क्या रूप होना चाहिये।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस धर्मादे में प्रान्त भर में कितना रुपया इकट्ठा होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब तक रिपोर्ट न आ जाय तब तक मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री सीता राम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि विशेषाधिकारी का शुभ नाम क्या है और वह कब से जांच कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनका नाम है श्री शम्भूनाथ। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और उनको काम करते हुये क़रीब साल भर के ऊपर हो गया है।

श्री गेंदासिंह (ज़िला देवरिया)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब तक ख़त्म हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमें आशा है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्दर हो जायगी। हमने उनको इतनी ही मियाद दी भी है।

श्री नेकराम शर्मा (ज़िला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि धर्मादे का रुपया धर्मार्थ-कार्य में खर्च नहीं होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा कहा जाता है "धर्मस्यसूक्ष्मागतिः"। धर्म किस को कहते हैं यह कहना कठिन है। इसलिये यह कहना मुश्किल है कि वह रुपया किस-किस काम में खर्च होता है।

तारांकित प्रश्न

बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड की ड्रेनेज योजना

*१—**श्री राजाराम शर्मा** (ज़िला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड की ड्रेनेज योजना, जिसके लिये म्युनिसिपल बोर्ड ने अपने हिस्से का मांगा हुआ धन जमा कर दिया है, कब तक प्रारम्भ हो जायगी ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—योजना का कार्य जनवरी, १९५३ से आरम्भ हो गया है।

यू० एन० आई० सी० एफ० की सहायता से लखनऊ तथा आगरा में बच्चों के लिये अस्पताल खोलने का प्रबन्ध

*२—**श्री देवकी नन्दन विभव** (ज़िला आगरा)—क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्डरेन्स इमरजेंसी फंड से मिलने वाली सहायता से क्या लखनऊ और आगरा में बच्चों के लिये कुछ विशेष शय्याओं का प्रबन्ध होने वाला था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—यू० एन० आई० सी० एफ़० की सहायता से सरकार ने एक त्रिवर्षीय योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त बच्चों के लिये विशेष रूप से लखनऊ तथा आगरा में अस्पताल खोलने का निश्चय किया गया है। इस सम्बन्ध में यू० एन० आई० सी० एफ़० की सहायता, जो शीघ्र मिलने वाली है, आने पर सरकार इस ओर प्रयास करेगी।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इसके लिये यू० एन० आई० सी० एफ० से कितना रुपया प्राप्त हुआ है ?

श्री बनारसी दास—अभी प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने १६ लाख रुपया देने का वचन दिया है।

श्री देवकी नन्दन विभव—इसमें से कितना रुपया आगरा में खर्च किया जायगा और कितना रुपया लखनऊ में खर्च किया जायगा ?

श्री बनारसी दास—१६ लाख रुपया इस शर्त पर दिया गया है कि प्रान्तीय सरकार को २० लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा और ३ साल के बाद जो अस्पताल और मटर्निटी सेंटर्स होंगे उन पर क़रीब-क़रीब १०-११ लाख का रेकरिंग खर्च होगा। वह भी प्रान्तीय सरकार को देना होगा। इसी शर्त पर वह १६ लाख रुपया दिया जायगा। यह कहना कठिन है कि आगरा में कितना खर्च होगा और लखनऊ में कितना खर्च होगा। इसमें बच्चों के अस्पताल और मेटर्निटी सेंटर्स सभी का खर्चा शामिल है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सहायता कब तक मिल ज ने की आशा है और यह कार्य कब प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री बनारसी दास—सहायता, आशा है, जल्दी ही मिलेगी। क्योंकि बच्चों के अस्पताल कायम करने के लिये रुपये की जरूरत थी इसलिये बिल्डिंग नहीं बन सकी। अब यह व्यवस्था की गई है कि मेडिकल कालेजेज में ५०-५० बेड्स हों। इस तरह से हम वहां से रुपया मंगाने में असमर्थ हो सकेंगे और आशा है कि वह सहायता शीघ्र ही प्राप्त हो सकेगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—बच्चों के अस्पतालों में रुपया लखनऊ और आगरे में ही लगेगा या प्रान्त के और स्थानों में भी?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन से जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक़ यह अस्पताल टीचिंग इन्सटीट्यूशन्स के साथ ही बनाये जा सकते हैं। इसलिये आगरा और लखनऊ में ही उनके बनाने की योजना है।

ग्राम सभा बल्ला (ज़िला प्रतापगढ़) के सदस्यों का त्यागपत्र

*३—**श्री राम स्वरूप** (ज़िला मिर्ज़ापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ज़िला प्रतापगढ़ में ग्राम सभा बल्ला के सभी सदस्यों ने सभापति सहित ३ फरवरी, १९५३ ई० को लिखित त्याग-पत्र डाक द्वारा ज़िलाधीश तथा पंचायत अफसर के पास भेज दिया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां। उसके दो कारण बताये जाते हैं। पहिला, गांव सभा बल्ला के सदस्यों के साथ तहसीलदार का कथित दुर्व्यवहार।

दूसरा, गांव सभा पींग के सभापति श्री भगवान बख्श सिंह द्वारा बल्ला में अनधिकृत रूप से घर बनवाना।

बाहर से मंगाये गये अन्न के मूल्य में कमी करने से हानि और लाभ

*४—**श्री शिवराज सिंह यादव** (ज़िला बदायूं)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाहर से आये हुये अन्न के वितरण में और उसके दाम गिरा कर बेचे जाने से कितना नुकसान रुपयों में U. P. State exchequer को होता है? क्या सरकार यह ब्यौरा पिछले पांच सालों का अलग-अलग देने की कृपा करेगी?

श्री बनारसी दास—बाहर से मंगाये गये अन्न और उसके मूल्य में कमी कर के वितरण करन में सरकार को जो हानि होती है उसका अलग लेखा नहीं रक्खा जाता, इसलिये पिछले पांच वर्षों की हानि का ब्यौरा देना संभव नहीं।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार को इस साल भी इस तरह की हानि होने की सम्भावना है?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—हां, अवश्य सम्भावना है, क्योंकि गल्ला हमारे पास अधिक दामों का खरीदा हुआ है जिससे कम क़ीमत पर बेचना पड़ेगा।

श्री शिवराज सिंह यादव—इस हानि की अनुमानतः रक़म क्या होगी?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—इस हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि विभिन्न समयों पर विभिन्न भावों पर हमें ग़ल्ला बेचना पड़ता है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री अगर ५ वर्ष का घाटा नहीं बता सकते तो १ या २ वर्ष का अनुमान भी बता सकते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न में ५ साल का नहीं पूछा गया था। अगर उसके आंकड़े पूछे जावेंगे तो अवश्य सदन को दे दिये जावेंगे।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सरकार के पास कितना ग़ल्ला है और डिकन्ट्रोल हो जाने पर वह उसे किस भाव पर बेचेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भाव तो समय-समय पर बदलता रहा है और अब भी केन्द्रीय सरकार से इस विषय में बातें हो रही हैं। क्योंकि हमारे प्रान्त में केन्द्रीय सरकार का भी ग़ल्ला भरा हुआ है और केंद्रीय सरकार समय समय पर अपने निर्ख को बदला करती है, तो हमको भी अपना निर्ख बदलना पड़ता है। आयन्दा हम किस दाम पर बचगे, इसकी बातचीत चल रही है। वैसे अब इम्पोर्टेड ह्वीट १७रुपये ११ आने मन पर बेंचा जा रहा है

जौनपुर के दुकानदारों का खराब ग़ल्ला खरीदने से इन्कार

*५—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में ग़ल्ला खराब होने के कारण वहां के दुकानदारों ने ग़ल्ला लेने से इनकार कर दिया है ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—जौनपुर नगर के किसी भी राशन दुकानदार ने सरकारी गोदाम से ग़ल्ला खराब होने के कारण लेने से इन्कार नहीं किया।

*६—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने खराब बोरे गल्ले के दुकानदारों को दिये गये और कितने स्टाक में बाक़ी हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जौनपुर में किसी भी राशन के दुकानदार को खराब अन्न का कोई भी बोरा नहीं दिया गया। किन्तु ईशू गोदाम से गेहूं के कुछ बोरे अनजान में दिये गये जिसमें घुने अन्न की मात्रा थोड़ी अधिक अवश्य पाई गई परन्तु यह अन्न अच्छे औसत (एफ० ए० क्यू०) दर्जे का था। गेहू के ५३० बोरे जौनपुर के स्टोरेज गोदाम में ऐसे ह जिनम घुन की मात्रा है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बोरे अनजान में दिये गये थे उनके लिये दुकानदारों ने लिखा-पढ़ी की थी और गल्ला लेने से इंकार कर दिया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—दुकानदारों को जो घुना गल्ला मिला था तो उसके लिए उन्होंने अवश्य लिखा-पढ़ी की होगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राशनिंग विभाग से जो गल्ला बाढ़ पीड़ितों को दिया गया था उसके खराब होने की शिकायत कर्मचारियों के पास भेजी गयी थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोदामों में गल्ला को घुन से बचाने के लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, की गयी है और समय-समय पर दवाई छिड़की जाती है, जिससे घुन न लगे।

*७-८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[११ जनवरी, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या २७-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पंचायतों के अन्तर्गत टैक्स वसूल करने के लिए अमीनों की नियुक्ति

*९—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायतों में टैक्स वसूल करने के लिये प्रदेश में अमीन मुकर्रर किये जा रहे हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—जिलाधीशों को यह आदेश दिये गये हैं कि यदि गांव सभायें कर वसूली में कठिनाई प्रतीत करें और जिलाधीश कुर्क अमीन रखने की आवश्यकता समझें तो अमीन रखे जावें ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि अमीनों को तनख्वाह दी जायगी या किसी किस्म का कमीशन ?

श्री मोहन लाल गौतम—कमीशन ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या मन्त्री महोदय बतलान की कृपा करेंगे कि जो कर वसूल किया जायगा अमीनों द्वारा वह खजाने में जमा किया जायगा या गांव सभा के प्रधानों के पास रहेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—खजाने में ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रुपया प्रधानों को निकालकर खर्च करने का अधिकार होगा या पंचायतों के किसी अधिकारी को ?

श्री मोहन लाल गौतम—पंचायतों के प्रस्ताव के अनुसार सभापतियों को यह रुपया निकालने का अधिकार है और पंचायत राज के मुहकमें के मुलाजिमों को कोई अधिकार नहीं है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आज तक इस किस्म के जो टैक्स पंचायतों ने लगाये थे उन्हें कैसे वसूल किया जाता था ?

श्री मोहन लाल गौतम—पंचायतें स्वयं वसूल करती थीं ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—पंचायतों की स्वयं वसूली से मैं समझा नहीं । पंचायत के कौन से अफसर इन टैक्सों को गांव वालों से वसूल किया करते थे ?

श्री मोहन लाल गौतम—पंचायतों के सभापति, उप-सभापति और मंत्री की मदद से ।

श्री गेंदा सिंह—जिस आदेश का जिक्र माननीय स्वशासन मंत्री ने किया, उस आदेश को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री मोहन लाल गौतम—पंचायतें अपना कर काफी तादाद में वसूल नहीं सकी थीं और उनकी तरफ से यह मांग थी कि उनकी वसूली कराने में मदद दी जाय ।

बस्ती जिले में पंचायत मंत्रियों के वेतन वितरण में विलम्ब

*१०—श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला के पंचायत मंत्रियों की तनख्वाह मार्च महीने से अब तक नहीं मिल सकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न १० श्री शिवनारायण ने पूछा ।

श्री मोहन लाल गौतम---बस्ती में पंचायत मंत्रियों को वेतन वितरित करने में विलम्ब दो मुख्य कारणों से हुआ--(१) कोषाध्यक्ष ने बिना महांकिक की अधिकृति (Authority) के पंचायत मंत्रियों के वेतन के अनुदान के रुपयों को खजाने से देने में आपत्ति की। इसमें कुछ देर हुयी। (२) पंचायत मंत्रियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर विचार करने में कुछ समय लगा।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जनवरी, १९५४ तक का वेतन उनको दे दिया जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम---उनको वेतन उसी वक्त से दिया जा रहा है और अब बाकायदा दिया जा रहा है।

मिलों और म्युनिसिपैलिटियों के गन्दे पानी के उपयोग की योजना

*११---श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि प्रदेश की मिलों और म्युनिसिपैलिटियों के गन्दे पानी से नदियों का पानी खराब होने के कारण जो जनसाधारण का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उसे रोकने की कोई योजना सरकार बना रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---शासन के सामने प्रदेश के सभी नगरों के लिये इस प्रकार की योजना का कोई प्रश्न अभी नहीं है। किन्तु स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग ने कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ के नगरों के लिये ऐसी विस्तृत योजनायें बनाई हैं जिनके द्वारा गन्दे पानी को नदियों में न डालकर दूसरी ओर खेतों में डाला जाय, और उसका उपयोग खाद के लिये किया जाये। आगरा के सम्बन्ध में जो इस प्रकार की योजना बनी है वह कार्यान्वित भी हो रही है। इस योजना के पूरे होने पर जो गन्दा पानी यमुना नदी में गिरता था उसका गिरना रुक जायगा और इस गन्दे पानी का उपयोग खेतों की उपज बढ़ाने के लिये किया जा सकेगा। वस्तुतः इस सम्बन्ध में कुछ तो होने लगा है।

इसी प्रकार की एक सीमित योजना, जिसके द्वारा नगर के गन्दे पानी का उपयोग खाद के लिये किया जा सके, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ में भी कार्यान्वित हो रही है। किन्तु इन योजनाओं के द्वारा अभी तक समूचे गन्दे पानी को पास की नदियों से दूर डालने का प्रबंध नहीं है। इस काम को पूरा करने के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, जो इस समय उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसी धन के अभाव में, प्रदेश के अन्य नगरों में भी जहां के लिये इस प्रकार की योजनायें बनाई जा चुकी हैं उनको इस समय कार्यान्वित करना सम्भव नहीं जान पड़ता, और जहां के लिये यह अभी तक नहीं बनी है उनको बनवाना फलप्रद नहीं होगा।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी नगरपालिका सभायें भी इस योजना को काम में ला सकती हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---जैसा कि मैंने पहले अभी उत्तर में कहा है कि उसमें बहुत धन की आवश्यकता है और वह उपलब्ध नहीं है इसलिये सरकार के लिये यह मुनासिब नहीं है कि म्युनिसिपैलिटियों के लिये इस प्रकार की योजना बनाये। अगर कोई म्युनिसिपैलिलिटी अपने धन से इस प्रकार का कोई आयोजन करे तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी बल्कि वह उसका स्वागत करेगी।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरे का ड्रेनेज कब तक खत्म हो जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम---अभी इसमें कोई समय नियत नहीं किया जा सका है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ वर्ष पूर्व मिलों के गंदे पानी के सम्बन्ध में एक कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित होगी ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिये सूचना चाहिये ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा के प्रश्न के उत्तर में मैं कुछ निवेदन कर दूं । जिस कमेटी का जिक्र किया गया है उसकी रिपोर्ट आगयी है और वह डायरेक्टर आफ हेल्थ सर्विसेज के पास भेजी गयी है । उनकी रिपोर्ट आने के बाद यह देखा जायगा कि उनमें से कौन कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित की जा सकती हैं या किन बातों के लिये क़ानून की आवश्यकता होगी । जांच के बाद गवर्नमेंट इस प्रश्न पर सदन के समक्ष उपयुक्त सुझाव रख सकेगी ।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या मिल मालिकों के पास धन का अभाव है कि वे जनता का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---उनके पास धन का अभाव है या नहीं, यह तो व्यक्तिगत मिल मालिकों का प्रश्न है लेकिन इस तरह का कोई अधिकार हमारे पास नहीं है, जिसके द्वारा हम उनको इस बात पर विवश कर सकें कि वे गन्दे पानी को नदियों में न डाल कर और जगह ले जायं ।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मिल मालिकों को जनता का स्वास्थ्य खराब करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष---यह आप क़ानूनी राय पूछ रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता । आप स्वयं समझ सकते हैं ।

श्री व्रजविहारी मिश्र---क्या काशी में भी गंगा के पानी में गंदे पानी को न डालने के लिए स्कीम बनायी गई है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हाँ ।

श्री नेकराम शर्मा---गंदा पानी जो म्युनिसिपैलिटियों से सिंचाई के लिये दिया जाता है, जिन खेतों में उससे सिंचाई होती है, उनको म्युनिसिपैलिटी ले लेती है ?

श्री अध्यक्ष---यह इससे संबंधित प्रश्न नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा---यह उसके जवाब से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष---जवाब से हजारों प्रश्न संबंधित हो सकते हैं, लेकिन इसका सम्बन्ध सवाल से नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी जानकारी में यह बात है कि नदियों में गंदा पानी डालकर लोगों का स्वास्थ्य खराब किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस का जवाब इस समय नहीं दिया जा सकता । संभव है जो गेंदा सिंह जी कहते हैं वह ठीक हो ।

गोरखपुर के पंचायत अफसर के दफ्तर का हिसाब-किताब

*१२---श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---क्या स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गोरखपुर के पंचायत अफ़सर के दफ्तर का हिसाब-किताब चार वर्ष से नहीं जाँचा गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले दो आडिट कब-कब हुए थे ?

श्री मोहन लाल गौतम—सन् १९५१-५२ में आडिट पार्टी द्वारा जाँच हुई थी और सन् ५२-५३ में सहायक जिला पंचायत अधिकारी और इन्सपेक्टर गवर्नमेंट आफिसेज द्वारा जाँच की गयी।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—आडिट पार्टी द्वारा जाँच किये जाने के क्या माने हैं ? मैंने समझा नहीं।

श्री मोहन लाल गौतम—यहाँ से आडिट करने के लिए कुछ लोग गये, उन्होंने जाँच की।

गोरखपुर जिले में पंचायत इंस्पेक्टरों तथा मंत्रियों के पास ग्राम-सभा का रुपया

*१३—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या यह सत्य है कि गोरखपुर जिले के कुछ पंचायत इंस्पेक्टरों के यहाँ ग्राम सभा का रुपया तथा मन्त्रियों का रुपया वर्षों से जमा पड़ा है और वह अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हाँ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय स्वशासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वक्त पंचायत मन्त्रियों का कितना रुपया जमा है, जो सरकारी खजाने में जमा नहीं किया जा सका है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस वक्त तो सब रुपया जमा हो चुका है।

*१४—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या स्वशासन मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि गत वर्ष गोरखपुर जिले के पंचायत इंस्पेक्टरों को अपना विभाग छोड़ कर अन्य कितने विभागों में काम करना पड़ा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—पंचायत निरीक्षकों को विकास संबंधी सभी कार्यों को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करना पड़ता है। गत वर्ष नियोजन विभाग के अन्तर्गत निरीक्षकों ने Seed Saturation तथा Anti Malaria scheme में भी काम किया था तथा अकाल में वे Test Work सम्बन्धी कार्य भी करते रहे।

वनस्पति घी की पहिचान के लिए रंग मिलाने पर विचार

*१५—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वनस्पति घी की पहिचान के लिये उसमें रंग मिलाने के प्रश्न पर वह अभी तक किसी निश्चित परिणाम पर पहुंची है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी को इसका पता है कि वनस्पति घी की मिलावट से जन-साधारण का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है ?

श्री बनारसी दास—जी हाँ, इसकी प्रायः शिकायत है कि वनस्पति आयल शुद्ध घी के साथ मिलाया जाता है।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या जन-साधारण के स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस ने अहमदाबाद में एक ऐसा प्रस्ताव पास किया था कि इसमें रंग मिला दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—मैं यहाँ, कांग्रेस के बारे में प्रश्न करने की इजाजत नहीं देता।

श्री बद्री नारायण मिश्र—मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री बनारसी दास—इस सम्बन्ध में सन् १९५० में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस सदन के अन्दर घोषणा की थी कि यदि इस प्रकार का कोई रंग निकाला जा सकता हो जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो और वह स्थायी हो और इसके अतिरिक्त वह रंग इस प्रकार का हो कि जिसको दूर न किया जा सके, तो उसको दस हजार रुपया इनाम दिया जायगा। बहुत से लोगों ने अपने अनुभव भी भेजे लेकिन कोई भी ऐसा अनुभव नहीं साबित हुआ जिसके आधार पर वेजिटेबिल आयल के अन्दर वह रंग मिलाया जा सके और वह हानिकारक न हो। अभी परीक्षण जारी है और यहाँ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि कोई ऐसा रंग मिल सके जिसे वेजिटेबिल आयल के अन्दर शामिल किया जा सके लेकिन अभी तक वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाये हैं।

गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों की मरम्मत के लिए धन

*१६—श्री इस्तफ़ा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार मेहरबानी कर के बतायेगी कि उसने गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी को सन् १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ में कितनी रक़में बतौर ग्रांट के सड़क बनाने के वास्ते दी थीं और उसमें से गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी ने किन-किन सड़कों पर और कितना-कितना खर्च किया है या करने जा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—सन् १९५१–५२ में गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड को ३०,००० रुपया सड़कों की मरम्मत के लिए दिये गये। उसमें से बोर्ड ने अलीनगर चौराहा से नियामतचक चौराहा तक, सड़क पर २३,०८८–१५–० व्यय किया, और रेती चौराहा से नालबन्द टोला चौराहा तक ७,६५३–१–० व्यय किया है।

वित्तीय वर्ष १९५२–५३ में कोई अनुदान नहीं दिया गया और सन् १९५३–५४ के अनुदान वितरण के प्रश्न पर अभी विचार करना है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ३०हजार रुपया गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड को दिया गया था वह १५ मार्च, सन् १९५२ ई० के एफ० जी० ओ० के मुताबिक़ काम करने के लिये दिया गया था ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह रुपया जो दिया जाता है, सड़कों पर खर्च करने के लिये दिया जाता है।

गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी को ड्रेनेज बनाने के लिए धन की आवश्यकता

*१७—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि उसने गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी को Drainage बनाने के लिए कितनी रक़म बतौर ग्रांट या लोन देना स्वीकार किया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—अभी कुछ नहीं स्वीकार किया गया।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि अब, जब कि गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड में वाटरवर्क्स की स्कीम क़रीब-क़रीब मुकम्मल हो चुकी है तो उसको ड्रेनेज के लिये काफी रुपया देने की मेहरबानी करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम—म्युनिसिपल बोर्ड गोरखपुर के ऐडमिनिस्ट्रेटर ने एक फोरकास्ट तैयार करने के लिये गवर्नमेंट को लिखा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको तैयार कर रहा है। उसके बाद जब म्युनिसिपल बोर्ड चीफ इंजीनियर की फीस जमा कर देगा तो उसकी स्कीम बनेगी और उसके तैयार होने पर कितनी ग्रांट देना होगा यह बाद में तय किया जायगा।

पंचायत निरीक्षकों तथा सहायक पंचायत अफसरों के सम्बन्ध में पूंछ-तांछ

*१८—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कितने पंचायत निरीक्षक हैं और उनमें से कितने स्थायी किये जा चुके हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—राज्य में पंचायत निरीक्षकों के कुल ४३९ पद हैं जिनमें ११० पद स्थायी घोषित किये गये हैं।

*१९—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कितने सहायक पंचायत अफसर हैं और उनमें से कितने स्थायी किये जा चुके हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—राज्य में सहायक पंचायत अफसरों के कुल ५१ पद हैं और वे सभी अस्थायी ही हैं।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त पद कब कायम किये गये थे और शेष ३२९ पद अभी तक स्थायी क्यों नहीं किये गये तथा वह कब स्थायी किये जायेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम—जब पंचायत राज का मुहकमा चार साल पहले कायम हुआ था उस वक्त ये पद अस्थायी रूप से कायम हुये थे और २५ प्रतिशत स्थायी किये गये हैं। क्योंकि फाइनेंशल डिफीकल्टीज हैं तो धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों फाइनेंशल डिफीकल्टीज दूर होती जायेंगी इन पदों को स्थायी करने का इरादा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बतलायेगी कि इन इन्स्पेक्टरों में कितनी जगहें इस वक्त खाली हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—५७ पदों पर तो मंत्री और लिपिक स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं और ९ पद रिक्त हैं और इसके बाद भी कुछ और पद खाली हुये हैं।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार असिस्टेंट पंचायत आफिसर्स को कब तक परमानेंट घोषित करने जा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—अभी तक बजट में इसका प्राविजन नहीं हुआ है,

लाहौरी नमक का राज्य में आयात

*२०—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान का बंटवारा होने के बाद लाहौरी नमक का यहां आयात बन्द हो गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त प्रकार के नमक का आयात फिर से होने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां। बाहरी देशों के आयात और निर्यात की नीति केन्द्रीय सरकार निश्चित करती है और उस सरकार ने सूचना दी है कि लाहौरी नमक का आयात खोलने का उनका विचार नहीं है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार सार्वजनिक उपयोगिता का विचार करते हुये केन्द्रीय सरकार से उसके पाकिस्तान से आयात करने के लिये पुनः अनुरोध करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। देश में अब नमक काफी मात्रा में पैदा होने लगा है और देश नमक के सिलसिले में सेल्फ सफिशेन्ट हो गया है। इसलिये यह सरकार केन्द्रीय सरकार से इत्तफाक करती है कि हमें अपने देश में बना हुआ नमक ही अपने देश में इस्तेमाल करना चाहिये।

नगरपालिका, लखनऊ के कार्यालय में हरिजन क्लर्क

*२१—श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, लखनऊ में आजकल कुल कितने क्लर्क काम कर रहे हैं और उनमें कुल कितने हरिजन हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—लखनऊ नगरपालिका में कुल १६३ क्लर्क हैं जिनमें ८ हरिजन हैं।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बतलायेगी कि ये जो आठ क्लर्क हैं ये मुस्तकिल हैं?

श्री मोहन लाल गौतम—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री शिवनारायण—क्या यह सही है कि दो क्लर्कों ने अपनी दुखभरी कहानी माननीय मंत्री महोदय के पास भेजी थी ?

श्री मोहन लाल गौतम—भेजी होगी मुझे इस समय याद नहीं है ?

राज्य में कपड़े पर नियंत्रण

*२२—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कपड़े पर किसी प्रकार का नियंत्रण है ?

श्री बनारसी दास—राज्य में कपड़े के व्यापारियों को लाइसेंस रखना अनिवार्य है और व्यापारियों द्वारा राज्य से कपड़े के निर्यात पर नियंत्रण है। इसके सिवाय कपड़े पर कोई नियंत्रण नहीं है।

*२३—श्री गेंदा सिंह—यदि नहीं, तो आयात किये हुये कपड़े की बिल्टियों पर जिला सप्लाई अफसर का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है ?

श्री बनारसी दास—आयात किये हुये कपड़े पर जिला पूर्ति अधिकारी के हस्ताक्षर इसलिये अनिवार्य हैं कि इस प्रथा से सरकार को जिलों में कपड़े की पूर्ति स्थिति की सूचना मिलती रहे और कपड़े के व्यापारी गुप्त रूप से कपड़ा आयात कर सेल्स टैक्स बचा न लें।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किन किन प्रकार के कपड़ों पर सेल्स टैक्स है ?

श्री बनारसी दास—मिल के बने हुये सब कपड़ों पर सेल्स टैक्स है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि प्रान्त के मिल और दुकानों पर बहुत कपड़ा पड़ा हुआ है और इस वक्त नियंत्रण की वजह से कुछ दिक्कत बिक्री में पड़ती है ?

श्री बनारसी दास—यह सही है कि कपड़ा पड़ा हुआ है लेकिन जैसा कि उत्तर दिया जा चुका है कपड़े की बिक्री पर, लाने या ले जाने पर नियंत्रण नहीं है। इसलिये उसका कोई प्रभाव नहीं है।

*२४—श्री गेंदा सिंह—क्या उत्तर प्रदेश में कपड़े के व्यापारियों को लाइसेंस रखना अनिवार्य है ? यदि हां, तो यह प्रथा किस उद्देश्य से रखी गयी है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह प्रथा इसलिये आवश्यक है कि कपड़े की स्थिति अभी स्थिर नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने कपड़े के मूल्य तथा वितरण से नियंत्रण हटा लिया है परन्तु अपनी टेक्सट इल नियंत्रण आज्ञायें अभी नहीं हटाईं। इस संबंध में राज्य सरकार की नीति केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुकूल है।

*२५—श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा)—[४ जनवरी, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६—श्री राजाराम शर्मा—[हटा दिया गया।]

*२७-२८—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—[६ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

पंजाब और देहली प्रान्त की सीमाओं पर जमुना नदी के घाटों की आय

*२९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जमुना नदी के उन घाटों की आय, जो पंजाब और देहली प्रान्त की सीमाओं पर स्थित हैं, उत्तर प्रदेश के सीमा वाले जिलों को नहीं होती ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

*३०—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार इस संबंध में कोई उचित कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में वार्तालाप करने के लिये तैयार है ?

श्री मोहन लाल गौतम—बातचीत हो रही है और जो घाट सीमा पर हैं उनकी आमदनी का एक-चौथाई हिस्सा इस सरकार को मिलता है।

टेहरी जिले के पट्टी फतेपर्वत पंचगाई इलाके में चिकित्सालय की कमी

*३१—श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि टेहरी जिले के पट्टी फतेपर्वत पंचगाई इलाके में कोई अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेगी जिसमें Post Martem Examination की भी सुविधा हो ?

श्री बनारसी दास—जी हां। इसपर विचार किया जा रहा है।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल के खुलने का कब तक इन्तजाम किया जा सकता है ?

श्री बनारसी दास—अभी उस क्षेत्र के अन्दर एक डिस्पेंसरी पट्टी बागान में कायम की जा रही है और यहां पर कोई डिस्पेंसरी कायम होगी यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

नोट—तारांकित प्रश्न ३१—श्री सत्य सिंह राणा ने पूछा।

हिण्डन वैरियर, गाजियाबाद से चने का निर्यात

*३२--श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई, जून, जुलाई सन् १९५३ ई० में हिण्डन वैरियर (गाजियाबाद) से कितना चना या चने की अन्य वस्तुयें बाहर भेजी गईं और उसके लिये परमिट किस-किस को मिले?

श्री बलदेव सिंह आर्य--मई माह में ११ व्यक्तियों द्वारा १८ मन, जून माह में ३५ व्यक्तियों द्वारा ६५ मन, जुलाई माह में ३३ व्यक्तियों द्वारा दो ट्रक और ७५६ मन।

एक सूची जिसमें चने या चने के पदार्थों को ले जाने वाले के नाम, राशि इत्यादि दी है संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८५-२८७ पर)

श्री तेजा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रकाश दाल मिल, आगरा को जो परमिट दिया गया था उसके सम्बंध में उस मिल ने यह माल आगरा से खरीद कर देहली पहुंचाया है या गाजियाबाद से खरीद कर पहुंचाया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--इस की सूचना तो सरकार को नहीं है कि आगरा से दाल या उससे बनी हुई चीजें मंगाई गईं।

टाउन एरिया लार, जिला देवरिया की सड़क की मरम्मत

*३३--श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया लार, जिला देवरिया की सड़क की मरम्मत के निमित्त तारीख ३० मार्च, १९५३ को पच्चीस सौ रुपये दिये गये हैं?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां।

*३४--श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी--अगर हां, तो क्या सड़क की मरम्मत का कार्य इस बरसात में शुरू हो जायेगा?

श्री मोहन लाल गौतम--नियमानुसार सड़क का साइटप्लान और क्रास सेक्शन स्वीकृति के लिये स्टेट हेल्थ बोर्ड को भेजे गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

*३५--श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)--[६ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा की 'नया आगरा' नामक गृह योजना

*३६--श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार को मालूम है कि आगरा की 'नया आगरा' नामक गृह योजना का कार्य कोयला आदि के न मिलने के कारण बन्द पड़ा है? क्या सरकार इस योजना को उचित प्राथमिकता देने पर विचार करेगी?

श्री मोहन लाल गौतम--इस योजना का कार्य बन्द नहीं है। गृह निर्माण संबंधी सामग्री समय-समय पर बराबर दी गयी है और दी जा रही है। अतएव प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कोई कोयला या सीमेंट दिया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—सन् ४७ से सन् ५३ तक २० वेगन कोयला दिया गया है और इसी प्रकार २,१९३ बोरा सीमेंट दिया गया है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन ३ सालों में कितना कोयला और सीमेंट इस योजना के लिये दिया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—मैंने ६ साल के आंकड़े दे दिये हैं।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कितने मकान वहां बनने का कार्यक्रम है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

टाउन एरिया छिबरामऊ, जिला फ़र्रुखाबाद में पीने के पानी का कष्ट

*३७—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह टाउन एरिया छिबरामऊ (जिला फर्रुखाबाद) में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ट्यूबवेल से पीने का पानी सप्लाई (Supply) करने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस योजना को वह कब तक कार्यरूप में परिणत करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*३८—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त योजना में अनुमानित व्यय क्या होगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह प्रश्न नहीं उठता।

सीमेण्ट से कण्ट्रोल हटाने का विचार

*३९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार सीमेंट से कंट्रोल हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसी दास—सीमेंट का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होता है। संप्रति इस नियंत्रण के हटाने का विचार नहीं है।

जिला प्रतापगढ़ की जेठवारा-लालगोपालगंज सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*४०—श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला प्रतापगढ़ की जेठवारा और लालगोपालगंज को मिलाने वाली सड़क की दशा अच्छी नहीं है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

*४१—श्री राम नरेश शुक्ल—क्या सरकार इसे पक्की बनवाने की सोच रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री राम नरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पिछले बाढ़ के दिनों में इस सड़क के न होने से बाढ़-पीड़ितों को सहायता नहीं पहुंचायी जा सकी ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसकी मुझे सूचना चाहिये।

श्री राम नरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस परगने में यानी बिहार के परगने में और कोई पक्की सड़क नहीं है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सूचना के लिये धन्यवाद।

पंचायती अदालत धौरहरा का निरीक्षण

*४२---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि २९ सितम्बर को अदालत पंचायत धौरहरा का निरीक्षण सहायक पंचायत आफिसर द्वारा किया गया ? यदि हां, तो उसका सार क्या है ?

श्री मोहन लाल गौतम---सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने पंचायती अदालत धौरहरा का निरीक्षण २९ सितम्बर को नहीं किया, वरन् २६ सितम्बर को किया। इस निरीक्षण का सार मुख्यतः निम्नलिखित है :---

(१) इस अदालत में बेंचों का निर्माण नियमानुसार नहीं हुआ है। (२) मुकदमों के निर्णय में विलम्ब किया गया।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत अधिकारी ने अपने निरीक्षण में जब अदालत की बेंचों का निर्माण नियमानुसार नहीं पाया तो क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहन लाल गौतम---उन्होंने इसकी रिपोर्ट की।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसका सारांश मैं दे चुका हूं।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मुकदमों में विलम्ब हुआ है उसके लिए पंचायत अधिकारी ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस समय सारे सूबे में एक सप्ताह मनाया गया और प्रयत्न किया गया कि जितने मुकदमे पड़े हुए हैं, उन सबका फैसला कर दिया जाय।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अदालती पंचायत के सम्बन्ध में कभी सर्किल इन्सपेक्टर ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी थी ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसकी सूचना चाहिए।

श्री राम नरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि वह इस पंचायती अदालत को तोड़ने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रकार का ऐक्ट में कोई अधिकार नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)—क्या आनरेबिल मिनिस्टर फरमायेंगे कि उन्होंने कोई ऐसी हिदायत जारी की है पंचायतों के नाम कि वह हस्तुलमकदूर मुकदमों का कानून के मुताबिक फैसला करें?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

बस्ती जिले में उस्का बाजार—लोटन थाना सड़क पर पुलों की आवश्यकता

*४३—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले के उस्का बाजार से लोटन थाना को जाने वाली सड़क पर जो दो नदियों (कूड़ा-जमुआर) हैं उन पर पुल न होने के कारण जनता को तहसील तक वा जिला तक पहुंचने में अत्यन्त असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों नदियों पर पुल बनाने का विचार कर रही है।

श्री मोहन लाल गौतम—यह सड़क जिला बोर्ड की है। यद्यपि पुल न होने से जनता को कुछ असुविधा अवश्य होती है, परन्तु इस पर आवागमन अधिक न होने तथा जिला बोर्ड के पास धनाभाव के कारण इन नदियों पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

बांसडीह-बलिया सड़क को बनवाने की आवश्यकता

*४४—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बलिया ने बांसडीह-बलिया सड़क के बनवाने के लिये सरकार से अनुदान की प्रार्थना की है?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं।

*४५—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त सड़क के लिए उचित अनुदान देने की कृपा करेगी?

श्री मोहन लाल गौतम—प्रश्न ४४ का उत्तर नकारात्मक होने के कारण यह प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

कांधला, जिला मुजफ्फरनगर नोटी फाइड एरिया का पट्टे पर जमीन उठाना

१—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कांधला (मुजफ्फरनगर) नोटीफाइड एरिया की जमीन को बेचने के लिए सरकार की आज्ञा ली गई थी?

श्री मोहन लाल गौतम—वास्तव में कांधला नोटीफाइड एरिया ने जमीन को केवल पट्टे पर उठाया है और इसके लिये उसने कमिश्नर महोदय की आज्ञा प्राप्त कर ली थी।

फतेहपुर म्युनिसिपल बोर्ड को वाटर वर्क्स बनाने के लिए धन

२—श्री अनन्त स्वरूप सिंह—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कितना रुपया फतेहपुर म्यूनिसिपल बोर्ड को वाटरवर्क्स बनवाने के लिए दिया है?

श्री मोहन लाल गौतम—अभी तक केवल ५०,००० रुपया दिया गया है।

प्रस्थापित पाक-अमेरिकी सैनिक सन्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री झारखंडे राय जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है और वह यह चाहते हैं कि पाक-अमेरिकी सैनिक संधि से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर सदन का मत व्यक्त होना चाहिए। चूंकि यह प्रश्न इस स्टेट की विधान सभा से संबंधित नहीं है, न उसको इस विषय पर मत प्रकट करने का अधिकार है, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---विशेषाधिकार समिति का निर्माण इस वर्ष के लिए मुझे करना था। और कुछ माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में बातचीत करना था, इसलिए देर लगी। अब मैं इन निम्नलिखित सदस्यों को इस कमेटी का सदस्य घोषित करता हूं---

१---श्री हरगोविन्द पन्त, उपाध्यक्ष	..	सभापति
२---श्री चरण सिंह ..	..	सदस्य
३---श्री फूल सिंह ..	..	,,
४---आचार्य जुगल किशोर ..	..	,,
५---श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव	..	,,
६---श्री राधामोहन सिंह ..	..	,,
७---श्री अब्दुल मुईज खां	..	,,
८---महाराजकुमार बालेन्दु शाह	..	,,
९---श्री रामनारायण त्रिपाठी	..	,,
१०---श्री गेंदा सिंह ..	..	,,

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्श-दात्री समिति व अन्य समितियों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---मुझे सदन को सूचना देनी है कि प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति तथा कतिपय समितियों के रिक्त स्थानों के लिए जो नामांकन-पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से कोई नाम वापस नहीं हुए थे। निम्नलिखित सदस्य उचित रूप से निर्वाचित हुए---

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड---(१) श्री दीनदयालु शर्मा।

उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति---(१) श्री पुलिन बिहारी बनर्जी, (२) श्री कल्यानचन्द्र मोहिले।

सार्वजनिक निर्माण (सिंचाई) स्थायी समिति--- (१) श्री विश्राम राय, (२) श्री उदयभान सिंह।

शिक्षा स्थायी समिति---(१) श्री सहदेव सिंह।

कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति ---(१) श्री महावीर सिंह, (२) श्री कन्हैयालाल।

आबकारी स्थायी समिति---(१) श्री रामेश्वर लाल।

छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में गृह मन्त्री के भाषण पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि २१ तारीख को मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न १८ तारीख को जो माननीय गृह मंत्री जी ने लखनऊ छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में भाषण दिया था, उसकी असत्यता के सम्बन्ध में दिया था। उसमें मैंने यह भी निवेदन किया था कि जानबूझ कर इस सदन में धोखा देने का प्रयत्न किया गया है।

श्री अध्यक्ष—वह तो आपने भेज दिया। लेकिन जब तक मैं उसकी इजाजत न दूं तब तक आप उसको यहां पर सदन के सामने पेश नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपने कहा कि मैं इसके बारे में सूचित करूंगा, जानकारी करके।...

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। मैं आपको नियम "45" पढ़ कर सुना दूं:

"45. Notice of a Complaint of a Member—A member wishing to make a complaint of a breach of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day on which it is proposed to be made. If the complaint is founded upon a document the original or a copy thereof shall accompany the notice."

[४५—सदस्य द्वारा शिकायत की सूचना—जो सदस्य विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत करना चाहे वह जिस दिन शिकायत करने का विचार करता हो उस दिन उपवेशन आरम्भ होने के पूर्व सचिव को लिखित सूचना देगा। यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायगी।]

यह नियम की आवश्यकतायें हैं। यह आवश्यकतायें जब पूरी होंगी तब मैं इसके ऊपर विचार करूंगा। जब आप यह सब चीजें पेश कर देंगे तब सचिव मेरे सामने रखेंगे। अगर आपने पेश नहीं की हैं तो सचिव मेरे सामने नहीं रखेंगे। सचिव के पास आपकी शिकायत आनी चाहिये यानी भटनागर साहब के पास। जिन डाकूमेन्ट्स की बेसिस पर आपको कम्पलेन्ट करनी हो वह भी उनके सामने आने चाहिये। तब वह मेरे सामने पेश करेंगे और अगर मैं इजाजत दूं जैसा कि नियम ४४ में लिखा हुआ है कि—

"44. Breach of Privilege, How Brought to the Notice of the House—A breach of privilege, either of a member of the House or of a Committee thereof, may, with the consent of the Speaker, be brought to the notice of the House :"

[४४—विशेषाधिकार की अवहेलना को किस प्रकार सदन की सूचना में लाया जाय—किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना को अध्यक्ष की सम्मति से सदन की सूचना में लाया जा सकता है।]

आप यह विशेषाधिकार का प्रश्न हाउस की नोटिस में तब तक नहीं ला सकते जब तक कि उक्त बातें न हों। उसका मोड आफ कम्प्लेन्ट करने के लिए यह दिया हुआ है। आप सचिव के पास भेज दें।

जो चीज हाउस के ऐक्चुअल व्यू में हुई है उसमें किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है। उसे वहीं के वहीं हाउस टेकअप कर सकता है। लेकिन जो स्टेटमेंट्स वगैरह ऐसे होते हैं उन पर अगर आपको कोई सवाल रेज करना हो तो उसकी नोटिस आप सचिव को दें।

श्री राजनारायण—मैं जरा समझ नहीं पाया। जो अवस्था इस सदन के समक्ष घटी हो, माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के समक्ष भाषण दिया और वह भाषण लिखित था.....

श्री अध्यक्ष—तो क्या सदन में जो माननीय सदस्य भाषण देते हैं उन्हें हम झूठ मान लें। समक्ष का मतलब दूसरा है यानी ब्रीच जो समक्ष होता है उसे हर एक समझ लेगा कि ब्रीच हुआ। सदन के समक्ष का मतलब यह नहीं है कि उसके बाद आप तहकीकात करें। अगर कोई चीज न मालूम हो और वह भी सदन के समक्ष समझी जायगी। सदन के समक्ष का मतलब यह है कि आपने कोई जिद की, किसी के पत्थर मार दिया। सदन के समक्ष जिससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई उसे सदन के समक्ष कह सकते हैं। उसी वक्त ब्रीच आफ प्रिवलेज का सवाल उठता है। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट दे उसकी सत्यता और असत्यता का प्रश्न उठे तो वह तो कम्पलेण्ट से ही होगा। या तो फिर यह अज्यूम कर लें कि यहां हर एक मेम्बर झूठ ही बोलता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह बता दें। मैं एक मिनट में....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैंने २१ तारीख को लिख करके दिया कि यह मेरी आपत्ति है। १, २, ३, ४, ५ करके और माननीय सचिव से उसके बारे में २१ को बात की, कल भी बात की। माननीय सचिव क्या इतनी उदारता नहीं बरत सकते थे कि वह मुझसे कहते हैं कि मैं श्री सम्पूर्णानन्द जी की कापी उन्हें दे दूं? क्या माननीय सचिव हमसे नहीं कह सकते थे कि इस चीज की कमी है यह आप दे दें? मैंने कल निवेदन किया था और आज भी निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष—आज आपको कापी मिल गयी?

श्री राजनारायण—मुझे अभी आने से तीन मिनट पहले कापी मिली है।

श्री अध्यक्ष—जो कापी आप को मिली है, वह कापी जब आप भेजेंगे तब मैं उसके ऊपर विचार करूंगा।

मुख्य मन्त्री द्वारा उद्धृत उपकुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र को सदन के समक्ष रखने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन वाइस-चांसलर का पत्र पढ़ा था और ज्योंही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, मैं उठा और श्रीमन्, आप सदन को दूसरे दिन के लिये स्थगित करके चले गये। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने बात की और उनसे कहा कि आप उस पत्र की कापी दे दीजिये क्योंकि जब आपने उसको सदन में पढ़ दिया है तो वह सम्मानित सदस्यों को प्राप्त होना चाहिये। उन्होंने उसी समय कहा कि मैं आपको पढ़ने के लिये दे सकता हूं। उसकी कापी मेरे पास नहीं आयी। दूसरे दिन मैंने लिखित निवेदन किया परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला। उसके बाद मैंने माननीय

[श्री राजनारायण]

मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा कि आपने ऐसा ऐसा वादा किया था, परन्तु उसकी कापी नहीं मिली जब कि आपने वाइस-चांसलर के लेटर के जिस पोर्शन को पढ़ा है वह वास्तविकता पर पर्दा डालता है। इस सम्बन्ध में आप कृपया उनको आदेश दे दें।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। किसी डाकूमेंट के सम्बन्ध में कोई कागजात जो पढ़े जाते हैं उसका नियम यह है कि अगर कोई उसमें से उद्धरण पढ़ना चाहे, चाहे वह सरकारी डाकूमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, तो उसके लिये यह तरीका है कि अगर वह पढ़ता है तो उसी वक्त कोई माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि वह पूरे का पूरा पढ़ा जाय और जो माननीय सदस्य उद्धरण पढ़ते हों यदि वे पूरा पढ़ने के लिये तैयार न हों तो अध्यक्ष उनको इजाजत न दें और यह कह दें कि अगर पूरा पढ़ना है तब पढ़िये और अगर पूरा नहीं पढ़ना है तो न पढ़िये। तो यह प्वाइंट आफ आर्डर होता है, एक तरह का वैधानिक प्रश्न यहां के तरीके के हिसाब से हुआ करता है। तो जिस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी पढ़ रहे थे उसी वक्त यह वैधानिक प्रश्न उठाना था कि उनको पढ़ने की इजाजत नहीं देना चाहिये या वे पूरा हमारे सामने रख दें। उस वक्त किसी ने यह बात कही नहीं कि हमारे सामने पूरा आ जाना चाहिये और नहीं तो पढ़ने की इजाजत न दी जाय। इजाजत देना न देना मेरा अधिकार है और मैं यह कह सकता था कि जब तक आप पूरा सामने नहीं रखते हैं, आप नहीं पढ़ सकते हैं। इस पर वे सोच लेते कि आया उनको पूरा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ऐसी चीज नहीं हुई। बाद में क्या बातचीत आपकी और मुख्य मंत्री जी की हुई, उसके ऊपर मैं कोई फैसला देकर उनको बाध्य करूं, यह नियम में नहीं है। मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता। आपकी और उनकी समझौते की बातचीत रोज हुआ करती है। उन्होंने अगर वादा कर दिया है तो आप उनके कमरे में जायं और उसको देख लें। अगर ऐसा न हो तो जिस वक्त वे यहां होंगे उनसे पूछ लिया जायगा कि वे आपको दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। परन्तु मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अब मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता। आप अगर तत्काल यह कहते कि उनको पढ़ने की इजाजत न दी जाय जब तक वे पूरा पढ़ने के लिये तैयार न हों, तो मैं उनको रोक सकता था। यही नियम का खुलासा है और इसी दृष्टि से फैसला और जगह भी होता है। मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में हेडिंग यह है—

"Maintenance of order during debate and rules governing contents of speeches."

और ४४१ सफा पर यह दिया हुआ है—

"Another rule or principle of debate may be here added, A Minister of the Crown is not at liberty to read or quote from a despatch or other state paper not before the House, unless he be prepatred to lay it upon the table."

आगे यह है—

"The principle is so resonable that it has not been contested.; and when the objection has been made in time it has been generally acquiesced in."

एतराज इन टाइम होना चाहिये। उसी वक्त होना चाहिये। इसमें भी मिनिस्टर यह कह सकता है कि वह कांफिडेंशियल है, हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन वह प्रश्न उठा ही नहीं। शायद उस रोज आप पूछते तो मैं कह देता कि अगर कांफिडेंशियल है तो न पढ़िये। अगर कांफिडेंशियल है तो थोड़ा भी क्यों पढ़ते हो, सदन इससे मिसलीड हो सकता है, यह आब्जेक्शन उसी वक्त हो जाना चाहिये था। लेकिन आपने बाद में प्रश्न किया है इसलिये मैं कुछ नहीं कर सकता। यह आपके और मुख्य मंत्री के बीच का प्रश्न है। जैसे आप उचित समझें निबटायें।

श्री राजनारायण---प्रश्न इसलिये उठता है कि पहले भी आपने ऐसी उदारता दिखलाई है। एक मर्तबा जब एक जजमेंट का एक पोर्शन मैंने पढ़ा था उसके पढ़ने के करीब ४, ५ दिन बाद माननीय स्वशासन मंत्री ने आपका ध्यान आकर्षित कराया। आपने उस डाक्युमेंट के ऊपर के पोर्शन को पढ़ने की इजाजत दी थी और फिर कई दिन बाद आपने उस पोर्शन को हटवाया था। मैं यह निवेदन करूंगा कि आगे इसकी कैसे व्यवस्था होगी? क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्र के जितने अंश को पढ़ा बाद में जाकर मालूम हुआ कि वह बुद्धि विभ्रम पैदा कर रहा है और वस्तु स्थिति पर परदा डाल रहा है।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न इस वक्त उठाने का नहीं था। आपने जिस मामले का हवाला दिया है वह प्रश्न तो बिल्कुल अलग था। आपने जजमेंट एक कोट की थी। उसी वक्त आपसे वह जजमेंट ले ली गई। मेरे पास जजमेंट आ चुकी थी। उस जजमट को लोगों ने बाद में पढ़ा, और फिर आपके उद्धरण को एक्सपंज करने के लिये कहा गया। आपकी मांग इस समय एक्सपंज करने के लिये नहीं है। आपकी मांग तो इस बात की है कि गवर्नमेंट के पास कोई चिट्ठी है और आपको यह पता नहीं लग सकता कि उस चिट्ठी से जो अधूरा पोर्शन पढ़ा गया है गलत है या सही है, जब तक कि वह आपके सामने न हो। वह गवर्नमेंट के पास है और उसे आप पेश करना चाहते हैं। उस पत्र के मांगने का सवाल है। आप उस वक्त कहते तो मांग लेते। नियम यह है कि बाद में मांग नहीं हो सकती। अगर उद्धरण को एक्सपंज कराने की आप बात करना चाहते हैं तो मुझसे बाद में सलाह करें। इस सदन का समय इस वक्त इस कार्य में नहीं लिया जा सकता।

१९५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष---(डाक्टर सम्पूर्णानन्द को सदन छोड़ते देखकर) मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को कम से कम अवश्य उपस्थित रहना चाहिये।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---दिक्कत यह हो गई है कि आज दूसरे सदन की बैठक ११ बजे के बजाय १२ बजे हो गई है। उनके सवालों का जवाब देना है। जवाब देकर फौरन आ जाऊंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---जो सप्लीमेंटरी बजट २ करोड़, ७२ लाख ७८ हजार, ८ सौ का इस सदन में प्रस्तुत हुआ है इस संबंध में जैसा पहले भी निवेदन किया था कि इस तरह के पूरक बजट को पेश करने की जो परम्परा सी बंधती चली जा रही है उस पर जरा रोक थाम होनी चाहिये। अबकी श्रीमन्, मैंने श्री राव जो वित्त सचिव हैं उनके नोट को देखा तो मैं चाहता हूं कि उनके नोट की कुछ लाइन्स पढ़ दूं, ताकि ये लोग समझें कि किस तरह से यह एक परिपाटी सी बनाई जा रही है। हमारे माननीय वित्त सचिव कहते हैं "किसी वित्तीय वर्ष के दौरान में उस वर्ष के लिये अधिकृत व्यय से अधिक व्यय के संबंध में जो भुगतान करते पड़ते हैं, उसके लिये विधान मंडल के सामने पूरक मांगें पेश करने की आवश्यकता होती है"। एक जनरल सी बात वह कहते हैं कि आवश्यकता होती है। हम कहते हैं कि आवश्यकता हो सकती है मगर ऐसी बात नहीं है कि हर समय और हरवर्ष आवश्यकता होती ही है इसको उन्होंने जनरालाइज (साधारण नियम) करके ऐसा लिखा है कि सदन के सब सदस्य यह समझ लें कि पूरक अनुदान का पेश करना बिलकुल जरूरी ही है और बिना उसके काम नहीं चल सकता। अगर माननीय सदस्य ग्रांट नं० १२, १७, २३, २९, ३६ और ४३ को देखें तो उनको मालूम होगा कि ये सब जितनी ग्रांटें मांगी गई हैं उनकी क्या आवश्यकता बाद में मालूम पड़ी। क्या पहले ही से रकम रख कर इसको पूरा नहीं किया जा सकता था? मैं इसके बारे में श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि कंटिंजेंसी फंड से कुछ रुपया ले लिया जाता है मगर उसके बाद बजट में कुछ टोकिन मनी पेश किया जाता है। उदाहरण के लिये ग्रांट नं० ६ में २,२०० रुपये

[श्री राजनारायण]

खर्च के हैं जबकि केवल १०० रुपये की टोकिन मांग की गई है। मैं इसको अनभिज्ञता का परिचारक समझता हूं। सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है।

इसी तरह अगर हम अनुदान संख्या ९ में देखें तो २ लाख ९२ हजार आकस्मिक निधि से खर्च होगा जबकि केवल १ लाख ४२ हजार रुपया मांगा जा रहा है। तो फिर इस कमी की पूर्ति कहां से की जायगी? इसका मतलब है कि वहीं पर कुछ ऐसी रकमें हैं जिनको इधर उधर करके काम आगे बढ़ाया जायगा। अनुदान संख्या ११ में देखा जाय तो पहली मद के लिये १०० रुपये मांगे हैं जबकि डेढ़ लाख रुपया खर्च होगा। इसके क्या मानी हैं? इस बात का विचार करना चाहिये कि इस तरीके से टोकिन मांग को रख कर आखिर किस बात पर परदा डालने की कोशिश की जा रही है। किसी न किसी बात पर परदा डालने की कोशिश जरूर हो रही है? अगर इस सदन के माननीय सदस्य उसे नहीं ढूंढेंगे तो हम लोग अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं करेंगे।

इसी प्रकार दूसरी मदों का टोटल करने से ही पता चल जाता है कि वास्तविक पूरी मांग कितने की है और यहां पर टोकिन मांग कितने की की गई है। बहुत सी रकमें तो इसमें ऐसी भी मिलेंगी जो पहले ही खर्च कर दी गई हैं और उसके बाद एक गोल रक़म सी रख दी गई है जिसके बारे में यह भी टोटल नहीं लगाया गया है कि इतने रुपये की क्या आवश्यकता है और सिर्फ रकम के लिये इस सदन की मंजूरी ली जा रही है। ग्रांट नं० १२ में ३ लाख है। यह बजट की दूषिता का एक ज्वलंत उदाहरण है। अब इतने वर्ष हमें अपना शासन चलाते हुये हो गये हैं तो अनुभव से हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट (अर्थ विभाग) में ऐसी व्यवस्था लानी चाहिये जिससे इस तरह की गड़बड़ियां न हों कि रकम की जरूरत कुछ हो और अनुदान कुछ मांगे जायं और खर्चा कुछ हो और इधर उधर से हमेशा पूर्ति की जाय। लेकिन इस बजट की बहुत सी रकमें ऐसी हैं जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि जब मूल बजट प्रस्तुत हुआ था, उस समय उसी में रखी जा सकती थीं जैसे कि उदाहरण के लिये हम फिर ग्रांट नम्बर ६, ११, १२, १६, १९, २० और २१ को रखते हैं और केवल सदन का समय बचाने के लिये हमने थोड़े में नोट तैयार किया है और बाद में माननीय सदस्य देखेंगे तो समझेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता थी।

ग्रांट नम्बर ६ देखें, इसमें रजिस्ट्री की बात है। जिला जालौन और इगलास में रजिस्ट्री के कार्यालय फिर से खोले जायेंगे। क्या वह वहां है या नहीं या खोले जायेंगे या नहीं? जब मूल बजट प्रस्तुत हुआ था उस समय डिपार्टमेंट इसको नहीं समझता था कि इसकी जरूरत है या नहीं। फिर अनुपूरक बजट में इसको रखने की क्या आवश्यकता पड़ी।

इसलिये श्रीमन्, जरा मैं ग्रांट नम्बर १२ के बारे में खास तौर से आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा और थोड़ा सा समय जो मैंने लिया वह इसलिये लिया कि गृह मंत्री कह गये थे कि वह जल्दी ही वापस आ जायेंगे। इसलिये मैं चाहता था कि पहले इन बातों को कह दूं और फिर इसको कहूं ताकि वह आ जायं क्योंकि इससे उनका भी काफी संबंध है। श्रीमन्, सामान्य प्रशासन के कारण व्यय, इसमें देखा जाय कि स्थानीय निकायों के चुनाव के संबंध में चर्चा है। माननीय वित्त सचिव ने जो रिपोर्ट तैयार की है वह कहते हैं कि पहले यह आशा की गई थी कि स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव मार्च, १९५३ में होंगे। फिर बाद में उनकी यह आशा असफल हुई और उसके बाद चुनाव का समय बढ़ा और उसकी पूर्ति होती है अक्टूबर, १९५३ में। अब यह कहते हैं कि पहले दो लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमें से १,७७,५०० रुपये की धनराशि अंततः समर्पित कर दी गई, क्योंकि चुनाव टल गये थे। शेष धनराशि अर्थात् २२,५०० रुपया जिला और हेड क्वार्टर के कर्मचारियों आदि पर व्यय हो गई।

अब श्रीमन्, सरकार को इतना तो पता होना ही चाहिये कि वह कब चुनाव करा सकत हैं और कब नहीं। एक पैसा भी यदि अनुचित तरीके से खर्च होता है तो हमें समझना

चाहिये कि वह जनता की बहुत ही गाढ़ी कमाई से धन का दुरुपयोग हो रहा है। जब चुनाव टलते थे और सरकार के सामने वह परिस्थिति मौजूद थी कि चुनाव टलेगा। श्रीमन्, इस सदन में ही विरोधी पार्टी की ओर से कई बार कहा गया था कि सरकार आगे भी चुनाव नहीं करा सकेगी तो श्रीमन्, हमारे संकेत के बाद और आग्रह के बाद भी उस समय दो लाख रुपये धनराशि रखी गई थी और हर जिले में एक आफिस की रचना कर दी गई थी जिसमें २२,५०० रुपया बरबाद हुआ। इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष में २,९५,००० रुपये की व्यवस्था की गई थी किन्तु यह आशा की गई थी कि इस धनराशि में से २,७५,००० रुपये की धनराशि संबंधित स्थानीय निकायों से वर्ष के अन्तर्गत वसूल हो जायगी जो कि व्यय में कमी के रूप में दिखाई जायगी। इस प्रकार वास्तव में केवल २०,००० रुपये की ही व्यवस्था की गई। श्रीमन्, अब जरा इसका विश्लेषण किया जाय तो कितना निकम्मापन है डिपार्टमेंट का, कितनी अदूरदर्शिता और कितनी अज्ञानता इस डिपार्टमेंट की है। यह इससे सिद्ध होता है कि ३ लाख रुपये का खर्चा होता है और डिपार्टमेंट समझता है कि महज २०,००० रुपये की जरूरत पड़ेगी और इसकी पूर्ति इस तरह से होगी कि धनराशि की संबंधित निकायों से वर्ष के अन्तर्गत वसूल हो जायगी। इस तरह की बातें अज्ञानता और बौद्धिक अपरिपक्वता से होती हैं और इनके कारण से हमारा सारा का सारा शासन चौपट हो रहा है और आबादी बढ़ती जा रही है। हमको ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आयेगा कि हम यहां बैठे ही रह जायेंगे और धड़ाम से रसातल को चले जायेंगे।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि माना कि जिस तरीके से अव्यवस्था हुई है, जिस तरीके से पैसे की बरबादी हुई है, जिस तरीके से रकम अनियमित ढंग से व्यय हुई है वह तो अनर्थ कार्य है ही उसके साथ ही साथ जब हम उस रुपये की ओर देखते हैं जो कि स्थानीय निकायों को दिया जा रहा है तो इस सदन के एक सदस्य होने के नाते हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम बर्किंग को देखें। जिस प्रकार से चुनाव की रकम खर्च की जा रही है उसमें एक सैद्धांतिक प्रश्न उठता है और इस संबंध में सम्मानित केबिनेट के सदस्य जो हैं उनसे भी विचार विनिमय होता है। प्रश्न यह है कि क्या सिंगिल यूनिट (हर व्यक्ति के पूर्ण होने पर) के सेल्फ सफीशियेंट होने पर सरकार पूर्ण हो जाती है या सरकार के पूर्ण होने पर व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, मैंने जनतंत्र के उसूलों को गुरुओं की सेवा में बैठकर पढ़ने की कोशिश की और हमें तो यही मालूम हुआ कि सिंगिल यूनिट (प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण) के सेल्फ सफीशियेंट होने से सारी व्यवस्था पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, उससे राज्य भी पूर्ण हो जाता है। लेकिन यहां तो उल्टी धारा ही बहती है। कांग्रेसी विश्वास करते हैं कि शासन के पूर्ण होने से, सारी शक्ति सरकार के हाथ में आ जाने से, व्यक्ति पूर्ण हो जायगा; व्यक्ति पूर्ण हो या न हो लेकिन जनतंत्र पूर्ण हो जायगा।

मैं आपके जरिये से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इतने समय शासन का अनुभव प्राप्त करने के बाद भी अब वे अपनी दृष्टि को खोलें और जो सिद्धांत की बातें हैं उनको अपने दिमाग में साफ कर लें। क्योंकि जब जनतंत्र के संबंध में विचार साफ नहीं होता तो हुकूमत अपने हाथ में सारी ताकत लेने का प्रयत्न करती है। मेरा कहना है कि हुकूमत की यह कोशिश जनतंत्र के लिये घातक होगी क्योंकि जो राजनीति के पंडित हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि जनतंत्र उस समय तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण न हो।

अब श्रीमन्, इसी अक्टूबर के महीने में हमारे सूबे में क्या आफत नहीं ढाई गयी, जनतंत्र को क्या चोट नहीं पहुंचायी गई। इसका थोड़ा सा वर्णन मैं आपकी आज्ञा से करना चाहता हूं। श्रीमन्, मंत्रियों के तूफानी दौरे हुये। स्थानीय निकायों के चुनाव के सिलसिले में मंत्रियों के दौरे हुये और जो जिस विभाग का मंत्री था उसने उस विभाग के सरकारी कर्मचारियों पर जोर डाला, जिसे मैं जनतंत्र के लिये घातक समझता हूं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रियों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब मैं यह बात कहता हूं तो सैद्धांतिक दृष्टि से ही कहता हूं लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनकी श्रद्धा हमारे दिलों में है, व्यक्तिगत रूप में हम उनका सम्मान

[श्री राजनारायण]

करते हैं लेकिन जब किसी मंत्री की गतिविधि जनतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात करती है तो श्रीमन्, अगर मैं उसके बारे में उंगली न उठाऊंगा तो मैं इस सदन में अपने कर्त्तव्य का पालन न करूंगा। मैं ही नहीं आगे आने वाली जनरेशन (संतान) भी यही समझेगी और बौद्धिक विकास वाले लोग भी यही ख्याल करेंगे। इसलिये श्रीमन् उस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो म्युनिसिपल चुनाव हुये उनमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पूरे एक महीने का जौनपुर में दौरा किया।

श्री बेचन राम गुप्त (जिला बनारस)—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं जानना चाहता हूं कि इस सप्लीमेंटरी बजट का माननीय शिक्षा मंत्री से क्या संबंध है ?

श्री अध्यक्ष—आप कुछ जानना चाहते हैं, यह तो कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं हुआ।

श्री बेचन राम गुप्त—मेरा प्वाइण्ट आफ आर्डर यह है कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका संबंध इससे नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इससे वे उसका संबंध जोड़ेंगे। बात यह है कि इसके ऊपर आज जो रुपया मांगा गया है वह म्युनिसिपल एलेक्शन के बारे में है। तो उस पर वे सरकारी नीति के संबंध में कुछ कह सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अब मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं टीका नहीं चाहता।

श्री राजनारायण—मैं टीका नहीं कर रहा हूं। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी मंत्री हो, मैंने पहले ही निवेदन किया कि मैं उसके अनादर के लिये कोई बात कहता हूं ऐसी बात नहीं है। मैं इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों से कहता हूं कि वे इस बात को सोचें कि मान लीजिये मैं ही मंत्री हो जाऊं, अगर हुकूमत की बागडोर विरोधी पार्टी के हाथ में आ जाय और उसका कोई मंत्री अपने किसी दुलारे को किसी म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिये महीने से ज्यादा समय उसी शहर में खर्च कर दे, तो क्या यह हमारे लिये शोभनीय होगा? क्या इससे जनतंत्र विकसित हो सकता है ? क्या आप इससे जनतंत्र प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं ? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आगे इस चीज को रोका जाय। श्रीमन्, मैं तमाम अखबारों की फाइलें आपकी खिदमत में पेश करने के लिये लाया हूं जिसमें माननीय मंत्रियों के भाषणों की रिपोर्टें हैं। मैंने पंडित जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखा और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के एलेक्शन के संबंध में जो पत्र लिखा वह अखबारों में प्रकाशित हुआ है। तो श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि स्थानीय निकायों के संबंध में जो भाषण माननीय मंत्रियों के हुए उनको इस सदन के सम्मानित सदस्य देखें। उनके भाषणों में ५ प्रिंसपिल के सवाल उठते थे। बहराइच में हमारे एक सम्मानित मंत्री जो उद्योग मंत्री हैं उन्होंने जो भाषण किया उसकी कटिंग मैं आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप डिटेल में नहीं जा सकते हैं।

श्री राजनारायण—मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, केवल संकेत मात्र कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप नीति के संबंध में ही कहें।

श्री राजनारायण—मैं नीति ही कह रहा हूं। श्रीमन्, इन तमाम मंत्रियों ने जो भाषण किये उसमें ५ प्रिंसपिल्स के सवाल उठते थे। एक तो यह कि गैर कांग्रेसी बोर्ड्स को आर्थिक सहायता नहीं दी जायगी। दूसरा सवाल.....

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। मंत्रियों को ऐसे दौरों में जाना चाहिये या नहीं, इसकी नीति के ऊपर आप कह सकते हैं लेकिन मंत्रियों ने क्या कहा, कहां कहा, कैसे कहा, यह बात दूसरी है। इसके ऊपर आप नहीं कह सकते हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अब मैं आपसे ही निवेदन करता हूं कि यह लोकल-सेल्फ गवर्नमेंट की बात है और लोकल-सेल्फ गवर्नमेंट के ही ऊपर सिद्धांत के रूप में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो वहां चुन कर आवे उसे अधिकार होता है फिर ३ वर्ष के लिये वह चांद सूरज की तरह अटल है।.....

श्री अध्यक्ष---मैं यह ठीक नहीं समझता हूं कि 'किसने क्या स्पीच दी' उस बाहरी स्पीच पर आप आज यहां टीका करें।

श्री राजनारायण---मैं प्रिंसिपल की बात कहता हूं। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि उनके ये भाषण जनतंत्र प्रणाली पर कुठाराघात करने वाले हैं, इससे जनतंत्र की बुनियाद को करारी चोट पहुंचती है। ऐसे भाषण देने के बावजूद अगर किसी के दिमाग में तनिक भी शक हो कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार जनतंत्रात्मक प्रणाली पर चलने वाली है तो मैं समझता हूं कि वह शक करने वाला व्यक्ति भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पायेगा। इसलिये श्रीमन्, हमारे दिमाग में काफी सफाई है और मैं सफाई के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमारे सरकारी मंत्रियों के दिमाग में यह बात थी कि उन गैरकांग्रेसी बोर्डों को आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी तो फिर चुनाव कराने का नाटक क्यों?

श्री अध्यक्ष---आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप कृपा करके बैठ जायं तो मैं समझा ही दूं।

मैंने पहले आपको टोका नहीं, चूंकि आपने एक सिद्धांत का सवाल पेश किया कि मंत्रियों को ऐसे दौरों में नहीं जाना चाहिये। और उस पर आप खर्चे का सवाल भी लगा सकते हैं कि मंत्रियों के जाने से इतना खर्च हुआ। चूंकि मंत्री २४ घंटे के जनता के सेवक हैं, इसलिये आपने यह विवाद किया और उनका समय खर्च होना, यह भी एक खर्च है, यह भी आप कह सकते थे, इस संबंध में कोई टीका टिप्पणी अनुचित नहीं है। किस मंत्री ने बाहर व्याख्यान में क्या कहा, अगर इसपर विवाद चलने लगे तो फिर आपने भी बाहर क्या कहा उस पर वे भी कहना शुरू करें तो यह बहस खत्म ही नहीं हो सकती। इस परिस्थिति में यह बजट डिस्कशन न होगा बल्कि पार्टी की नीति के संबंध में किसने क्या व्याख्यान दिया उसी संबंध में बहस हो जायगी। मैंने पहले इजाजत इसलिये नहीं दी थी कि आप व्याख्यानों के विषय पर टीका करें। सरकार की यह नीति है और उन्होंने क्योंकर यह व्याख्यान दिये इस पर आप टीका कर सकते हैं। लेकिन जब मैं व्याख्यानों के विषय पर बोलने की इजाजत ही नहीं दे रहा हूं तो उस पर आप कैसे टीका कर सकते हैं? आप उस पर टीका नहीं कर सकते हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इस स्थानीय निकाय चुनाव के लिये जो इस बजट में अनुदान मांगा गया है इसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन अनुदानों की आवश्यकता ही नहीं थी। इस अनुदान की आवश्यकता क्यों नहीं थी, इसी 'क्यों' की मैं सफाई करना चाहता था और उसको यों करना चाहता हूं कि हमें कुछ ऐसा मालूम हुआ है कि हमारी सरकार की निगाह में पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित नहीं हो पायेगी यदि सरकार यह उचित नहीं समझेगी कि स्थानीय निकायों में वही लोग पदासीन हैं जो कि सरकार की रुचि के मुताबिक, उसके उसूलों के मुताबिक पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करें।

श्री अध्यक्ष---मेरे इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझें। आप मंत्रियों के बाहर के भाषणों पर फिर जा रहे हैं और उन पर टीका करना चाहते हैं।

श्री राजनारायण——यह मैं आपको अब स्पष्ट कर दूं कि आपकी रूलिंग से मैं डिस्एग्री (असहमति प्रगट) करता हूं लेकिन उसका बाऊ डाउन (उसके सामने झुकते हुये) करता हुआ इस प्रश्न को इस समय यहीं छोड़ रहा हूं। मैं अपने दिल के जज़्बात व्यक्त कर देना चाहता हूं इसलिये श्रीमन्, मैं इस अनुदान में एक एक करके जितनी बातें हैं उनको आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। रजिस्ट्री के बारे में तो मैंने कह ही दिया। अब राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य की व्यवस्था के लिये कुछ पैसों की आवश्यकता है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)——श्रीमन्, आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर क्या कोई सदस्य कह सकता है कि आपकी रूलिंग से डिस्एग्री करता हूं ?

श्री अध्यक्ष——जो मन में बात सत्य थी कि वह डिस्एग्री करते हैं वह उन्होंने कह दी लेकिन उसके बाद रूलिंग को बाऊ डाउन भी तो कर दिया।

श्री राज नारायण——श्रीमन्, सिंचाई के निर्माण कार्य में कुछ पैसों की आवश्यकता बताई जा रही है। उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर फिर एक सैद्धांतिक सवाल पैदा हो जाता है और वह यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई की व्यवस्था है मैं उसको देश के लिये हानिकारक समझता हूं, मैं उसको किसानों के लिये हानिकारक समझता हूं और मैं यह भी समझता हूं कि उससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पायेगी। हमारा, श्रीमन्, कहना है कि सरकार जो कुछ भी धन सिंचाई के लिये चाहती है अगर उसको इस तरह से खर्च करे जिससे ऐसे सिंचाई के साधन उपलब्ध हों जिन साधनों पर अपनी श्रमशक्ति किसान स्वतः लगा सके तो उत्तम हो। श्रीमन्, आज नहरों के बारे में बहुत चर्चा है, ट्यूबवेलों के बारे में बहुत चर्चा है। मैं इस संबंध में एक नोट तैयार करके श्रीमान सिंचाई मंत्री जी की सेवा में भेजने जा रहा हूं। मेरा ऐसा ख्याल है कि ट्यूबवेलों के लिये पैसा सरकार दे रही है लेकिन अपने अपने स्थानों पर लोगों ने ट्यूबवेल लगवाये हैं। उसमें उनका पैसा खर्च हुआ है। लेकिन एक गरीब किसान है मान लीजिये हमारे पास दो बीघा खेत है। उसकी सिंचाई अगर ट्यूबवेल से करेंगे और पानी खेत में देना हो तो कम से कम श्रीमन् हमें तीस-पैंतीस रुपये सिंचाई के लिये जरूर दे देने पड़ेंगे। हमारे पास दो बच्चे हैं, उन बच्चों की श्रम शक्ति को लगाकर, अपनी श्रम शक्ति को लगाकर अपनी पत्नी की श्रमशक्ति को लगा कर अगर कुएं से अपने बैलों को लेकर और मोट लेकर पानी की सिंचाई कर सकते हैं तो हमारे लिये वही अच्छा है। हमारा फिर वही दृष्टिकोण इसमें आता है जो मैंने पहले ही निवेदन किया था कि आज राज्यशक्ति सरकार में ही सीमित है, व्यक्ति के हाथ में वह शक्ति नहीं पहुंचती, वह साधन नहीं पहुंचते जिन साधनों का इस्तेमाल वह खुद अपने लिये करे। यहां पर देखा जाय कि अगर सरकार पक्के कुएं की व्यवस्था हर दस बीघे पर कर दे और उसके लिये अगर सरकार के खजाने में धन की भी कमी हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसान अपनी श्रमशक्ति लगाकर कुयें खोदने के लिये तैयार हैं। सरकार को ज्यादा से ज्यादा ईंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा, उसके लिये सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा। अगर सरकार पांच सौ या छः सौ रुपये की मदद दे तो उसकी ही मदद से किसान अपने हाथों से ही वह साधन तैयार कर सकते हैं जिनसे वे अपनी सिंचाई कर सकते हैं।

चूंकि इस सदन में श्रीमन्, बहुत चर्चा दूसरी जगह की हो चुकी है जैसा कि अहरौरा बांध के सम्बन्ध में हुआ मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब राज्य कोष का धन खर्च किया जाय उस समय ऐसी भी उसमें व्यवस्था होनी जरूरी है जिससे कि उस धन का दुरुपयोग न होने पावे। अभी अभी

सिंचाई के बारे में एक बहुत व्योरे का अखबार रजिस्ट्री से हमारे पास आया है। उसमें उन्नाव शारदा केनाल का भंडाफोड़ है . . . ।

श्री अध्यक्ष—आप उस अखबार के बारे में यहां पर कुछ नहीं कह सकते ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि जिसमें कई हजार रुपये के गबन की चर्चा है। तो जब इस तरह के गबन होते हैं उनको रोकने के लिये हमारी सरकार क्या कदम उठाती है जिससे आगे के लिये ऐसा न हो और किस प्रकार से लोगों में विश्वास पैदा करने के लिये सरकार कार्यवाही करती है जिससे यह भ्रष्टाचार न हो सके ? यहां पर आज सिंचाई मंत्री जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर कठोर कदम उठावें। इस डिपार्टमेंट में जो यह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको मिटाने के लिये उनको कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। श्रीमन्, आपको इजाजत नहीं है, नहीं तो मैं इसको इस सदन में पढ़ कर सुनाता। अब मैं इसको उनकी खिदमत में भेजूंगा। इसके अलावा अब मैं उनसे यही निवेदन कर सकता हूं कि इस विभाग में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है और बहुत ज्यादा फैला हुआ है उसको रोकने के लिये वह मजबूत कदम उठावें।

अब मैं, श्रीमन् उस अनुदान पर आना चाहता हूं जो कि १००, १०० रुपये की प्रतीक मांगें की गयी हैं जो कि शिक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जितना रुपया हमको देते हैं अगर उसी रुपये के व्यय करने की समुचित रूप से व्यवस्था की जाय तो उसमें इतनी गुंजायश हो सकती है कि अगर कहीं दूसरी जगह कुछ रुपये की आवश्यकता हो तो वहां पर रुपया दिया जा सके। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक बात आपके द्वारा कहना चाहता हूं जो कि बनारस के संस्कृत कालेज से संबंधित है। वहां पर मार्च सन् १९५३ ई० तक २४,६०० रुपया वहां के लिये दिया गया था कि वहां की जो मैनुस्क्रिप्ट है उसके बारे में कम से कम पूरा रजिस्टर बनाने के लिये कि वहां पर कितनी पुस्तकें हैं यह मालूम हो सके, यह रुपया दिया गया था। आचार्य नरेन्द्र देव जी वहां पर गये थे। उन्होंने वहीं पर भाषण देते हुए कहा था कि सरकार इस काशी संस्कृत विद्यालय को एक संस्कृत की यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है लेकिन वहां पर जो मैनुस्क्रिप्ट्स हैं उनके लिये कोई रजिस्टर नहीं है तो उनके लिये कोई रजिस्टर होना चाहिये जिससे मालूम हो सके कि कितनी वहां पर पुस्तकें हैं और उनका क्या नाम है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने उस पर ध्यान दिया और उसने वहां पर कटलाग बनाने के लिये २४,६०० रुपया दिया। अब मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में इस धन का ऐसा दुरुपयोग हुआ कि मार्च तक उसको खर्च नहीं किया गया और उसको वहां से निकाल लिया गया। फिर वहां पर एक ऐसा छोटा सा प्रेस है, अगर उसको जाकर देखें तो शायद आपको मालूम हो कि किस प्रकार से वह काम कर रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, जो प्रेस उस कटलाग को जल्दी छाप नहीं सकता था उस प्रेस को धीरे-धीरे छापने के लिये दिया गया है। उससे वहां पर काम नहीं चल सकता है। जहां तक मैं समझता हूं यद्यपि मेरी पूरी जानकारी नहीं है कि आया वह मैनुस्क्रिप्ट अभी तक छपकर तैयार हुआ है या नहीं मगर उस समय तक जब कि रुपया पूरा निकाला गया कोई कटेलागर नहीं था। यह दुर्व्यवस्था आज है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा विभाग ध्यान दे और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह की गड़बड़ी है और जिस तरह से शिक्षा संस्थाओं को निजी लाभ के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है वह आगे न हो और सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसी आदतें छूटें। शिक्षालयों में शिक्षा का काम हो और पार्टी पालिटिक्स का काम न हो। सरकार को तो किसी न किसी

[श्री राजनारायण]

कारण से वहां की गड़बड़ियों को दबाना पड़ता है। मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, निवेदन कर दूं कि वहां के जो प्रिंसिपल हैं वह रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन नहीं रखते हैं। पारसाल भी मैंने कहा था कि वहां क्यों ठीक आदमी नहीं रखा जाता है ? मुझे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी शिक्षा विभाग ने लिखा था उनका पत्र मेरे पास है, उन्होंने लिखा था कि आपकी शिकायत पर समुचित इन्क्वायरी हो रही है और उसके हो जाने पर उचित कार्यवाही होगी। साल डेढ़ साल का समय बीत गया लेकिन कुछ नहीं हुआ।

कहा गया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन को गजट करने के लिये लिखा गया है कि प्रार्थना-पत्र मांगे जायं परन्तु आज भी वही प्रिंसिपल विद्यमान हैं और जो कुछ गड़बड़ी वह कर सकते हैं कर रहे हैं। जब ऐसी ऐसी अव्यवस्थायें हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें शिक्षा के काम के लिये पैसा देना चाहिये ? जिस शिक्षा के लिये राज्य की इतनी गाढ़ी कमाई को खर्च किया जा रहा है और जब वह शिक्षा अच्छे नागरिक नहीं बना रही है और जब वह स्वतः भ्रष्टाचार पैदा कर रही है तो हम उसके लिये रुपया कैसे दें ? अभी एक घटना मैं और बता दूं। जौनपुर में एक कालेज है वहां रेस्टोरेन्ट के लिये एक राजाराम सिंह हैं उनको एक कमरा दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वह अपना रेस्टोरेन्ट खोल सकते हैं। परन्तु कुछ दिन बाद शिक्षा मंत्री जी के विभाग में आया कि वह प्रजा सोशलिस्ट हैं और उस पार्टी के मेम्बर हैं...

श्री अध्यक्ष— यह आप मोटिव पर हमला कर रहे हैं। इसको आप वापस लें।

श्री राजनारायण —श्रीमन्, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो उनको लिखित नोटिस दिया गया कि आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी का अपमान किया है इसलिये आपका रेस्टोरेण्ट यहां पर नहीं रहेगा। मैं बाई चांस (संयोगवश) उस समय जौनपुर पहुंच गया और मैंने भी उस पत्र की कापी मांगी मगर मुझे वह कापी नहीं मिली क्योंकि उनके छोटे भाई से उसको प्रिंसिपल ने मंगवा लिया था और फिर उसे वापस नहीं दिया था। सम्मानित सदस्य यह न समझें कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई रागद्वेष है बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी हालत के रहते हुये हम सही हालत में विद्यादान कैसे कर पावेंगे? अपने नागरिकों के लिये आगे आने वाली पीढ़ी के लिये कोई समुचित मर्यादा कैसे रख पावेंगे ? वह समुचित मर्यादा हम नहीं रख पावेंगे अगर हमारी व्यवस्था इसी प्रकार की रही।

इसके बाद मैं जेलों पर आता हूं। अभी अभी अखबार में मैंने पढ़ा, जो कुछ भी माननीय गृह मंत्री जी के मुखारविन्द से निकलता है मैं उसको पढ़ लेता हूं। वह नहीं चाहते कि स्वतन्त्र भारत में जेल रहें ऐसा उन्होंने कहा है। जेलें कैसे खत्म होंगी यह वह ही जानें, लेकिन मैं उनकी भावना की क़द्र करता हूं और वह शुभ घड़ी देखने की मुझे इच्छा है जिस शुभ घड़ी में जेलें न रह जायंगी। मगर मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रीमन्, आज जो व्यवस्था चल रही है इस व्यवस्था से जेल नहीं रहेंगे ? यह एक तरफ तो माननीय गृह मंत्री जी जेल को नहीं रखना चाहते, दूसरी तरफ इसी लखनऊ में मैंने सुना है कि महिलाओं को बन्द करके रखने के लिये एक बहुत बड़े जेल का शिलान्यास हो रहा है, एक बहुत बड़ा जेल बनाने जा रहे हैं। तो ये दोनों बातें श्रीमन्, हमको बहुत असंगत प्रतीत हो रही है। दोनों में कुछ मेल नहीं मालूम होता है। कहां हमारे माननीय गृह मंत्री जी उस उच्चादर्श को लेकर, उससे अनुभूति लेकर आगे एक नये समाज के बनाने की बात करें और कहां सरकार महिलाओं को भी बन्द करने के लिए यहां पर जेल खोले, जब कि श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि फतेहगढ़ जेल में थोड़ा सा पैसा खर्च करके, जहां तक मेरी जानकारी है, दो हजार या ढाई हजार रुपया खर्च करके वहां ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि जिसमें महिलाओं को अच्छे

तरीके से रखा जा सकता है और उनको कोई मुश्किल नहीं हो सकती, अगर महिलाओं को कैद करना यह सरकार जरूरी समझती है। मगर जब जनतन्त्र है तब मैं नहीं समझता कि ऐसा जरूर किया जाना चाहिये। मैं तो यह कहता हूं कि क्यों हम इस जेल के लिए एक पैसा भी मंजूर करें? जब कि इस तरीके से इसको खर्च किया जाय कि एक जेल जो पहले से बना हुआ है, उस जेल में थोड़ा सा पैसा खर्च करके थोड़ा सा रीऐडजस्टमेंट करके हम अपना काम चला सकते हों, वह न करें और एक गर्व का मान कराने के लिए हम एक ऐसे बड़े विशाल जेल की रचना करें जिससे कि हम दूसरे लोगों को, बाहरी दुनियां से जो लोग भ्रमण करने के लिए आवें, उनको दिखला सकें कि इस प्रदेश की राजधानी में महिलाओं को रखने के लिए ऐसे एक भव्य जेलखाने का निर्माण हुआ है।

श्रीमन्, इसी के साथ साथ मैं एक निवेदन और कर दूं। आप स्वतः और इस सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य ब्रिटिश हुकूमत में जेल का कष्ट भोग चुके हैं। मगर श्रीमन्, मैं इस कांग्रेसी हुकूमत में पांच बार जेलखाने हो आया हूं। छठीं बार जाने की तैयारी है और वह शायद गोरखपुर के अन्दर श्रीमन् तीन आदमी पुष्प चढ़ाने जा रहे थे, उस समय गिरफ्तारी हुई थी, उसका अभी केस चल रहा है। पता नहीं कब फिर जाना पड़े। तो अभी पिछले अप्रैल में मैं गोरखपुर जेल में रह आया हूं। मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि अंग्रेजी हुकूमत में जेल में जितना सुख मुझे अनुभव होता था, उतना सुख अब नहीं मालूम होता। उस समय तो मैं जेल के अधिकारियों से लड़ जाता था अपनी किसी मांग को पूरा कराने के लिए, और उनको मजबूर करता था उसे मानने के लिए। मगर अब तो श्रीमन वह जेल के अधिकारी बराबर चले आते हैं और कहते हैं कि हमसे क्यों लड़ते हैं, आपकी सरकार है, जो कानून सरकार वहां पास करती है, उसी के अनुसार हम करते हैं। सरकार हमसे जो कहे वह हम करें। तो श्रीमन् यह एक अजीब परेशानी है, मानसिक परेशानी है और मानसिक संतुलन जब ठीक नहीं होगा तो श्रीमन् फिर देश बन नहीं सकता। देश को बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि पहले देश की साइकालाजी (मनोविज्ञान) ठीक करें। अगर देश का मानसिक स्तर ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो फिर देश कदापि नहीं बन सकता, एक नहीं दस पंच-वर्षीय योजनाएं फेल होंगी, इसको हर एक को समझ लेना चाहिए और मान लेना चाहिए।

श्रीमन्, अभी अभी की एक घटना है, जिसको कि आप खुद आवश्यक समझेंगे। श्री गोपालनारायण सक्सेना, चेयरमैन, उत्तर प्रदेश, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हैं, एक बड़ी पार्टी जिसको कि कम से कम इतना तो कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एक पार्टी है। उनके कथनानुसार जिसके बुनियादी उसूलों में उनसे कोई विशेष फर्क नहीं है, यों तो मैं कहता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वह पार्टी है जिसके उसूलों में और कांग्रेस पार्टी के और कम्यूनिस्ट पार्टी के उसूलों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो मैं कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि उसके चेयरमैन को जेल में किस तरीके से सताया गया, जेल में किस तरीके की मुसीबत दी गई। आजमगढ़ जेल में वह बन्द किये गये। आजमगढ़ जेल में बन्द करने से पहले क्या मुसीबत हुई वह तो मैं पुलिस विभाग के अनुदान के समय आपसे निवेदन करूंगा, वह तो ज्यादती पुलिस की थी। मगर जब जेल में गये तो जेल में समुचित समय पर कोई भी सामग्री उनको नहीं मिल पाती थी जब कि उनकी तबियत खराब थी। उनके शरीर में श्रीमन् एक ऐसा रोग है जिससे कि कुछ छोटे छोटे फोड़े निकल आया करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने और वहां के मेडिकल आफिसर ने कहा कि उनका ट्रांसफर होना चाहिए। तो श्रीमन् श्री गोपालनारायण सक्सेना, वहां से मेडिकल ऐडवाइस (डाक्टरी राय) पर, मेडिकल ट्रीटमेंट (चिकित्सा) के लिए, बेटर ट्रीटमेंट (अच्छी दवा) के लिए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में आये। इस जेल में जब वह आये तो जेल के सुपरिन्टेंडेंट साहब, श्रीमन्, अब मैं क्या कहूं, वह तो व्यक्तिगत बातें हो जायंगी, उनको मैं निजी तौर से भी जानता हूं, श्री गोपाल नारायण सक्सेना

[श्री राजनारायण]

अपने साथ पान का एक पीकदान ले जाना चाहते थे। उसके लिए उनसे कहा गया कि इसको आपके साथ नहीं ले जाने देंगे और तीन घंटे तक वह फाटक पर बैठाये गये। उन्होंने कहा कि मैं इसको ले जाये बिना जाऊंगा नहीं और यह भी कहा कि अगर पुराने रेकार्ड को देखा जाय तो पुराने जमाने में "ए" क्लास से कम में नहीं रखा गया था। वहां पर मेडिकल ग्राउंड्स पर हमारे लिए पान खाना जरूरी था, इसलिए हमको पान का पीकदान ले जाने की इजाजत दे दी गयी। लेकिन इस समय तीन घंटे उनको बैठाया गया और बहुत अनुनय-विनय करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सुपरिंटेंडेंट साहब आये और उन्होंने सक्सेना जी से बातें कीं। बाद में सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि हमारी आपकी आपसी बातचीत हो गयी है, आप इसको ले जा सकते हैं। सक्सना जी ने कहा कि हम आन प्रिंसिपल आफ़ राइट (अधिकार समझ कर) ले जाना चाहते हैं, हम आपकी मेहरबानी और उदारता के साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। आप इसके बारे में आई० जी० और जो आपके सुपीरियर अधिकारी हों उनसे पूछ लीजिये और तब हमको आदेश दीजिये।

फिर, श्रीमन् मुझे बहुत ही दुःख है कि ऐसे काम हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्य मंत्री और हमारे अन्य सम्मानित सदस्यों ने भी किये होंगे। जुलाई की ३१ तारीख को सबेरे जब श्री गोपालनारायण सक्सेना उठे तो एक विद्यार्थी था जिसका नाम था नित्यानन्द। वह बस्ती का था और पकड़ कर ३० तारीख की रात को लखनऊ छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में जेल में गया था। वह खून से तरातर था। उस लड़के को देखकर श्री गोपालनारायण सक्सेना की आंखों में आंसू आ गये। वह गये और अपना पाजामा और कुर्ता लाये और उन्होंने उस लड़के को पहनाया और पानी खुद गर्म किया और जो खून लगा हुआ था उसको धोया। श्रीमन्, इस घटना के ३ घंटे के बाद ही श्री गोपालनारायण सक्सेना, चेयरमन, उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हैज बीन ट्रांस्फर्ड (जेल का तबादला हो गया) और उनको सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। वह पूछते हैं कि हमारे ट्रांफसर का क्या कारण है कि इतनी जल्दी बिना नोटिस दिए हुए, बिना किसी बात के बताये हुए हमको ट्रांसफर किया जाता है? हमने कौन सा अपराध किया? हम मेडिकल ग्राउंड पर यहां रखे गये हैं और हमको बताया गया है कि यहां पर बेटर ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्हें आदर्श जेल भेज दिया गया।

श्रीमन्, इन घटनाओं को देखते हुए मुझे बहुत ही निराशा होती है और मैं यह कहना चाहता कि क्या हम सब लोग अब उसी बात को दोहरायेंगे? और आज जो हमने सबसे बड़ा अपराध किया है जनता के साथ, वह यह किया है कि जनता के दिल से हमने विश्वास उठा दिया है। जनता आज समझती है कि किसी भी दल के राजनीतिक नेता में विश्वास न करो, चाहे कांग्रेस हो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो या और कोई हो। क्यों? आप बारबार हमें आश्वासन देते हैं लेकिन हम कैसे यकीन करें? हमें कहा गया था कि जब अंग्रेजी हुकूमत टूटेगी तो गरीबी की कड़ियां टूट जायंगी, किसान प्रधान मंत्री होगा और जवाहरलाल जी सलाहकार होंगे। लेकिन मैं सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो एक देशव्यापी संगठन हो, उसके एक प्रान्त के चेयरमैन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय, यह एक जनता की प्रतिनिधि बनने वाली पार्टी के लिए शोभनीय नहीं है। कोई डिक्टेटरशिप हो, उसमें हमें कोई कत्ल कर सकता है, वहां बेरिया का झगड़ा हो तो उसे फांसी पर चढ़ा दो लकिन जब तक यह सरकार कहती है कि हम जनतंत्र प्रणाली चलाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तब तक ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

आगे, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा जरा पुलिस अनुदान संख्या १७ के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बड़ी खुशी हुई हमें यह देख कर कि तिब्बत की सीमा पर जो विषम

परिस्थिति पैदा हो गयी है उस विषम परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है और सरकार उसके लिए कुछ पैसा खर्च करना जरूरी समझती है। हमें, श्रीमन्, इसमें तनिक भी आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां या विदेशी ताकत हमारे मुल्क पर तनिक भी आक्रमण करने की बात सोचें या विचार भी रखती हों तो उनको कुचलने के लिए जितनी भी कोशिश की जाय वह होनी चाहिये। मैं बड़ी सफ़ाई के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे वह रूस की ताकत हो, चाहे वह अमरीकन ताकत हो और चाहे वह इंगलैण्ड की ताकत हो, किसी भी बाहरी मुल्क की ताकत हो, अगर वह हमें गुलाम बनाने की कोशिश करेगी तो उसको नाकामियाब करने में उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ हमारा पूरा सहयोग होगा। मैं, श्रीमन्, इसको बड़ी सफ़ाई के साथ कहना चाहता लेकिन जरा सरकार भी तो अपने कर्तव्य को सोचे। क्या महज तिब्बत की सीमा पर एक छोटी सी पुलिस की टुकड़ी को लगा देने से हम इस कठिन कार्य को पूरा कर देंगे? हमें हिंसा और एग्रेशन को रोकना है। कम्यूनिस्ट पार्टी इसी पर पलती है, उसके पनपने के लिये तीन "एफ" हैं फियर (डर), फ्राड (धोखा) और फ्रस्ट्रेशन (निराशा)। उस दूसरी फिलासफी को भी जो कि बिल्कुल कैपिटलिस्ट विचाराधारा को लेकर के चलने वाली हो उसको हम आगे बढ़ने देना नहीं चाहते।

हम तो चाहते हैं कि इस देश में जो कि पूज्य बापू की पुण्यभूमि है, सच्चा जनतंत्र हो, सच्चा स्वराज्य हो। सच्चे स्वराज्य की भी परिभाषा कम से कम यह सरकार समझे। सरकार समझे कि स्वराज्य का मतलब कांग्रेस पार्टी का राज्य नहीं, स्वराज्य का मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का राज्य नहीं, स्वराज्य का मतलब किसी अन्य पार्टी का राज्य नहीं, स्वराज्य का मतलब है स्वराज्य, खुद राज्य। जब कि हर इंसान इतना पूर्ण हो कि वह अपने से किसी दूसरी ताकत को नियंत्रण करने के लिए अपने ऊपर न रखे। फ्राम दी रिअल्म आफ नेसेसिटी टु दि रिअल्म आफ फ्रीडम। जब मनुष्य विवशता से निकल कर स्वतन्त्र वातावरण में विचरण करे, तब श्रीमन्, मैं समझता हूं, स्वराज्य होगा। जरा इस सरकार के माननीय मंत्रीगण सोचें और विचार करें कि क्या यह सरकार उधर बढ़ रही है? श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक नहीं दस टुकड़ियां इस तरह की रखी जायं, सारे देश के लोगों के हाथ में तलवार दे दी जाय, मगर मुझे डर है कि वह तलवार जहां इस्तेमाल होनी चाहिए शायद वहां इस्तेमाल न होकर के दूसरी जगह इस्तेमाल हो। श्रीमन्, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। केवल १५ दिन की घटना है। मैं लखनऊ से बनारस की ओर जा रहा था। एक मिलिटरी मैन था। शायद कश्मीर से लौटा हुआ था। वह क्या कह रहा था? हर एक आदमी के दिमाग़ में यह बात आयी हुई है कि सन् १९५७ में कोई न कोई ग़दर होगा मुल्क में। लेकिन हमें डर है कि अगर सरकार हमारे कार्यक्रम को लेकर आगे न बढ़ी तो किसी न किसी रूप में ऐसी बात पैदा हो सकती है और ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिससे डिक्टेटरशिप मुल्क में हो जाय। श्रीमन्, उसकी ओर मैं संकेत करता हुआ इस सदन में अगर उस पूरी कहानी को बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं सोया हुआ था और वे चर्चा करते हुये चले जा रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब भी सरकार को मौका है। वहां तिब्बती पहाड़ों के आस-पास रहने वाले नर नारी आज किस मुसीबत में हैं, उनकी मुसीबत का ख्याल कीजिये। आज वहां जो लोग मुसीबत में रह रहे हैं वह किसी बाहरी शक्ति के लिये परेशान हैं कि शायद कोई बाहरी शक्ति ही आये तो उन्हें छुटकारा मिल जाय।

श्रीमन्, एक बज रहा है लेकिन माननीय गृह मन्त्री जी अभी तक नहीं आये। गृह मंत्री जी ने श्रीमन्, १९४२ में सम्भवतः एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जय प्रकाश जी के ऊपर और सुभाषजी के ऊपर यहां की कम्युनिस्ट पार्टी यह दोषारोपण करती थी कि यह जापान से मिल करके हिन्दोस्तान पर जापानी ताकत को लाने के लिये प्रयत्नशील हैं। तब मुझे याद

[श्री राजनारायण]

आता है कि सम्पूर्णानन्द जी ने कम्युनिस्ट प्रयत्नों का विरोध करते हुये कहा कि इस प्रचार से काम चलने वाला नहीं है और आगे उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि कन्धा तो बदले। उन्होंने कहा था कि आज मुल्क अंग्रेजी साम्राज्यवादी कुचालों से ऊब गया है और मुल्क में लोग कन्धा बदलने के लिये ज्यादा लालायित हो गये हैं। अब मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि मुल्क में एक बड़ा सेक्शन अब बनता जा रहा है जो यह कहता है कि मुल्क का कन्धा बदले। अगर यह मनोवृत्ति ज्यादा लोगों के दिल में घर कर जायगी तो क्या आप की हालत होगी और क्या मेरी हालत होगी ?

उस दिन की कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचता हूं कि आखिर क्या परिस्थिति पैदा होगी ? श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि तिब्बत पर जो उथल-पुथल मचने वाली हो या जो हो रहा हो उसको आइरन हैंड से डील करना (कड़े हाथ से रोकना) चाहिये। लेकिन वहां के लोगों की साइकालोजिकल मनोवृत्ति को बदलने के लिये उनकी श्रम शक्ति का, उनके वस्त्र का, उनकी रोटी का, उनके निवास स्थान का, उनके बच्चों की तालीम का, रोगियों की दवा का, इन्तजाम होना चाहिये। जब तक सरकार यह इन्तजाम नहीं कर पायेगी तब तक चाहे सरकार हमसे पुलिस पर दसगुना ग्राण्ट ले ले, मगर सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पायेगी।

इसी पुलिस के सम्बन्ध में श्रीमन् मैं एक घटना निवेदन कर देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश प्रजा सोशालिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता श्री बागेश्वर यादव, वकील, आजमगढ़ के रहने वाले हैं जब वे गिरफ्तार हुये तब मैं भी उस मीटिंग में था। हम लोग किराये की टैक्सी से वहां गये थे। उनके गिरफ्तार होनेके बाद वहां की पुलिस से यह कहा गया कि पुलिस स्टेशन तक इस कार का इस्तेमाल कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि इस टेक्सी पर नहीं बिठलायेंगे क्योंकि हमको हुक्म है कि हम पैदल ही लायें। श्रीमन्, घुटने भर पानी में, रात की बेला में, बागेश्वर यादव, वकील को घसीटते हुये ढकेलते हुये पुलिस थाने पर लाया गया चार मील और फिर बागेश्वर यादव को थाने से दूसरे दिन हाथों में हथकड़ी डाल करके लाया गया। वे कोई चोर नहीं थे, कोई डाकू नहीं थे, कोई ऐसे आदमी नहीं थे जो भाग जाते। उन्होंने श्रीमन्, नोटिस दे करके सत्याग्रह किया था। उन्होंने सत्याग्रह जिलाधीश को बता करके किया था कि मैं फलां तारीख को फलां स्थान पर सत्याग्रह करने जा रहा हूं। श्रीमन् व्यक्तिगत सत्याग्रह में शायद आप भी गये हों। उस सत्याग्रह में हमारा यह नारा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी हुकूमत द्वारा चलाई गयी लड़ाई में एक पैसा और धनजन से मदद देना हराम है। इतने नारे पर हम हथकड़ी पहन करके कभी नहीं गये। मगर यह कांग्रेस गवर्नमेंट की हुकूमत है यह जनतांत्रिक प्रणाली पर चलने वाली हुकूमत की पुलिस है। जरा इधर आप ध्यान दें, हम लोग बहुत परेशान हैं। आप हम लोगों के अधिकारों की यहां पर सुरक्षा करते-करते परेशान हैं। मगर मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा बाहर की दशा का भी ख्याल करें और बाहर की दशा का ख्याल करके थोड़ा सा हम लोगों पर रहम करें। मैं इस सदन के सदस्यों से भी कहूंगा कि जो हम इजहार करें उस पर वे गौर करें। हम किसी सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करने के लिये यह बातें नहीं कह रहे हैं। हम वस्तविकता बतला रहे हैं। क्या यह सही है या नहीं जो मैं बता रहा हूं ? हमने जिलाधीश को फोन किया कि बागेश्वर यादव, जो बार असोसिएशन के मेम्बर हैं, वाइस चेयरमैन आफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आजमगढ़ हैं, उनके साथ यह दुर्व्यवहार हो रहा है। आप यह भी देखिये कि पुलिस ने उनको खाना नहीं खिलाया। वहां कचहरी के पास एक होटल है। उनके साथी वकीलों ने जब देखा कि बागेश्वर यादव इस तरह से जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको खाना खिलाया। जब जिलाधीश को मालूम हुआ कि बागेश्वर यादव गिरफ्तार हो करके आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मोटर भेज दी। हम उनकी कुशलता की तारीफ करते हैं। यह नहीं कि उन्होंने न्याय से प्रेरित हो करके ऐसा किया। उन्होंने यह देखा कि अगर बागेश्वर यादव, वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मेम्बर आफ बार असोसिएशन, सेक्रेटरी आफ

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, मेम्बर आफ प्राविंशल एक्जिक्यूटिव कौंसिल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इतनी सब उपाधियों को रखते हुये अगर होटल में रहेंगे तो चारों तरफ से कचहरी की पब्लिक घेर लेगी। इस तरह से जल्दी से कार भेज करके जिलाधीश साहब ने उनको जेल में भेजवा दिया।

मगर श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं अपने सम्मानित मंत्री जी से कहना चाहता हूं जिनको स्थान प्राप्त है हमारे में से कई लोगों के गुरु होने का भी, वह जरा इधर ध्यान दें और अगर ध्यान नहीं देंगे तो समय बीतता जा रहा है और इस रफ्तार से मुल्क भाग रहा है कि अगर आज से दस साल पहले की रफ्तार को देखा जाय तो आज की रफ्तार उससे ७ गुना ज्यादा है।

मैं श्री गोपाल नारायण सक्सेना के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। उनको चार मील पैदल ले जाया गया। रास्ते में पानी पड़ा हुआ था, फिर ऊपर से रोगी, दुर्बल काय, ऐसी हालत में ४ मील उनको दौड़ाना यह इसी जनतांत्रिक सरकार को शोभनीय है। इसके बाद मैं श्रीमन्, आपसे जन-स्वास्थ्य के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इस बारे में हमारे एक सम्मानित सदस्य पहले ही बोल गये और उनसे मैं यह निवेदन कर दूं कि आजकल जनस्वास्थ्य की सुरक्षा हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। इस वक्त हमारे माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त जी नहीं हैं। मैं उन्हें बतलाता कि ४६ में २० हजार रुपया जो सामूहिक जुरमाने के रूप में वसूल हुआ था जिसको बनारस में अस्पताल बनाने के लिये दिया गया था उसका निर्माण आज तक नहीं हुआ। माननीय कमलापति जी उसके बारे में विशेष जानकारी रखते होंगे। एक बार नहीं चार बार निजी तौर पर मैंने पत्र लिखे कि उस रुपये की व्यवस्था कब होगी, वह भवन कब बनेगा लेकिन उस रुपये को आज तक खर्च नहीं किया गया। वहां के लोग तैयार हैं कि अगर रुपया कम हो तो और रुपया वे दे सकते हैं लेकिन सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण रुपया खर्च नहीं किया गया। ऐसी हालत में जन-स्वास्थ्य पर रुपया हम कैसे मंजूर कर सकते हैं? बनारस स्टेट में एक डाक्टर के० सी० रायजादा हैं। भदोई के मेडिकल आफिसर हैं। मैं संकेत के लिये कहना चाहता हूं कि इतना अमानवीय कार्य इस व्यक्ति ने किया है जिसका शोक वहां के नागरिकों को है। बेचनराम गुप्त जी ने बनारस में आकर इस सिलसिले में मुझसे बातें कीं और जब विधान सभा की कार्यवाही में वह सम्मिलित होने आये तो यहां भी उन्होंने चर्चा की। उसने एक स्त्री के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। बराबर लिखते लिखते कई महीने बीत गये हैं लेकिन कोई समुचित कार्यवाही नहीं हो रही है। इस तरह की अनेकों शिकायतें उसके बारे में हैं। तो मैं कहां तक आशा करूं कि यह सरकार कितनी दूर तक करप्शन (भ्रष्टाचार) को रोक सकेगी, दवाओं का समुचित प्रबन्ध कर सकेगी, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेगी? हरगिज नहीं कर सकेगी। हर तरफ यह सरकार असफल हुई, यही नतीजा हम निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपके द्वारा इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम चारों तरफ देखें, चाहे किसी भी विभाग को देखें, चारों तरफ करप्शन ही करप्शन दिखता है और परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कुछ कहा नहीं जाता। एक वाक्य में इतना ही कह सकता हूं कि अब इस सरकार के बूते की बात नहीं है। अगर देश को बानना है तो पूरे तौर से इस सरकार को बदल देना चाहिये। इस सरकार को समझ लेना चाहिये कि उससे अब देश की आकांक्षायें पूरी होने वाली नहीं हैं। जब मैं सरकार कहता हूं तो मैं सरकार और पार्टी का अन्तर समझता हूं। माननीय सदस्य इस बारीकी को समझ लें कि ५ मूल तत्व होते हैं जनतंत्र में। व्यक्ति का स्थान अलग, पार्टी का स्थान अलग, सरकार का स्थान अलग, स्टेट का स्थान अलग और सोसायटी का स्थान अलग। जहां इनमें किन्हीं २ को मिला दिया जायगा वहां जनतंत्र नहीं चलेगा। जहां पार्टी और सरकार दोनों मिल जावेंगी वहां डिक्टेटरशिप आ जायगी। इसलिये पार्टी का भी फर्ज है कि सरकार पर काबू रखे। इस सरकार के कारनामों को देखकर हर व्यक्ति यही कहेगा कि इसने देश में, प्रांत में गरीबी, बेकारी और भुखमरी बढ़ाई है और इस तरह बहुत ही बड़ा अपराध किया है।

कुछ मैं स्टेट डिपार्टमेंट के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी यहां विद्यमान हैं जिनका इस विभाग से सीधा संबंध है इसलिये मुझे जुर्रत हुई कि उसकी कुछ चर्चा

[श्री राजनारायण]

कर दूं। वहां अभी चन्द महीने हुये एक असिस्टेन्ट स्टेट आफिसर की नियुक्ति की गई है जबकि हर तरफ पैसे की कमी बताई जाती है। दूसरे स्टेटों में भी आप देखिये, बम्बई, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ईस्ट पंजाब, आसाम, मदरास, हैदराबाद और मध्य प्रदेश में कोई स्टेट आफिसर नहीं है तो फिर यहां इसकी क्या आवश्यकता है? आपको श्रीमन्, मालूम होगा कि सन् १९४७ से पहले ऐसा आफिस नहीं था। सन् १९४७ में केवल एक श्री महबूब आलम खां को नैनीताल में मीटिंग करने के लिये रखा गया था। उसके बाद १९४७ में ही इस पद पर एक श्री लालसिंह की, जो कि सुपरिंटेंडेंट के काडर के थे, नियुक्ति हुई। ४७ से आज ५३ का जमाना आ गया है और ५४ ही समझिये, बिलकुल इस डिपार्टमेंट का एक जाल सा बिछ गया, स्टेट आफिसर, असिस्टेंट स्टेट आफिसर, ५ केयर टेकर्स और बहुत से आदमी हैं। एक तो यह डिपार्टमेंट मंत्रियों की कारों का प्रबन्ध करता है जिनकी संख्या १२ है और १२ कारें दूसरी हैं। हमारे माननीय सदन के सदस्यों के स्थान की परिस्थिति देखना कि उनको जगह मिल गई है या नहीं, यह भी इसका काम है। इसके लिये एक असिस्टेंट स्टेट आफिसर की और नियुक्ति होती है और करीब ३०० आदमियों का जाल सा बिछा हुआ है। तो अब हमारे यहां सदस्यों के रहने की व्यवस्था भी बदल गई और करीब करीब परमानेंट सिस्टम (स्थायी व्यवस्था) हो गया और अब तो बिल्डिंग भी नहीं बन रही है, वह भी करीब करीब पूरी हो गई है, तो इस तरह से काम के कम होने पर भी नयी जगह पैदा की गई जिसको करीब ७०० रुपये की तनख्वाह मिलेगी और दूसरी तरफ छोटे लोगों की छटनी हो रही है मीनियल स्टाफ की। जो झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं उनकी छटनी होती है क्योंकि जहां दो आदमी काम कर रहे हैं वहां एक आदमी से काम चल जायगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी की खिदमत में भेज दूंगा। वह घबड़ाएं नहीं, बड़ी वैल्यूएबिल रिपोर्ट है। इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि तमाम का ओवरहालिंग होना चाहिये, हर तरफ से ओवरहालिंग होना चाहिये, एक तरफ से काम नहीं चलेगा। मेरा सजेशन यह है कि असेम्बली विभाग में ही दो चार आफिसर्स की और वृद्धि करना हो तो कर दी जाय क्योंकि यह विभाग हमारी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ सकता है।

श्री अध्यक्ष--अब माननीय सदस्य अपने भाषण को थोड़ा सा संक्षिप्त कर दें क्योंकि और लोगों को भी बोलना है। आप अपने ऊपर नियंत्रण कर लें।

श्री राजनारायण--मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जो एक ह्यूज डिपार्टमेंट (बढ़ा हुआ विभाग) स्टेट आफिसर का है उसको सरकार तोड़ दे और उसकी जगह पर ऐसी व्यवस्था कर दे, चाहे इसी सेक्रेटेरियट में ही कुछ और स्टाफ को बढ़ा दे। असेम्बली विभाग ही माननीय सदस्यों के रहने आदि की व्यवस्था करे या फिर पी० डब्ल्यू० डी० करे। इस समय स्टेट डिपार्टमेंट तो केवल एक पोस्ट आफिस का काम करता है, मुख्य काम पी० डब्ल्यू० डी० ही करता है। इससे जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। मैं थोड़े में निवेदन करता हूं कि सरकार हमारी बात को समझे और इस डिपार्टमेंट को समाप्त कर दे और कम खर्च में ऐसी व्यवस्था करे जिससे हमें न तो कोई तकलीफ ही हो और न खर्चा ही ज्यादा हो। सबको सुख तथा सुविधा प्राप्त हो। अगर हमारे सजेशन (सुझाव) को सरकार नहीं मानेगी तो सरकार ने देश को तो चौपट किया ही है और निकट भविष्य में वह परिस्थिति पैदा करेगी जिसका सामना सरकार की कोई ताकत पुलिस तथा मिलिट्री नहीं कर सकती है। वह परिस्थिति जनशक्ति की होगी जो सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति को समाप्त करने के लिये होगी। जहां तक मेरा वश चलेगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का वश चलेगा, वह इस शक्ति का प्रयोग शांति तथा अहिंसा के रास्ते पर चलकर करेगी लेकिन इसका दारोमदार सरकार की दकियानूसी नीति पर भी निर्भर है। यदि समय पर नहीं चेतेगी तो अहिंसात्मक स्वरूप हिंसात्मक भी हो सकता है।

१९५३–५४ के अनुपूरक अनुदानों पर भाषणों के लिए समय की सीमा का निर्धारण

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि समय निर्धारित कर दिया जाय। मेरा प्रस्ताव है कि प्रत्येक सदस्य के लिये १० मिनट का समय रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं और दलों के जो नेता हैं उनके लिये १५ मिनट किये देता हूं और १० मिनट साधारण मेम्बरों के लिये और माननीय मंत्री जो बोलें उनके लिये २० मिनट से अधिक नहीं होना चाहिये। परन्तु वित्त मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी के लिये समय निर्धारित नहीं करता हूं। बाकी अपने अपने विषय के बारे में मंत्री गण बोलना चाहें तो २० मिनट उनके लिये दिये जायेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—१५ मिनट या १० मिनट ?

श्री अध्यक्ष—१० मिनट।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, यदि आज सदन का समय ५ बजे से ७ बजे तक बढ़ा दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये आप कभी भी प्रस्ताव ले आयें।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, पूरक अनुदान को उपस्थित करने के बाद उस पर वादविवाद का अवसर लेते हुये, मैं आपके द्वारा कुछ ही अनुदानों पर अपने विचार उपस्थित करके, सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगा। अभी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि लंच के बाद यदि आप बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

१९५३–५४ के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद–(क्रमागत)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरक अनुदान के वाद-विवाद के अवसर को लेते हुये आपके द्वारा सरकार का ध्यान कुछ अनुदानों पर दिलाना चाहता हूं। जितना रुपया इस पूरक अनुदान के द्वारा सरकार माँग रही है उस रुपये के देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एक आपत्ति मुझे जरूर है और वह अनुदानों के सिलसिले में जो तरीका बरता जाता है, उसके बारे में। जब जब बजट या पूरक अनुदान इस भवन के सामने आते हैं तब तब हमें वही आपत्ति होती है। मेरे विचार से सरकार जितना रुपया खर्च करती है उसके प्रपोर्शनेट अमाउन्ट को देखते हुए इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उस रुपये का फायदा देहात की जनता को नहीं होता। सरकार की अनेक योजनायें हैं, अनेक स्कीम्स हैं, जिन पर करोड़ों रुपया व्यय किया जाता है और उनकी ओर जब हम ध्यान देते हैं और देहातों में रहकर माननीय सदस्यों ने देखा होगा और अगर ध्यान दिया होगा तो माननीय सदस्यों को मालूम हुआ होगा कि उतना फायदा ग्रामीण जनता को नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिये। हमारा देश शहरों का देश नहीं है। अगर सरकार की किसी योजना से ग्रामीण जनता को उतना लाभ नहीं होता जितना कि होना चाहिये तो यह कहना गलती न होगी कि देश को उतना लाभ नहीं हो रहा है जितना कि उस योजना से होना चाहिये। जब देश को फायदा नहीं हो रहा है तो उसके माने यह हैं कि सरकारी योजनाओं से सेंटर या जिलों के सदर मुकाम को ही लाभ पहुंच रहा है और इन्हीं दोनों के बीच पेपर योजना चला करती है। जनता का पैसा खर्च होने पर भी जनता को जो सहूलियतें और लाभ होने चाहिये वे नहीं हो पाते और न उसकी दिक्कतें ही दूर हो पाती हैं, जैसा कि हम और यह सरकार चाहती है।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

श्रीमन्, अभी सामान्य प्रशासन पर अपने विचार प्रकट करते हुये माननीय राजनारायण सिंह जी ने कुछ मिनिस्टरों के दौरे, चुनावों में उनके भाग लेने और वहां जाकर स्पीचेज देने के संबंध में कहा। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि चुनावों में मिनिस्टरों को जाने का पूरा अधिकार है। उन्हें अधिकार है कि वे चुनावों में भाग लें क्योंकि वे कहते हैं कि हम मिनिस्टर की हैसियत से वहां नहीं जाते हैं, हम लोग पार्टी के आदमी होकर जाते हैं। परन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि मिनिस्टर चाहे वहां व्यक्तिगत रूप से जायं अथवा पार्टी की हैसियत से या मिनिस्टर की हैसियत से, वे पार्टी अथवा मिनिस्ट्री से अलग नहीं हो सकते।

मिनिस्टर और पार्टी के नेता दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हो सकते। जब मिनिस्टर साहब देहात में पधारते हैं तो उनकी हिफाजत का इन्तजाम करना आवश्यक हो जाता है और उस इन्तजाम के लिये जिले के अधिकारियों का वहां रहना आवश्यक हो जाता है। इस तरीके से जनता के दिमाग में यह बात नहीं आ पाती कि फलां मिनिस्टर साहब नहीं बल्कि फलां साहब आये हुये हैं। इसलिये उनके उस व्यक्तित्व का असर चुनाव पर जरूर पड़ता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि यदि कोई मिनिस्टर साहब चुनावों में भाग लेना चाहते हैं तो उनको कुछ हिम्मत से भी काम लेना होगा और उनको यह भी जिलाधीश से कहना होगा कि हम वहां व्यक्तिगत हैसियत से जा रहे हैं इसलिये हमारे लिये कोई भी इंतजाम नहीं होना चाहिये। किसी भी जिला के पदाधिकारी को हमारे लिये वहां नहीं होना चाहिये और न हमारी हिफाजत का ही कोई इन्तजाम किया जाय। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमारे किसी देहात या शहर में कहीं भी किसी मिनिस्टर को कोई खतरा नहीं है। इसलिये यदि कोई मिनिस्टर एक पार्टी के लीडर की हैसियत से वहां जायं तो मैं समझता हूं उस समय जिले के पदाधिकारी उनके साथ न हों तो अच्छा है और मैं तो यह कहूंगा और क्षमा करेंगे हमारे मित्र कि मिनिस्टर साहबान के जाने से कम से कम मेरा तजुरबा तो यह है कि उनकी पार्टी को ज्यादा मदद मिलती नहीं है। जनता इसे पसन्द भी नहीं करती है। यहां तक कि मेरा एक छोटा सा कसबा है, वहां पर श्री पंत जी, हमारे मुख्य मंत्री, पधारे थे लेकिन जब वहां के लोगों ने सुना कि मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं तो जनता को यकीन नहीं हुआ। वह कह रहे थे कि इस छोटे से म्युनिसिपल चुनाव में पंत जी कैसे आ जायेंगे? लेकिन वह पधारे। तो पंत जी हों या और कोई, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई मदद मिलती भी नहीं है। हां, अपनी अपनी जगह पर हर व्यक्ति का असर पड़ता है और वे मिनिस्टर साहबान भी प्रभावित कर सकते हैं, उसका उनको पूर्ण अधिकार भी है लेकिन मैं समझता हूं कि आइन्दा जब मिनिस्टर साहबान वहां जायें तो जिले के पदाधिकारी उनके साथ न हों, सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह न किये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे और किसी पार्टी के नेता जाते हैं वैसे जायं तो उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्रीमन्, शिक्षा के अनुदान में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिये कुछ रुपया रखा गया है जो दिया जायगा और इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। साफ तौर से जब सरकार की भी यही नीति है कि हिन्दी को ऊंचा उठाय जाय लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात की ओर संकेत करता हूं। रिफार्मिस्ट जील में हिन्दी में ऊंटपटांग शब्द गढ़ कर रख दिये जायेंगे तो इससे हिन्दी मर जायगी, जिन्दा नहीं रह सकती। मैंने अखबार में पढ़ा था कि मध्यप्रदेश में कोई रघुबीर साहब हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार के लिये कुछ अनुवाद किया। मैं पूछता हूं कि अगर हमारी सरकार अपनी खतोकिताबत में कुर्सी के बजाय 'आसंडी' कहने लगे तो उससे हिन्दी मरेगी। ब्लाटिंग पेपर को मासी चूस समझने में कितने साल लग जायेंगे।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—"मासीचूस" नहीं 'मसिचूस' कहते हैं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—मसिचूस ही सही, चूसना तो हुआ ही। श्रीमन्, "मैनुस्क्रिप्ट" डुलिपि" और "आइंटमेंट" को "स्नेहलेप" कहने लगें तो क्या हो जायगा? यह सब क्या

तमाशा है। मैं कहता हूं कि जितना ही हिन्दी का प्रचार किया जाय उतना ही अच्छा है परन्तु यदि इस भावना को लेकर चलेंगे कि अंग्रेजी या उर्दू के कोई भी शब्द चाहे वे जितने अच्छे हों, चाहें हम उन्हें जितना समझते हों उनका अनुवाद करना आवश्यक है तो मैं समझता हूं कि यह हिन्दी पर कुठाराघात है और हिन्दी इस तरह जिन्दा नहीं रह सकती।

श्रीमन्, पुलिस के अनुदान में हमसे कहा गया है कि तिब्बत की सीमा पर हमें कुछ टुकड़ियां रखनी हैं सिक्योरिटी परपजेज के लिये। मुझे मालूम नहीं श्रीमन्, कि यह किस भावना को लेकर या किस खतरे को देखकर यह किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई हमले का खतरा है तो मैं सहमत हूं श्री राजनारायण जी से कि फिर इन टुकड़ियों को रखने से कोई फायदा नहीं होगा। एक दूसरी बात इस संबंध में और भी है कि बाहर के खतरों का हम इंतजाम करें लेकिन उसके बावजूद जो असल खतरा है उसकी ओर कोई ध्यान न दें यह ठीक नहीं है। यह जो डेलीगेशंस का हमला होता है मुझे मालूम नहीं है कि अगर कोई फ्रेंडली, कोई दोस्त है, कोई देश ऐसा है जो मित्रता रखता है उसके डेलीगेशंस आते हैं एक तरफ तो यह होता है और दूसरी तरफ हम उसी से खतरा समझते हैं और बार्डर पर २० लाख या एक करोड़ रुपया खर्च करते हैं। हमें यह करना चाहिये कि ये डेलीगेशंस के हमले कम हो जायं और इस पुलिस के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है सरकार की हमेशा यह कोशिश रही है कि पुलिस अपनी भावनाओं को बदले और पुलिस अब अपने को जनता का सेवक समझकर काम करे।

मैं सरकार को बधाई देता हूं कि जहां तक गजटेड अफसरों का प्रश्न है उन्होंने अपनी भावनाओं को और अपने वातावरण को बिलकुल बदल दिया है। परन्तु श्रीमन्, वे लोग जिनसे जनता का सम्पर्क रहता है, ग्रामीण जनता से सम्पर्क रहता है सब-इन्स्पेक्टर, कांस्टेबिल वगैरह मैं दावे के साथ इस बात को कहूंगा कि उनकी भावना बदली नहीं है बल्कि और भी दूषित हो गयी है और वे और अत्याचार करने लग गये हैं और जनता को अपना वे मालिक नहीं समझते हैं और जनता का अपने को सेवक नहीं समझते हैं। आप देखें कि राज्यपाल महोदय से लेकर आई० जी० पुलिस तक जहां भी अवसर होता है यह कहते हैं कि जनता को साथ देना चाहिये तो फिर जनता का साथ कैसे मिले इस पर जरा आप ध्यान दें। जनता की रक्षा के लिये रात को पुलिस की टोलियां भेजी जाती हैं। उसमें यह होता है कि जहां पर जाते हैं वहां पर वह जबर्दस्ती खाना खाते हैं और पैसा भी लेते हैं। और बहुत जगह के लिये तो यह सुनने में आया है कि उन्होंने औरतों की इज्जत भी ली है। तो इस प्रकार के रवैये से यह आशा कैसे की जाती है कि जनता सहयोग देगी ?

कहा जाता है कि जनता का सहयोग नहीं मिलता है। किसी डकैती की मदद के लिये सबूत नहीं मिलता है। जनता किस प्रकार से साथ दे जब उनके साथ पुलिस अपना उस प्रकार का बरताव नहीं करती है जैसा कि करना चाहिये। अगर किसी जगह की पुलिस की रिपोर्ट की जाती है कि पुलिस वहां जाकर इन्क्वायरी करे तो ४, ५ महीने के बाद पुलिस इन्क्वायरी करने आती है और लोग उस समय तक अपना हाल सब भूल जाते हैं तो ऐसी भावना के अन्तर्गत जनता का सहयोग पुलिस को नहीं मिल सकता है। जनता का सहयोग पुलिस को तभी मिल सकता है जैसा कि गजटेड अफसरों ने अपने रवैये को बदला है उसी प्रकार से यह छोटे सब-इन्स्पेक्टर और कांस्टेबिल भी अपने रवइये को बदलें और अपने को जनता का सेवक समझने लग जायं। जितना सहयोग पुलिस चाहती है और सरकार चाहती है वह तभी मिल सकता है जब कि पुलिस जनता की सेवक बन जाय और जनता की रक्षक अपने को समझे। आज हालत यह है कि किसी गांव में अगर सब-इन्स्पेक्टर और कांस्टेबिल चले जाते हैं तो वह भय के मारे दूसरी जगह चले जाते हैं और छिप जाते हैं। लेकिन जब पुलिस की भावना बदलेगी तभी जनता के साथ उनका अच्छा बरताव हो सकता है और तभी जनता का सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसलिये मैं फिर कुछ न कहकर इतना ही निवेदन करूंगा कि यदि आप जनता का सहयोग चाहते हैं तो इन लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना जरूरी है।

श्री बेचन राम गुप्त (जिला बनारस)—श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजनारायण जी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना और सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने भाषण में बहुत सी बातें कही थीं जिनका संबंध इस सप्लीमेंटरी बजट से नहीं था। मैंने उनकी प्रजातंत्र की बातें सुनीं जिनका जिक्र वह अक्सर समय समय पर किया करते हैं और इस सप्लीमेंटरी बजट से उनका कोई संबंध नहीं था। मैं यह कहूंगा कि उन्होंने उस दृष्टि से इस सप्लीमेंटरी बजट पर विचार नहीं किया जिस दृष्टि से उनको विचार करना चाहिये था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह एक परम्परा सी हो गई है कि सप्लीमेंटरी बजट इस सदन में लाया जाता है। क्या मैं श्री राजनारायण से पूछ सकता हूं कि वह कौन-सी स्टेट्स हैं कि जहां सप्लीमेंटरी बजट नहीं लाया जाता है? अगर वह बजट मैनुअल या फाइनेंशियल रूल्स देखें तो उनको मालूम होगा कि सप्लीमेंटरी बजट का आना साल भर में या ६ महीने में बहुत जरूरी है और वह बहुत बड़ी दिक्कत को हटा देता है। अगर ग्रांट्स में बचत होती है या कमी होती है तो यह जरूरी हो जाता है कि सप्लीमेंटरी बजट में उनको एडजस्ट कर लिया जाय और कभी कभी ऐसे आइटम्स पर भी सप्लीमेंटरी बजट लाना जरूरी हो जाता है जिन की वर्ष के बीच में जरूरत पैदा हो जाती है। परन्तु उन्होंने कहा कि सप्लीमेंटरी बजट की एक प्रथा सी हो गई है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस दृष्टि से देखें तो सप्लीमेंटरी बजट बहुत ही अच्छा और जरूरी चीज है। पिछले कई वर्ष से सप्लीमेंटरी बजट देखने का मुझे मौका मिला है परन्तु मैं समझता हूं कि इस साल जो सप्लीमेंटरी बजट सदन में आया है वह बहुत ही अच्छा है। इसमें ५२ ग्रांट्स में से केवल ९ ग्रांट्स ऐसी हैं जिसके लिये सब्सटेंशियल रुपया मांगा गया है और बाकी तो सौ सौ रुपये की टोकन ग्रान्ट्स ही हैं और किसी में भी ४०० रुपये से अधिक नहीं मांगा गया है। इससे अच्छा और क्या हो सकता था।

श्री राजनारायण जी ने इरिगेशन के बारे में कहा कि सरकार की ट्यूबवेल्स की योजना गलत है और यह भी बताया कि उन्होंने इरिगेशन के बारे में एक योजना बनाई है जिसको वह सरकार के पास भेज रहे हैं। उनकी पूरी योजना तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन उन्होंने इतना बताया था कि सरकार दस दस बीघे पर पक्के कुयें बनवा दे। मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि सरकार ने अपने बजट में जहां तक पक्के कुओं का संबंध है काफी रुपया पहले से ही रख दिया है और उस से जनता को काफी फायदा हुआ है। ऐसा किया गया है कि जो पक्का कुआं बनवायेगा उसे ४०० रुपया सरकार से मिलता है। उन्होंने ट्यूबवेल्स का विरोध किया। मैं उन से निवेदन करूंगा कि जहां तक बनारस जिले का संबंध है वहां सिवाय ट्यूबवेल्स के कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे सिंचाई का काम चल सके। इसलिये मैं उनकी इस बात का विरोध करता हूं कि बनारस में ट्यूबवेल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ग्रांट नम्बर १२ के बारे में कहा कि ३ लाख का खर्च एलेक्शन की मद में रखा गया है। मैं माननीय राजनारायण जी को बताना चाहता हूं कि यह रुपया क्यों रखा गया है। उनको मालूम होगा कि पहले मार्च में चुनाव होने वाले थे लेकिन वे नहीं हो सके। वह जाकर अक्टूबर में हुये। मैं समझता हूं कि यह ३ लाख रुपये का खर्च भी जरूरी था और हमें इसे मंजूर करना चाहिये, क्योंकि इसके बगैर चुनाव हो ही नहीं सकते थे। हमें इसको भी पास करना चाहिये।

दूसरी ग्रांट नम्बर ३२ है जिसके लिये ४ लाख रुपया रखा गया है। माननीय राजनारायण जी जानते हैं कि पूर्वी जिलों में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ और किसानों की तकावी व टेस्ट वर्क्स के लिये यह ४ लाख रुपया रखा गया है और जो छोटे मोटे काम हैं वह इससे हो सकते हैं। इसी तरह से ग्रांट नम्बर ४५ पर ८३ लाख ३२ हजार रुपया है। यह सिन्दरी की फरटिलाइजर फैक्ट्री के लिये है। हर एक स्टेट को अपने लिये फरटिलाइजर खरीदने पड़ते हैं जिसके लिये यह ८३ लाख ३२ हजार का खर्च दिखाया गया है और उसका जहां तक मैं समझता हूं ठीक ट्रांसफर संयुक्त प्रांत सरकार के एकाउन्ट से उनके सेंट्रल एकाउन्ट में चला गया है। तो यह भी बहुत जरूरी है कि हम इस आइटम को मंजूर करें, क्योंकि इसके

बगैर मंजूर किये हुये काम नहीं चल सकता है और फर्टिलाइजर खेती के लिये बहुत जरूरी हैं। उसी तरह से ग्रांट नं० ४७ में ३०लाख ४सौ रु० की आवश्यकता बताई गई है और उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा ख्याल है कि रुपया मिला है जिसमें कि कानपुर या और जो इंडस्ट्रियल टाउन हैं वहां पर छोटे छोटे मकान मजदूरों के लिये बनाये जायेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी रुपया इस ग्रांट के जरिये मांगा गया है वह रुपया बहुत जरूरी है और हमको उसे मंजूर करना चाहिये।

दूसरी बात जिसकी तरफ कि हमारे बाबू राजनारायण सिंह जी ने सरकार का ध्यान दिलाया, यह है कि सरकार टोकेन ग्रांट १०० रु० का मांगती है और वस्तुस्थिति पर परदा डालती है। अगर वह कोई भी फाइनेंशल बुक उठाकर पढ़ें या बजट मैन्युअल उठाकर देखें तो उसका यह नियम है कि जब एक मेजर हेड में कई सबहैड्स होते हैं और एक सब हैड से दूसरे सब हेड में रुपया ट्रांसफर होता है तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती और इसके लिये एक टोकेन ग्रांट रख दी जाती है इस वास्ते कि वह एक फार्मल चीज होती है। इसमें वस्तु-स्थिति पर कोई परदा डालने की बात नहीं है। एक बात की ओर मैं खास तौर से वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा और वह यह है कि सप्लीमेंटरी बजट पास होने के बाद जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, जिनको खर्च करना होता है उनके पास सैंक्शन अथारिटी नहीं जाती है। बहुत देर में जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि साल के अन्त में लोग जल्दी जल्दी खर्च करने लगते हैं ताकि किसी तरह से रुपया खर्च हो जाय। ऐसा करने से रुपया गलत कामों में भी कभी कभी खर्च हो जाता है। हमको १९५० और १९५१ का हिसाब देखने का मौका मिला। हमने देखा कि इलाहाबाद में, मैं उस इंस्टीट्यूशन का नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन वहां पर उन्होंने आखिर में देखा कि उनकी मद में रुपया है मगर वह खर्चा नहीं हो पाया है, तो उन्होंने किसी फर्नीचर वाले को एडवांस दे दिया क्योंकि इतना समय नहीं था कि कायदे से वह फरनीचर खरीदते। तो यह बहुत गलत तरीका है कि इस तरह से साल के अन्त में रुपये को निकाल कर जल्दी जल्दी खर्च कर दिया जाय। ज्यादा अच्छा यह है कि जो सैंक्शनिंग अथारिटी है, डिपार्टमेंटल हैड्स के पास वह ऐसे समय पर दे दी जायं जिससे वह उस रुपये का सदुपयोग कर सकें? यह भी देखा गया है कि खर्च तो हम करते हैं लखनऊ में और हिसाब रहता है इलाहाबाद में। डिपार्टमेंटल हेड को कुछ पता नहीं रहता है कि उनका हिसाब किस तरह से चल रहा है। उसमें कभी एक्सेस हो जाता है, कभी बचत हो जाती है। तो यह भी एक बहुत गड़बड़ी की बात है, क्योंकि उनको कुछ पता तो रहता नहीं है। इसलिये कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिसमें पता चलता रहे कि जो रुपया वे खर्च कर रहे हैं वह अपनी ग्रांट के अन्दर खर्च कर रहे हैं या उसके बाहर वे जा रहे हैं, एक्सेस हो रहा है या बचत हो रही है, क्योंकि बचत का होना भी खराब है और एक्सेस का होना भी खराब है। इस वास्ते उसके लिये कोई न कोई उपाय सोचना चाहिये जिससे कि एकाउण्ट ठीक से रक्खा जाय। दूसरी बात यह कि बहुत से ग्राण्ट इतने लम्बे हो गये हैं कि उन पर कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है जैसे कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिये, ग्रान्ट नम्बर १२ या ऐग्रीकल्चर का ग्रान्ट ले लीजिये। उसके भीतर इतने डिपार्टमेंट्स हैं कि जो डिपार्टमेंट के हेड्स खर्चा करते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और आखीर में जब साल भर बाद हिसाब होता है तो मालूम होता है कि इतने रुपये की बचत हो गई। जब कहा जाता है तो कहते हैं कि जहां पांच पांच, छः छः करोड़ का बजट है वहां पर एक लाख दो लाख की बचत होती है तो कोई ज्यादा नहीं है। इस वास्ते मैं निवेदन करूंगा कि जो बड़े बड़े ग्रान्ट हमारे बजट में हैं जिनका अभी मैंने वर्णन किया, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन, ऐग्रीकल्चर वग़ैरह, उनको तोड़ दिया जाय और तोड़ करके उसमें दो तीन ग्रांट कर दिये जायं। १ करोड़ १७ लाख ५३ हजार एक सौ रुपये का ग्रान्ट जो है वह कर्ज के रूप में लोकल बाडीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, नोटीफाइड एरिया वग़ैरह को दिया जाता है। मगर मैं यह देखता हूं कि वह खर्च नहीं कर पाते हैं और दोबारा उनको वह ग्राण्ट दे दिया जाता है। तो उनका कोई सार्टिफिकेट भी समय पर नहीं आता कि उन्होंने उस रुपये को यूटिलाइज किया। इस बात का भी खयाल रखा जाय कि जब ग्रान्ट किसी

[श्री बेचनराम गुप्त]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड को दी जाय तो जब तक उस ग्रान्ट का उपयोग न कर लें तब तक और ग्रान्ट न दी जाय।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान के साथ विरोधी पार्टी के नेता श्री राजनारायण सिंह के व्याख्यान को सुना। आशा थी कि उसमें से कुछ सुझाव मिलेगा, जिससे सदन को फायदा होगा, लेकिन निराशा हुई। आपने बहुत सोच समझ कर यह बतलाया कि तिब्बत के सामने जो तैयारी हो रही है वह काफी नहीं है, और हेल्प करनी चाहिये और सिर्फ तलवार, बन्दूक और दूसरे हथियारों से ही रक्षा नहीं हो सकती है, बल्कि हमारे सोशलिस्ट प्रोग्राम को मंजूर कीजिये, ताकि पब्लिक की हमदर्दी आप के साथ हो जाय, वह काफी होगा। पेट भरने का प्रोग्राम वही जो आप का है और वह सोशलिस्ट तरीक़े से हो सकता है। एक ही बात है। शब्दों के बदलने से भाव नहीं बदलता। इस प्रोग्राम पर बहुत व्याख्यान हुए, पब्लिक को समझाया गया, लेकिन पब्लिक नहीं समझती। मैं अर्ज़ करता हूं कि बर्मा में सोशलिस्ट हुकूमत है, लेकिन वहां भी सशस्त्र बगावतें हुईं। इसलिये यह ख्याल कि सोशलिस्ट हुकूमत आने के बाद सब के सब खुश हो जायंगे, मुखालफत बन्द हो जायगी यह ग़लत बात है। चीन में और पूर्वी जर्मनी में कम्युनिस्ट हुकूमत है, लेकिन पूर्वी जर्मनी में लोग बगावत करते हैं। सोशलिस्ट हुकूमत को किसान और मजदूरों को भूनना पड़ता है। रूस में कम्युनिस्ट लीडर ही, बेरिया वगैरह, गिरफ्तार हैं। इसलिये इसमें कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है कि कम्युनिज्म आ जायगा तो सब लोग संतुष्ट हो जायंगे।

इसके अलावा आप ने एक मजेदार बात कही है कि अंग्रेजों के जमाने में जेलखाने में आराम था, इज्जत की निगाह से लोग देखते थे, कर्मचारी लिहाज करते थे और अब तकलीफ हो गयी। शिकायत करते हैं जेलर और सिपाहियों की कि हमारे लिए कुछ नहीं हो पाता। ठीक फरमाया। पुलिस अंग्रेजों के जमाने में हमारे साथ रिआयत करती थी, अब ज्यादा सख्ती करती है। इसको जोरदार शब्दों में कोई साधारण आदमी कहता तो मुझे ताज्जुब नहीं होता, लेकिन एक पढ़े लिखे लर्नेड व्यक्ति जब कहते हैं तो मुझे ताज्जुब नहीं होता है कि ऐसे बुजुर्ग इस पर ग़ौर क्यों नहीं करते। जरा ग़ौर फरमाइए कि स्वदेश को स्वतंत्र कराने के लिए, मुल्क की आजादी के लिये, दुश्मनों को निकाल कर बाहर कर देने के लिए क़ानून तोड़ना और बात है और अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए क़ानून तोड़ना दूसरी बात है। एक गाली सगा साला देता है तो तबियत खुश हो जाती है और वही गाली दुश्मन देता है तो तबियत जल जाती है। इसलिए अंग्रेजों को निकाल कर बाहर करने वालों में और उन देश-भक्तों में जो कि मुल्क के लिए जान देते हैं, जिनके पांडित्य, योग्यता, सूझ-बूझ, होशियारी, त्याग के सभी कायल हों उनको हटाकर बैठने में बहुत फर्क है। यही चीज है, जिसको जेल के लोग जानते हैं कि कानून की पाबन्दी न करने वालों के साथ क्या सलूक होना चाहिये। मैं भी जेल में रह चुका हूँ और वहां हमको लोग इज्जत की निगाह से देखते थे, वहां के जेलर कहा करते थे कि "शुक्ल जी, हम सिर्फ छोड़ नहीं सकते जेल से आपको, बाकी हर आजादी दे सकते हैं, जो चाहें आप करें।" एंग्लो-इंडियन जेलर थे। उन्होंने कहा कि जो काम कहिये कर सकता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता। उस वक्त में और अब में बड़ा फर्क हो गया है। उस वक्त हम दूसरों से लड़ते थे और अब हम अपनों से लड़ते हैं।

हुजूरवाला, पुलिस वालों की बड़ी-बड़ी शिकायतें की गईं। साथ ही साथ यह भी फर्मा दिया गया होता कि पुलिस ने कितना काम किया, किस किस तरह से उसने कंट्रोल किया, थोड़ी सी तनख्वाह पर और किस तरह से वह अपनी जान को हथेली पर लेकर डाकुओं को मार सकते हैं। मैं नहीं कहता कि सब पुलिस वाले देवता हैं। जिस तरह से पब्लिक है, उसमें बुरे भी आदमी हैं और अच्छे भी आदमी हैं, उसी तरह से अफसरों में भी हैं। लेकिन आप तो अच्छाइयां भूल ही जाया करते हैं कि किस तरह से पुलिस ने अभी हाल में कंट्रोल किया जब कि तार कट रहे थे और बल्ब फोड़े जा रहे

थे। आपने एक शब्द भी उनकी तारीफ में नहीं कहा। सिपाहियों ने ५, ५ रोज तक अपने बूट तक नहीं खोले। चोट लगने के बाद भी हमारे एस० पी० साहब बराबर काम करते रहे। जहां आप शिकायत करते हैं उसी के साथ साथ आप तारीफ भी कर दीजिये। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जब आप निन्दा करें उस वक्त उनकी अच्छाइयों को भी न भूल जायं। अध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में मैं अर्ज करता हूं कि जरा ठंढ़े दिल से सोचिये कि ये जो तमाम हुल्लड़बाजियां होती हैं वह तो कहिये कि हमारी कांग्रेस सरकार की शराफत है वर्ना कोई दूसरी सरकार तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिये मैं उम्मीद करूंगा कि जहां हमारे दोस्त पुलिस की इतनी शिकायत करते हैं वहां एक दो लफ्ज में तारीफ भी कर दिया करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेंट्री बजट आज हमारे सामने पेश किया गया है उस पर बहुत सी बातें तो माननीय बेचन राम गुप्त जी ने इस सदन के सामने रख दी हैं। इस सरकार की तरफ से इस सप्लीमेंट्री बजट को लाने का जो प्रश्न हुआ है, मुझे दुख हुआ यह देखकर कि हमारी सरकार ने कोई नया रुपया किसी भले काम में खर्च करने के लिये नहीं मांगा है। वही पुराना रुपया जो कि पिछले मार्च के बजट में हमारे सामने आया, और इस सदन में पास हुआ था उन मदों पर खर्च करने के लिये लेकिन उन मदों पर वह रुपया खर्च नहीं किया गया और उसमें से इस रुपये की बचत दिखाई गई। जो नये आइटम्स आफ एक्सपेन्डीचर उन्होंने खर्च कर दिये थे उसके लिये यह रुपया कानूनी तौर पर सप्लीमेंट्री ग्रान्ट के रूप में हमारे सामने लाये हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह बजेटिंग का तरीका ग़लत है। ७४ करोड़ रुपये का हमारा बजट था और उस वक्त सरकार की ओर से यह कहा गया था कि हमें डेवलपमेंट के और दूसरे बहुत से काम करने हैं, इसलिये रुपये की आवश्यकता है। यह कहां से आये, तो उस वक्त जितने रुपये की आवश्यकता होती है उसी के ऊपर हमारी टैक्जेशन पालिसी भी निर्धारित हो जाती है। हम यह जानना चाहते हैं कि जो रुपय इस सदन से जिन जिन आइटम्स पर मंजूर हो गया था, वह रुपया उन आइटम्स पर खर्च क्यों नहीं हुआ। अगर वह रुपया खर्च नहीं करना था, तो उसके लिये इस सदन में मांग रखने की क्या आवश्यकता थी? हमें तब खुशी होती जब जो रुपया हमने मंजूर किया था वह खर्च होता। देश और इस प्रदेश की उन्नति के लिये जितने रुपये की जरूरत होती, अगर उतने रुपये सरकार मांगती तो हम बड़ी खुशी से सरकार को देते। इसलिये इस सप्लीमेंटरी बजट के लिये हम सरकार को बधाई देने के लिये नहीं खड़े हुये हैं। दो करोड़ रुपया बचा है पुराने खर्चे में से। पहले जो बजट रखा गया था उसी में से जो रुपया बचा उसको उन्होंने नये आइटम्स पर खर्च करने के बाद आज उसको सदन की स्वीकृति के लिये रखा है। जैसा कि माननीय बेचनराम गुप्त जी ने बताया है कि अगर एक हेड में से दूसरे हेड में खर्च करना होता है तब तो डिपार्टमेंटल हेड्स ही कर लेते हैं, लेकिन जब नये आइटम्स पर खर्च करना होता है तब उसके सेंक्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिये यह बजट पेश किया गया है। बहुत सी टैकनिकैलिटीज के ऊपर, जब पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी, तब हम विचार करेंगे और सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिये सरकार को रुपया मांगना चाहिये था, लेकिन सरकार ने नहीं माँगा।

इस बजट में इरिगेशन की बातें हैं, अस्पतालों की बातें हैं, एनीमल हसबैंडरी की बातें हैं और भी बहुत सी बातें हैं जिनके लिये पुराने रुपये में से रुपया मांगा जा रहा है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन में रोज पूर्व और पश्चिम की लड़ाई होती रहती है। पश्चिम वाले कहते हैं कि यहां नहर का टैक्स बढ़ाया जा रहा है। पूर्व वाले कहते हैं कि हमें ट्यूबवेल्स

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

दीजिये, पानी की व्यवस्था कीजिये, सिंचाई की व्यवस्था कीजिये। लेकिन हम उत्तर और दक्षिण के बुंदेलखंड वाले और पहाड़ वाले पानी पीने के लिये मर गये। कहां सिंचाई के लिये लोग पानी मांगते हैं और कहां हमारे यहां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको तजुर्बा होगा कि सिंचाई तो दूर रही, पानी पीने को नहीं मिलता है। हमें खुशी है कि माननीय सिंचाई मंत्री ने हमारे इलाके का दौरा किया और हमारे यहां की प्राब्लेम को समझने की कोशिश की। हमने तो उनको यह कह करके संबोधित किया कि यदि वे हमारे यहां पानी की व्यवस्था कर देंगे तो हम उनको इन्द्रदेव समझेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे यहां पानी बरसा दिया। हमारे नीचे नदियां बहती हैं, लेकिन हम पानी के लिये तरस जाते हैं। हमारे यहां कैनाल्स का सवाल नहीं है। हमारे यहां नहरें नहीं बन सकती हैं क्योंकि राक्स को खोदना पड़ेगा। अगर हमारे यहां बिजली हो तो उससे पानी ऊपर चढ़ाने का इन्तजाम हो सकता है। लेकिन हमारे यहां बिजली का प्रबन्ध नहीं हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी से जब जनरल बजट आयेगा तब सब बातें कह लेंगे लेकिन इस समय इतना हम उनसे कहना चाहते हैं कि बजट रखते वक्त वे हमारे ऊपर भी कुछ थोड़ी मेहरबानी कर लें। यह जो दो डिपार्टमेंट्स अलग हो गये हैं इरीगेशन और हाइडल के, एक जगह बिजली पैदा होती है दूसरी जगह नहर सिंचाई का प्रबन्ध है, इससे बड़ी भारी दिक्कत हमारे सामने आ गयी है। हम किसके पास जायं। बिजली का प्रश्न है तो माननीय हाफिज जी इंचार्ज हैं, उनके पास जायं और अगर पानी की आवश्यकता है तो माननीय कमलापति जी के पास जायं। पता नहीं चलता कि किस तरह से पानी लें। हमारे यहां से तड़ाकताल की हाइडल की स्कीम भेजी गयी। नेचुरल ताल है और पानी के फाल से बिजली बनायी जा सकती है। हाईडल डिपार्टमेंट के पास वह गयी तो वहीं पड़ी हुयी है। इसलिये मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि हाइडल की स्कीम तड़ाकताल की नये बजट में खुलवा कर बिजली पैदा करवा कर पानी की व्यवस्था इन पहाड़ों में करवा दें उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहा जाता है कि मुख्य मंत्री जी सब चीजों को समझते हैं। मुख्य मंत्री जी तो वहां जाते भी नहीं लेकिन फिर भी सब चीजें उन पर छोड़ दी जाती हैं। हम तो इस सरकार से सिर्फ पानी मांगते हैं। हमारे यहां से ही नदियां आती हैं। हम चाहें तो उन्हें बन्द करवा दें। उनका मुंह उलटवा दें लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि हम लोग तो उदार हृदय वाले हैं। हम तो यही चाहते हैं कि कुछ हिस्सा पानी का हमें भी मिल जाय।

एनिमल हसबैंडरी की ओर हमारी सरकार का ध्यान गया। साथ ही साथ प्लानिंग की बात भी इसमें की गयी है। नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस के लिये केन्द्रीय सरकार कुछ रुपया देगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस काम को शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि साहब सोशलिस्ट पार्टी वाले फाइव ईयर प्लान को नहीं मानते। यह बात भ्रम में डालने के लिये कही जाती है। जहां अच्छा काम होगा हम साथ देंगे। श्रमदान को ही लीजिए। हम घमण्ड के साथ कह सकते हैं कि जितना श्रमदान पहाड़ी इलाके वाले दे रहे हैं उतना कोई नहीं दे रहा है। जितनी दिक्कत पहाड़ों पर सड़क काटने में होती है उतनी कहीं नहीं होती। श्रमदान में जहां ज्यादा काम होता है वहीं ज्यादा रुपया मिलना चाहिये। अगर इस तरह का कम्पटीशन हो तो हम उसके लिये तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस का सवाल है उन्हीं इलाकों में इस सर्विस को बढ़ाया जाना चाहिये जहां श्रमदान ज्यादा हुआ है। गढ़वाल, अल्मोड़े और नैनीताल में यह काम ज्यादा हुआ है। यहां मैदान में लेक्चर देने के अलावा कोई काम नहीं होता है।

एक दिक्कत यह भी है कि यहां से मंजूर हो जाता है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन नहीं मिलती। ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि २८ मार्च को एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन मिलती है और कहा जाता है कि तीन दिन में रुपया खर्च होना चाहिये नहीं तो रुपया लेप्स हो जाता है। मैं यह चाहता हूं कि जो रुपया सरकार मंजूर करे हमारी इज्जत इसी में है

कि उसको खर्च किया जाय और उचित ढंग से खर्च किया जाय। मैं यह चाहूंगा कि सरकार जरा इस ओर भी ध्यान देगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राजनारायण, सुरेश प्रकाश सिंह और मदन मोहन जी के भाषणों को सुनने का अवसर मिला।

एक सदस्य—सीताराम शुक्ल जी ने भी तो भाषण दिया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सीता राम जी का भी भाषण सुना, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि मेरे मित्र कहेंगे कि मेरे दल के हैं। जो कुछ भी बातें आज इस सदन के समक्ष कही गयीं उनको अगर मोटे तौर पर तीन विभागों में बांट दिया जाय तो उचित होगा। कुछ बातें तो सदन के समक्ष सदन के लिये नहीं किन्तु दर्शक गैलरी के लिये कही गयीं और कुछ सुझावों के रूप में कही गयीं और तृतीय श्रेणी उन बातों की है जो केवल कहने के लिये ही कही गयीं। जहां तक माननीय राजनारायण जी के भाषण का सम्बन्ध है, मुझे वह क्षमा करें। उनका सारा भाषण इस सदन के लिये नहीं वरन् दर्शक गैलरी के लिए था। सम्भव है कि वह अखबार में छपने के बाद उन व्यक्तियों को अच्छा लगे जो राजनारायण जी को योग्यतम व्यक्तियों की श्रेणी सबसे ऊपर रखना चाहेंगे और उनकी पार्टी की नीति को अपनाने के लिये उत्सुक हों। किन्तु सम्भव है कि उन्होंने यह विचार करके भी ये बातें कहीं हों कि आज के बाद उन्हें ऐसा मौका न मिले। उन्होंने ५ तत्वों का भी जिक्र किया, व्यक्ति, पार्टी, सरकार, स्टेट और सोसायटी। उनका जिक्र पुस्तकों में भी है और मैं सचमुच नहीं समझ पाया कि इनका जिक्र करके आखिर वे सदन से क्या चाहते हैं। उन्हें स्पष्ट बताना चाहिये था।

हमें सुरेश प्रकाश सिंह जी का आभारी होना चाहिये कि उन्होंने कुछ सुझाव यहां रख और मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे। मदन मोहन जी उपाध्याय ने कुछ पानी की मांग की जिसकी पूर्व और पश्चिम वाले सभी किया करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने किसी मद में खर्चा न करके दूसरे में ले गयी। मेरा विचार है कि यह बहुत ग़लत धारणा है। उन्हें जानना चाहिये था कि पूरक अनुदान दो प्रकार के होते हैं, एक तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स उन मदों के लिये होती हैं जिनके लिये रुपया कम पड़ा और उसके लिये इन मांगों के द्वारा सदन रुपया देता है। दूसरे वे जो बहुत आवश्यक कार्य हों उनके लिये सदन टोकिन ग्रांट के तौर पर मंजूरी दे दे जैसा कि इस बजट में है भी कि ज्यादातर तो अनुदान टोकिन के रूप में दिये गये कि यह कार्य बहुत आवश्यक है और भविष्य में उसके करने के लिये रुपया बजट से दिया जायगा। मैं नहीं जानता कि श्री मदन मोहन जी उपाध्याय का इस कहने से क्या तात्पर्य है कि रुपया बच क्यों गया। अभी तो वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो महीनों पड़े हुये हैं। जो बजट में व्यवस्था हुयी उसको निरन्तर खर्च किया जा रहा है। यह सम्भव है कि कुछ धन जो किसी स्थान पर अनावश्यक व्यय के रूप में स्वीकृत हो गया हो और वह खर्च न हुआ हो तो उसे बचत के रूप में किसी दूसरी जगह खर्च कर दिया हो तो क्या अनुचित है, मैं इसको समझ नहीं पाया हूं। मैं यह निश्चय के साथ कह सकता हूं कि कहीं से रुपया काटकर दूसरी जगह लगाया जाय, यह सप्लीमन्टरी ग्रांट्स का मकसद है, यह उनकी धारणा हो तो वह धारणा गलत है। किसी भी रूप में रुपया दूसरी जगह लगाया जाय यह सप्लीमेन्ट्री ग्रांट में नहीं है। जहां तक बजटिंग का नियम है उसके अनुसार यह सम्भव नहीं है।

अनुपूरक अनुदानों के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनमें इस प्रकार से खर्च किया जाता है। इसको मैं संक्षिप्त में सदन के समक्ष रख देना चाहता हूं कि यह पूरक अनुदान है; इनमें २,७२,७८,००० रुपया नये तौर से नहीं बल्कि जो कुछ मदों में खर्च

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

करने की व्यवस्था की गयी और उसमें से मोटे तौर पर तीन मदें हैं, जिनमें यह रुपया खर्च किया जायगा। एक रेवेन्यू एकाउन्ट्स, दूसरी कैपीटल एकाउन्ट्स वाली और तीसरी एडवांसेज की। इसमें अलग अलग मदों के अनुसार धन रखा गया है और रखा जाना भी चाहिये था।

मैं केवल दो तीन मदों की ओर ही सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वे कितनी आवश्यक थीं अथवा अनावश्यक थीं इसका निर्णय यह सदन कर सकेगा। मैं यह भी समझता हूं कि किस प्रकार से सप्लीमेन्ट्री ग्रांट्स की व्यवस्था बजट में की जाती है, सदन को इसके सम्बन्ध में बहुत ज्ञान है और जिस प्रकार से वर्ष में व्यय की या खर्च की व्यवस्था की जाती है वह इस प्रकार से है कि एक तो सरकारी लेखे जोखे से और इसके अतिरिक्त हमारे मिनिस्टर साहबान दौरा करते हैं उसके द्वारा जो नयी बातों का ज्ञान होता है उसके अनुसार और जो-जो नयी मांगें प्रदेश के अलग-अलग जिलों से तथा अलग-अलग हिस्सों से की जाती हैं उसमें जो अनुभव बनता है उसके अनुसार यह सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं और दी जाती हैं।

मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि श्री मदन मोहन जी ने अपने पहाड़ के लिये पानी मांगा है, मैं अपने जिले मथुरा का जिक्र करता हूं और इसके साथ साथ आगरा को भी सम्मिलित इसलिये करता हूं कि वह पड़ोसी जिला है और अलीगढ़ भी पड़ोसी जिला होने के नाते इसी श्रेणी में आजाता है। पूर्व और पश्चिम का इसमें प्रश्न नहीं है किन्तु प्रश्न आवश्यकता का है। मैं यह कहने में नहीं चूकूंगा कि मथुरा और आगरा जिलों की आवश्यकता और जिलों से अधिक है और विशेष रूप से सिंचाई के रूप में, क्योंकि दुर्भाग्यवश राजपूताना का रेतीला रेगिस्तान रोज रोज बढ़ता चला जा रहा है और हमें इससे अत्यन्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। मथुरा और ब्रज काव्य संगीत में गाई हुई भूमि है जिसमें लता और विटपों का ही वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान् कृष्ण की मुर्ली का ही जिक्र मिलता है। मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि वह भूमि बिगड़ती जाती है और उसकी कोई समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री गोवर्द्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश का बजट उस देश के निर्माण कार्यों के लिये तथा जनसेवा कार्यों के लिये होता है और यह सब कार्य रूप में परिणित किये जाते हैं सरकारी एड मिनस्ट्रेटिव मशीनरी द्वारा और वह मशीनरी जितनी कार्य-कुशल होती है उतना ही अधिक जनता का लाभ होता है। इसलिये मैं इस बजट के सम्बन्ध में अधिक बातें न कह कर केवल इस सदन का ध्यान और इसके साथ ही सरकार का ध्यान इस ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह किस प्रकार से कार्य कर रही है और उससे जनता को कितना लाभ या नुक्सान पहुंच रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को शासन की बागडोर को संभाले हुए क़रीब ७ साल हो गये। सरकार ने यह निर्णय किया था कि सामूहिक जुर्माने का रुपया वापस कर दिया जायगा और जो सार्वजनिक योजनाएं सरकार के पास भेजी जायेंगी उन पर वह खर्च किया जायगा। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि आज भी एक बड़ी संख्या में वह रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है और जिन क्षेत्रों में सामूहिक जुर्माना वसूल हुआ है उनकी ओर से कई मांगे उनके बारे में आ चुकी हैं, एक बार नहीं कई बार उसके बारे में लिखा पढ़ी भी हुई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

हाल ही में अल्मोड़ा जिले के हवाल बाग कृषि फार्म को कृषि विभाग से नियोजन विभाग के अन्तर्गत किया गया। केवल इतनी सी तब्दीली के कारण वहां के क्लर्कों का वेतन सात माह तक रुका रहा और सात माह बाद भी तब मिला जब कि सरकार के हर संबंधित विभग और उसके हर उच्चाधिकारी का दरवाजा खटखटाया गया। अध्यक्ष महोदय आज जब कि पहाड़ों में भुखमरी फैल रही है, ऐसे जमाने में, जिन लोगों को दैनिक मजदूरी मिलती है, छोटे-छोटे वेतन पाने वाले जिनको ४०, ५० रुपया माहवार मिलता है, उनको ७

महीने तक वेतन न मिले, सरकार ही सोचे कि यह चीज कहां तक मुनासिब है। अभी पिछली रबी की फसल के बाद दन्या में टेस्ट वर्क्स का कार्य आरम्भ किया गया। जब कि टेस्ट वर्क्स के मजदूरों को रोजाना शाम को मजदूरी मिल जानी चाहिये तीन बार अल्मोड़े से लखनऊ दौड़ धूप करने पर क़रीब दो महीने के बाद उनको पूरी मजदूरी मिली है। लीसे की रायल्टी सन् ४५ से ५० तक की सरकार के ख़जाने में जमा है। गांव निवासी गवर्नमेंट के अधिकारियों के पास बार-बार अपनी योजनाओं को भेजते हैं, बहुतेरी लिखा-पढ़ी करते हैं लेकिन हैरत इस बात की है कि रायल्टी का यह रुपया क्यों नहीं मिल पाता। बहरहाल अभी तक इस रुपये की अदायगी भी नहीं हुई।

अभी-अभी जिला अधिकारियों ने जिला अल्मोड़ा के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां टेस्ट वर्क तुरन्त शुरू हो जाने चाहिये लेकिन मुझे ज्ञात हुआ है कि केवल इस वजह से कुछ स्थानों पर काम शुरू नहीं किया जा सका कि उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, टूल्स नहीं हैं जो लोगों को दिये जा सकें। आज जिले के एक नहीं सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो तराई में घूम रहे हैं, घरबार छोड़ कर वहां आये हुये हैं, ताकि उनको मजदूरी का काम मिल सके और उनके बच्चों का लालन-पालन हो सके इसलिये यदि टेस्ट वर्क गूलों तथा सड़कों के निर्माणार्थ प्रारम्भ कर दिये जाते तो इससे लोगों को मजदूरी मिलने के अलावा सस्ते में निर्माण कार्य भी होते। मैं आपसे क्या अर्ज करूं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की ओर से अभी पिछले श्रमदान में जिले में कई हिस्सों में टूल्स भेजे गये थे। इस तरह की छोटी-छोटी चीजों का जिक्र कर सदन का समय लेने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन आज क़रीब पिछले एक डेढ़ साल के तजुर्बे के बाद मैं सदन का समय लेने के लिये मजबूर हुआ हूं। करीब ८-९ महीने का समय बीत गया, लेकिन जिन घोड़ों की पीठ पर टूल्स भेजे गये थे उन घोड़े वालों का भाड़े का रुपया नहीं दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने कोशिश की कि वह रुपया दे दिया जाय, लेकिन अभी तक टूल्स की मजदूरी का पैसा उन बेचारों को नहीं मिल सका। जिसकी वजह से सरकार को हजारों और लाखों रुपये का श्रमदान हुआ। श्रमदान के सिलसिले में जिन लोगों ने कार्य किया, जिला नियोजन समिति और जिला नियोजन अधिकारी की ओर से स्वीकृति मिलने पर ही किया। मगर उन कार्यों के लिये भी सरकार की ओर से पैसा नहीं मिल सका। फिर हम किस मुंह से जनता के पास जांय कि वह श्रमदान दे और यह कैसे उम्मीद करें कि आगे हमें जनता का श्रमदान मिल सकेगा। और बहुत से वाक़यात तो ऐसे भी हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने उसके लिये रुपया मंजूर किया और कार्य का निर्माण हुआ। कार्य के पूर्ण होने की रिपोर्ट भी आ गयी, लेकिन फिर भी साल का अन्त होना चाहता है, उन अनुदानों का रुपया, जिनमें करीब दो सौ, डेढ़ सौ और तीन सौ की रक़में हैं अभी तक नहीं दिया जा सका। इसलिये मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उसे ये सब वाक़यात अच्छी तरह मालूम हैं तो उसकी क्या बेबसी है, जिससे वह इन दिक्क़तों को दूर नहीं करा सकती, मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं। लेकिन अगर वह इससे अनभिज्ञ है तो मैं उससे कहना चाहता हूं कि जनता की कठिनाइयां आसान नहीं हो रही हैं, उसकी दिक्क़तें बढ़ रही हैं, इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस ढंग से चालू करे जिससे जनता को यह महसूस हो कि हुकूमत जनता की है। चाहे सरकार कितना ही रुपया बजट में मंजूर क्यों न करे, चाहे किसी भी नीति को क्यों न अपनावे लेकिन जब तक उसको कार्यरूप में परिणित करने के लिये हमारे दृष्टिकोण में अन्तर नहीं होगा तब तक हमारी योजनायें सफल नहीं हो सकेंगी और जो रुपया हम बजट में मंजूर करते हैं उस रुपये का सदुपयोग हो सकेगा, इसमें मुझे संदेह है।

आज से ७ साल पहले दूसरी हुकूमत थी और आज हमारे देश में जनता की हुकूमत है। इसलिये यह स्पष्ट है कि उस वक्त की आवश्यकताओं और आज की आवश्यकताओं में बहुत अन्तर है। आज की आवश्यकताओं के अनुकूल ही हमें ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को बदलना

[श्री गोवर्धन तिवारी]

होगा और कार्य के तौर तरीक़े में तब्दीली करनी होगी। अगर हम इस तब्दीली को नहीं ला सकेंगे तो समय उसे तब्दील करायेगा। अगर हम उसे तब्दील नहीं कर सकते हैं तो समय आयेगा जब उसे तब्दील होना पड़ेगा।

मैं देखता हूं पहाड़ी जिलों के नौजवान जिन्होंने इस देश की आजादी के लिये इस हुकूमत के हाथों में शक्ति की बागडोर देने के लिये बहुत सी क़ुर्बानियां की हैं, आज समाजवाद और कम्युनिज्म के सिद्धान्त से प्रभावित हो कर नहीं बल्कि उनकी ग़रीबी, बेरोजगारी और भुखमरी ही उन्हें विरोधी दलों की गोद में ढकेल रही है। आज उनकी ग़रीबी उन्हें मजबूर कर रही है, उनकी बेरोजगारी उन्हें बेबस कर रही है, उनकी भुखमरी उन्हें मजबूर कर रही है कि विरोधी दलों की गोद में वे जायं और जिस शासन को मजबूत करने के लिये जिस सरकार के हाथ में शासन की बागडोर देने के लिये उन्होंने कुर्बानी की थी, उसके खिलाफ बग़ावत करें। इस लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आप द्वारा सरकार से और इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो फिज़ा इस वक्त देश में है, जो असंतोष है, जो बेरोजगारी और भुखमरी है उसे देखते हुये ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस ढंग से काम करना चाहिये कि जिससे काम तेजी से और आसानी से हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार की ओर से पूरक अनुदान इस सदन के सामने हैं और उसके ऊपर विचार हो रहा है, श्रीमान जी, सरकार ने इस अनुदान द्वारा २,७२,७८,००० रुपये की रक़म इस हाउस से पास कराना चाहा है। मैं आप के द्वारा सरकार और सभी सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि हम लोगों पर यह जिम्मेदारी आती है कि जिस वक्त बजट हम लोगों ने बनाया उस समय हमने अपनी ग़रीब जनता और प्रान्त की जनता पर दो टैक्स लगाये हैं, नहर रेट; तथा कृषि आयकर को और किसानों पर लगाया है। टैक्सों का भार जनता पर इतना है कि वह आज दबी हुई है और उसको देखते हुये हमें आज इस पर विचार करना है कि जो अनुदान आज सरकार पास कराना चाहती है वे इस योग्य हैं या नहीं कि उनको पास किया जाय। यह हमको सोचना है कि आज जनता टैक्सों से दबी हुई है उनके टैक्सों को कुछ कम किया जाय।

वित्त मंत्री जी ने अपने नोट में कहा है कि कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा अनुपूरक अनुदान और भी लाना है। मैं तो यह पूछता हूं कि दो तीन महीने केवल नये बजट आने में रह गये हैं, फिर सरकार को क्या आवश्यकता है कि दो अनुपूरक अनुदान लाये जायं। इसी में पूर्ण रूप से समझ कर लाते तो अच्छा होता, बजाय इसके कि एक दो महीने जब नये बजट को रह जायं तो फिर कहा जाय कि ये चीजें रह गई हैं इनके लिये इतना रुपया और दो। इसमें जो मोटी-मोटी किताबें छपती हैं, उन पर खर्च होता है। हमें जनता का जो एक-एक पैसा व्यय होता है उस पर विचार करना चाहिये।

जहां तक इस बात का सवाल है कि पिछले बजट में पासशुदा जो रक़में हैं उनके काम पूरे नहीं हुये, उनको पूरा करने के लिये रक़म मांगी गई है तो मैं उनसे तो सहमत हूं कि वह दी जायं। लेकिन बेकार की वह मदें जिनकी इस समय जरूरत नहीं है यहां पर रख दी गई हैं। मिसाल के तौर पर पशुचिकित्सा के सिलसिले में सरकार यह चाहती है कि एक पशुपालन कमिश्नर रख दिया जाय। श्रीमन्, हाउस की एक एस्टीमेट्स कमेटी बनी है और उसमें इसी विभाग पर आज कल विचार हो रहा है। तो क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता कि सरकार इस अनुदान को इस समय मुल्तवी कर दे और कमेटी के विचार करने के बाद अगर उचित समझे तो पशुपालन कमिश्नर या जो नई जगहें खोलना चाहें उसके लिये विचार करे? मैं भवन को इस सम्बन्ध में यह बतलाना चाहता हूं कि कृषि विभाग में ७ डिप्टी डाइरेक्टर्स और एक डाइरेक्टर हैं। फिर क्या वजह है कि इतने अफसरान होते हुये भी पशुपालन के लिये एक विशेष आदमी की आवश्यकता पड़ गई और वह भी ऐसे समय पर जब कि बजट का अन्त है। अगले बजट में इस स्कीम को वह ला सकते थे और उस समय विचार हो सकता था।

सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किये हैं जिनके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। सरकार ने रजिस्ट्री आफिस जालौन में खोल दिया और एक और जगह। ठीक है जहां जनता की जो मांग है उसको पूरा करना सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार ने अपनी भूल से कि वहां कोई फायदा नहीं होता रजिस्ट्री आफिस बन्द कर दिया था। वहां पर अगर अब खोला जाता है तो उस चीज को हम ठीक समझते हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार जेलों में एक नयी योजना लागू करना चाहती है। अब अपराधों की अधिकता के कारण जेलों में जगह नहीं है। दो सौ आदमियों की जगह में चार-चार सौ और पांच-पांच सौ आदमी रखे गये हैं। सरकार को चाहिये कि जो जेलें मौजूद हैं और उनमें जगह की कमी है, जिनमें बिल्डिंगज नहीं हैं उनको ठीक करायें। इसके बजाय वह अलग कालोनी खोलने के लिये और उस पर व्यय करने के लिये तैयार है। मैं आप से अपना अनुभव बताऊं। मैंने जिला जालौन में जब जेल का निरीक्षण किया तो देखा कि दो सौ आदमियों की जगह ४ सौ आदमी रह रहे हैं। अब समझिये कि आदमी अगर जानवरों की तरह बैरकों में रखे जायेंगे जो जनस्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक नहीं है, तो यह बहुत अनुचित है। इधर-उधर रुपया खर्च करने के बजाय अगर सरकार इधर ध्यान दे कि उनके लिये काफी जगह हो तो ज्यादा उचित है। शिक्षा मंत्री जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को २५०० रुपया दिया है। मैं यह समझता हूं कि तारीफ तो बहुत की जाती है, लेकिन इतने रुपये से इसका क्या लाभ हो सकता है मुझे तो ताज्जुब होता है कि इतनी थोड़ी रक़म उसके लिये दी गयी है। सरकार के लिये यह शया। नहीं देता कि इतनी थोड़ी रक़म उसको दी जाय और अपना नाम मदद करने के लिए कर लिज जाय कि हमने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की मदद की। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस अनुदान को बढ़ायें तो बहुत सुन्दर होगा।

श्रीमन्, यहां पर पुलिस का जिक्र किया गया है, और हमारे शुक्ला जी ने उसकी बड़ी तारीफ़ की। मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक पुलिस का प्रबंध है वह सुधरा ज़रूर है लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिस सरकार ने पुलिस को विशेषाधिकार दिये हैं वह यह भूल जाती है कि पुलिस क्या-क्या करती है। मैं स्वयं अपने अनुभव से बतलाता हूं कि यहां लखनऊ में दंगों के समय जब कि विद्यार्थियों के साथ झगड़ा हुआ था तो मैं एक दिन के लिये यहां पर आया था। जब यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था तो उसका इन्तजाम पुलिस के हाथ में था। वह कर्फ्यू पास पुलिस के थानेदार देते थे, तो जरा सी बात कहने पर वह इतने बिगड़ जाते थे कि जिसका कुछ कहना नहीं। मैं आप को बताता हूं कि मैं कर्फ्यू पास के लिये स्वयं हज़रतगंज थाने गया और मैंने कहा कि मुझको कर्फ्यू पास मिलना चाहिये और जो महोदय थानेदार कर्फ्यू पास दे रहे थे उनको मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। तो आप को यह जानकर ताज्जुब होगा कि उन महाशय ने मेरा वह कार्ड दरवाजे के पास फेंक दिया। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जब उनके यहां तक दिमाग हैं कि सरकार का दिया हुआ कार्ड भी मानने को तैयार नहीं हैं तो फिर जनसाधारण की बात क्या हो सकती है और आम जनता का क्या हाल हो सकता है। यह मेरा खुद का अनुभव है, जिसको मैंने आपके सामने रखा है। यह तो हमने अपने आप देखा है कि यह डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है।

दूसरी बात यह है कि इस बजट में एक अनुदान के सिलसिले में सड़कों के लिये बहुतसा रुपया लिया गया है। जो सड़क आपके प्रोग्राम में नहीं थी उसके लिये बीच में ही प्रोग्राम बना लिया गया कि वह सड़क बनायी जायगी और उसके लिये रुपया दिया जाता है। मैं इस पालिसी के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार की एक निश्चित स्कीम होनी चाहिये और वह निश्चित स्कीम के द्वारा सब काम हो। स्कीम के अनुसार जितनी भी सड़कें सूबे में बनायी जायं उस स्कीम में बीच में कोई बदलाव नहीं होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि जिस पर जोर दिया गया बस उस सड़क को बनाना निश्चित कर दिया। मैं अपने जिले का हाल बताता हूं कि वहां पर यह हुआ कि जिस सड़क के लिये जोर दिया गया वह सड़क बना दी गयी और बाक़ी के लिये कुछ नहीं किया गया। आप एक पालिसी निर्धारित कीजिये कि किस सड़क को किस हिसाब से

[राजा वीरेन्द्र शाह]

बनाना है, कि चाहे वह किसी हेडक्वार्टर से मिलानी हो या किसी कस्बे से मिलानी हो या कोई और सड़क हो, जो उद्योग धन्धे के लिए बनानी हो या बड़े बड़े शहरों से मिलाने के लिये हो, वह एक वसूल के मातहत निर्धारित करनी चाहिये। हम यहां पर यह देखते हैं कि बहुत सी सड़कें जिनका बजट में नाम निशान नहीं है वे बन गई हैं क्योंकि उनके लिये कहा सुनी की गयी है। मैंने यह भी देखा है कि बहुत सी सड़कों के लिये रुपया लैप्स हो जाता है। एक सड़क के लिये ३ लाख रुपया मंजूर हुआ लेकिन रुपया खर्च नहीं किया गया और वह लैप्स हो गया। जहां पर जरूरत है वहां पर तो लैप्स हो जाय और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर सड़क बना दी जाय तो यह पालसी सही नही है। सरकार को किसी सिफारिस का ख्याल नहीं रखना चाहिये। हमारे प्रान्त भर की आवश्यकता सरकार को ध्यान में रखनी चाहिये। सड़कोंके लिये एक निश्चित पालसी अख्तियार करनी चाहिये और उसके अनुसार ही सरकार को चलना चाहिये।

श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—माननीय अध्क्ष महोदय, मैंने अपने माननीय साथियों के भाषण को सुना और मै देख रहा हूं कि हमारे प्रान्त में जो काम हुआ है वह किसी प्रगति से हुआ है, लेकिन जो भिन्न भिन्न बातें यहां पर हाउस के अन्दर सुनी है वह मैंने बहुत ध्यान पूर्वक सुनी और दूसरे देशों का इतिहास भी आजादी के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से वहां पर हुआ है। तो हम इस अनुभव पर पहुंचे कि जिस प्रगति के साथ और जिस तेजी के साथ हमारे प्रान्त में काम हुआ है शायद उतनी तेजी से दूसरे देशों में नहीं हुआ और न हो सकता है। यों तो अपने स्वार्थ की सिद्ध के लिये जो पार्टियां होती हैं कुछ न कुछ कहा करती हैं अगर वह कुछ शिकायतें सामने न रखें तो उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने विरोधी दल के नेता माननीय श्री राजनारायण जी का भाषण सुना और उन्होंने अपने भाषण में कुछ न कुछ शिकायतें प्रान्तीय सरकार की रखी और कहा कि प्रान्तीय सरकार ने जो काम किया है वह ठीक नहीं किया है और बहुत कम काम किया है। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जितने मंत्रीगण के विभाग हैं, उनको जितना काम करना चाहिये उतना नहीं कर रहे है। और सारे विभागों की बुराइयां कीं लेकिन उन विभागों ने जो अच्छाई के काम किये हैं उनको सामने नहीं रखा। मैं आपका ध्यान इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप आजादी के पहले और उसके बाद की हालत को देखें कि किस तरह हमारे इर्रीगेशन विभाग का काम बढ़ा है। इस विभाग ने कोने कोने में नहर पहुंचा दी है। ट्यूबवेल्स लगाये जा रहे हैं और पानी की अधिक से अधिक मात्रा के लिये काम किये जा रहे हैं।

इसी प्रकार शिक्षा विभाग को ले लीजिये कि शिक्षा विभाग ने कितनी तेजी से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है। वह गांव गांव में शिक्षा का प्रचार कर रहा है। इसी प्रकार आध स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिये कि गांव गांव में अस्पताल खोलने की हमारी सरकार की योजनायें हैं बल्कि और कितने ही नये अस्पताल खोल दिये गये हैं। केवल मैदानी इलाके में ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी अस्पताल खोले गये हैं और बड़ बड़े शहरों में भी अस्पातल खोले गये हैं। हमारे नेता विरोधी दल तो यहां पर बुराई का लेखा ही रख रहे हैं और अच्छाइयों की तरफ नहीं जाना चाहते। जो अच्छी चीज हैं वह भी आप सामने रखें। कितनी तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं इस बात को आप देख सकते हैं। रूस जब आजाद हुआ तो कितने दिनों तक कर्जा लेकर उसने आपन काम किया। चाइना ने भी आजाद होने के बाद प्रगति की है। उन देशों की तरफ आप निगाह नहीं डालते हैं केवल यह कहना चाहते हैं कि हमारी पुलिस खराब है, हमारी शिक्षा खराब है अगर हमने तेजी के साथ कदम बढ़ाया है तो उसको भी आप देखिये और सही तरीके पर सही बात सामने रखिये। आजादी के पहले कितने शिक्षक आपके पास थे? लेकिन आज हमारे पास उनकी तादात बहुत बड़ी है। हममें से सब इस बात को जानते हैं कि हमने सब विभागों में सुचारूरूप से प्रगति की है और हम बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह नहीं कि यह कानून किसानों के लिये है और यह कानून किसी एक के लिये है और दूसरा कानून दूसरों के लिये है ऐसा न

होना चाहिये, बल्कि सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिये। आप इसको भी तौलें कि जितने गजटेड आफिसर्स हैं वे पहले से कैसा काम कर रहे हैं और कितना काम उन के पास है। मान लीजिये कि कोई पुलिस का कांस्टेबिल है, हो सकता है कि उन में बुराई आगई हो, लेकिन उनके काम को भी ले लीजिये कि उनमें से कौन कितना काम करता है। आप रूस के साथ खड़ा होना चाहते हैं, अमरीका के साथ खड़ा होना चाहते हैं, चीन के साथ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन आप यह नहीं तौलते कि जब अंग्रेज यहां से गये थे तो वे हमारे देश में कैसी हालत छोड़कर गये थे। आप यह नहीं देखते कि कांग्रेस सरकार ने कितनी अच्छाई के साथ हर एक काम को किया है और उसने किसी पर किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाया है और सब की जबान खुली हुई है। इसी म्युनिसिपल एलेक्शन में कितनी गालियां आजादी के साथ दी गयी हैं। जब कि चीन और रूस में सब की जबानों पर ताला लगा हुआ है और कोई भी जबान नहीं खोल सकत और सरकार की बुराई किसी तरह की भी नहीं कर सकता। वहां पर तो जो भ्रमण करने के लिये जाते हैं वे भी आजादी के साथ किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकते। हमारे यहां जो डेलीगेशन आते हैं वे हरएक से देश के कोने कोने में जा कर मिल सकते हैं, लेकिन हमारे देश के लोग जब डेलीगेशन में जाते हैं तो उन पर तरह तरह के प्रतिबन्ध रहते हैं और कभी-कभी सी०आई०डी० भी उनके पीछे लगी रहती हैं।

अब मैं बजट के ऊपर आना चाहता हूं। बहुत सी पूरब की बातें कही गयीं, पश्चिम की बातें कही गयीं, दक्खिन की बातें कही गयीं और उत्तर की बातें कही गयीं लेकिन मुझे न पूरब की बात कहना है, न पश्चिम की बात कहना है, न दक्खिन की बात कहना है और न उत्तर की बात कहना है। मुझे तो केवल इतना कहना है कि सरकार जो कुछ भी करे वह एक सिद्धांत के साथ चल कर करे। अभी मेरे दोस्त ने कहा कि कहीं पर भुखमरी होती है, पहाड़ों पर लोगों को कष्ट होता है, पूर्वी जिलों की हालत आप जानते हैं, गोरखपुर, बस्ती वगैरह में अधिक वर्षा से नुकसान हुआ और वहां सरकार की ओर से टेस्ट वर्क खोले गये, लेकिन जो सड़कें वहां बनीं वे बरसात के बाद सब खराब हो गयीं। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह जो भी काम कराये वह ठोस काम करावें क्योंकि अगर खर्च हो तो काम टिकाऊ हो, जिस से पैसा बरबाद न हो। अगर मैं निर्माण मंत्री जी से कहूंगा तो शायद उन को नागवार होगा कि पी०डब्लू०डी० का महकमा जिस काम को नहीं करना चाहता है वह उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर टाल देता है और जब कि वे यह भी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आर्थिक दशा कैसी है। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बस्ती जिला जो गरीब जिला है, तबाह जिला है और जहां दरिद्रता का राज है। उस जिले में पुलों के न होने से जिला ५,४ हिस्सों में बंट जाता है। जहां पर नाना प्रकार की बीमारी है, वहां से किसी क्षेत्र में कोई आसानी से जा नहीं सकता है। इस ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा।

साथ ही साथ मैं पुलिस मंत्री जी का भी ध्यान दिलाऊंगा कि जैसी अराजकता फैली हुई है जिसकी ओर बहुत से लोगों ने ध्यान दिलाया है उसको भी वह दूर करें। वह इस ओर ध्यान इस लिये नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका स्वयं का स्तर तो ऊंचा है और उनके पुलिस विभाग का स्तर इतना गिरा हुआ है कि वह उसके बारे में अपने ऊंचे स्तर से सोच नहीं पाते हैं। उनकी बुद्धि इतना गिरने की बात नहीं सोच पाती है। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय गृह मंत्री इस विभाग की ओर ध्यान दें और इसे ठीक करें।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्षमहोदय, बजट के ऊपर जो बहस चल रही है उसके सम्बन्ध में हमारे माननीय उपाध्याय जी ने कहा था कि सरकार को इस बजट के लिए हम बधाई का पात्र नहीं समझते हैं। उन्होंने यह कहा कि अगर इस बजट के अन्दर कोई नयी मदें होतीं, नयी मांग की गई होती जिसकी आवश्यकता हमारे राज्य में होती तो हम अवश्य इस सरकार को बधाई दिये होते। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन

[श्री राधामोहन सिंह]

करना चाहता हूं कि माननीय उपाध्याय जी अगर इस बजट को गौर से देखे होते तो उनको यह मालूम होता कि जो लिटरेचर हम लोगों को दिया गया है उसके अन्दर लिखा हुआ है कि यहां जो मांगे सम्मिलित की गयी हैं वे मुख्यतया व्यय की नयी मदों के लिये हैं जिनके लिये चालू वित्तीय वर्ष में कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी और वे इतनी आवश्यक हैं कि आगामी वर्ष तक उनका स्थगित किया जाना अनुचित समझा गया है। और अगर वह बजट के आंकड़ों को देखेंगे तो मालूम होगा कि कुछ तो जरूर ऐसी मदें हैं जिनमें कि कमी की वजह से मांग की गयी है, लेकिन अधिकतर नयी-नयी मदें ही हैं जो नये कामों के लिये हैं। तो जो उनकी कसौटी है उस कसौटी पर कसने पर भी मैं समझता हूं यह बजट ठीक निकलता है और इसलिये यह सरकार बधाई की पात्र हो सकती है।

जहां तक हमारे विरोधी पक्ष के नेता माननीय राजनारायण जी का प्रश्न है उन्होंने कई प्रश्न उठाये। एक तो उन्होंने यह कहा कि सप्लीमेन्ट्री बजट रखने की एक परिपाटी हो गयी है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि ८० करोड़ के बजट में केवल २ करोड़ ७२ लाख की सप्लीमेन्टरी मांग की गयी है। यह मुश्किल से ३ परसेंट पड़ता है। जहां ८० करोड़ का खर्चा है, उसमें ३ करोड़ का हेरफेर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं तो समझता हूं कि जनता के हित में अगर इन मदों को सरकार इन अनुदानों के जरिये इस बजट में न रखती तो वह अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाती और मैं तो सरकार को इस बजट को बनाने के लिए इस समयोचित कदम के उठाने के लिये बधाई का पात्र समझता हूं। जहां तक सिंचाई का प्रश्न है माननीय राजनारायण जी ने निवेदन किया कि सिंचाई के सम्बन्ध में उनकी नीति अच्छी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका यह विरोध बहुत देर में आया है। आज तो हमारी सरकार ट्यूबवेल्स के जरिये से, बिजली के जरिये से पानी सप्लाई करने की नीति को अपना चुकी है और बहुत काफी रुपया खर्च कर चुकी है। उनका यह कहना है कि अच्छा होता अगर बजाय बिजली के जरिये हम देहातों में अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर मैसोनरी वेल्स खोदते। अगर बजट को देखा जाय तो एक बहुत बड़ी रकम इसमें ऐसे कुओं के लिये भी है। हमारी सरकार की नीति यह है कि जब तक कि हम काफी तादाद में ट्यूबवेल नहीं बना पाते, उसके लिए हमारे पास मैटीरियल नहीं मिलता तब तक हम इन मैसोनरी वेल्स को भी चलाते रहेंगे। आप देखें कि गत वर्ष १५ हजार मैसोनरी वेल्स बनाने के लिए रुपया रखा गया था और इस साल भी मैं समझता हूं कि करीब पांच, सात हजार नये कुयें बनाये जा रहे हैं। तो उनकी नीति के सम्बन्ध में भी मैं कोई गलत बात इसमें नहीं देखता। जहां तक हमारे यहां ट्यूबवेल के प्रचार का सम्बन्ध है साथ ही साथ मैसोनरी वेल्स का भी प्रचार हो रहा है और बहुत से जिलों में, पूर्वी जिलों में भी बहुत से कुयें हर साल बनाने के लिये रखे गये हैं। भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया। मैं यह सुनना चाहता था कि आखिर हमारे विरोधी पक्ष के नेता कोई ऐसा सुझाव रखेंगे, जिससे इसे दूर किया जा सके। इसमें तो कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि भ्रष्टाचार को बन्द करना हमारा और उनका ध्येय है। मगर इस सम्बन्ध में क्या उनकी नीति है, क्या वह करना चाहते हैं, क्या उनके सुझाव हैं, वह मैं इन्तजार करता रहा मगर डेढ़ घंटे के उनके भाषण में मुझे एक भी उनका ऐसा सुझाव नहीं दिखाई पड़ा जिससे कि कुछ काम किया जा सके।

मुझे आश्चर्य मालूम हुआ जब उन्होंने तिब्बत की सीमा पर जो पुलिस रखी गयी है उसकी आलोचना की। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है। अगर यह समझा जाय कि वहां तिब्बत की सीमा पर जो पुलिस रखी गयी है उसका यह कार्य है कि उधर से जो आक्रमण हो, उसको वह रोक दे तो यह एक बड़ी भारी गलतफहमी है। जहां कहीं इस तरह की पुलिस रखी जाती है उसका काम यह कभी नहीं होता कि जब कोई हमला हो तो वह उस हमले को रोक ले। वह वहां चौकसी

के लिए, चौकीदारी के लिए रखी जाती है और इसलिये जो पुलिस रखी गयी है वह बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूं कि इस सामयिक और समयोचित कदम के उठाने के लिये, हमारी सरकार बधाई की पात्र है। तिब्बत की सीमा पर वहां जो कुछ हो रहा है, वहां की अवस्था के प्रति उपेक्षा करना ठीक न होता। इसलिए मैं समझता हूं कि यह थोड़ा सा खर्चा जो वहां पर केवल पुलिस रखने के लिये, वहां की हालतों को जानने के लिए, वहां की रिपोर्ट करने के लिए और एक तरह से अगर हलकी, छोटी-मोटी गड़बड़ी हो तो उसकी व्यवस्था करने के लिए बहुत ही उत्तम प्रबन्ध है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई का पात्र समझता हूं। मुझे अभी तक तो यह मालूम था कि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन विरोधी पक्ष के नेता का भाषण सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अध्यात्मवाद का नारा लगाया। स्वराज्य के अर्थ उन्होंने यह लगाये कि राष्ट्र को तो खत्म कर दिया, बल्कि जहां पर खुद का राज्य हो उसी को स्वराज्य कहेंगे और इस प्रकार वह अध्यात्मवाद का नारा लगाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी निराशा हुई जब सवा घंटे के भाषण के बाद भी मैंने देखा कि हमारे विरोधी पक्ष के नेता की तरफ से एक लफ्ज भी उस बड़ी समस्या के सम्बन्ध में, जिससे कि हमारा राज्य नहीं राष्ट्र आक्रान्त हो रहा है, नहीं कहा गया। बेकारी की समस्या से मेरा आशय यह है कि बढ़ती हुयी आबादी के अन्दर हम खाद्य-समस्या को तो हल कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि वह कुछ हद तक हल हो जायगी, लेकिन यह जो बेकारी की समस्या है वह इतनी भयावह रूप धारण किये हुए है कि कोई भी सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती और इस बजट के अन्दर मुझे कोई मद न देख कर बहुत निराशा हुयी। मैं समझता था और आशा कर रहा था कि जहां कि हमारे राष्ट्र के और राज्य गवर्नमेंट आफ इंडिया से बहुत बड़ी रकम मांग रहे हैं, इस बेकारी की समस्या को हल करने के लिये, तो मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि हमारी सरकार की तरफ से कोई न कोई कदम उठाया जायगा। मैं तो आशा करता था कि सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि आज राज्य के अन्दर शहरों और देहातों में जो शिक्षित बेकार लोग पड़े हुए हैं, उनके लिये कोई न कोई समुचित व्यवस्था की जायगी और काम पैदा किया जायगा, लेकिन वह कुछ नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि आगे जो बजट रखा जायगा, फरवरी के महीने में शायद आने वाला होगा, उसमें मैं आगाह करूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास दो महीने के अन्दर एक ऐसी स्कीम जानी चाहिये जिस में हमारे प्रांत के अन्दर बेकारी की समस्या को हल करने के लिये ठोस सुझाव हो और मैं तो समझूंगा कि दो, चार, पांच करोड़ रुपया खर्च कर दिये जायं तो यह कुछ ज्यादा नहीं है। आज हम देखते हैं कि पढ़े-लिखे लोग बेकार घूमते हैं और बेकार दिमाग शैतान का अड्डा बन जाता है। तो मैं आशा करूंगा कि इस तरफ शीघ्र कदम उठाया जायगा और बेकारी की समस्या को हल करने के लिये कोई कदम अवश्य उठाया जायगा।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि घरेलू उद्योग-धंधों के लिये जो मद रखी गयी है वह काफी नहीं है। अगर बेकारी की समस्या को हल करने के लिये कोई सुझाव हो सकता है तो यह है कि हर जगह लोगों को ऐसे काम में लगाया जाय, इसके लिये रुपया रखा जाय कि वह जल्द से जल्द कोई हुनर सीखें और कोई काम शुरू करें।

एक बात यह है कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों की बातें कही जाती हैं। अभी थोड़े दिन हुए हमें कुछ आंकड़े देखने को मिले। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में २०० ट्यूबवेल बनाने की स्कीम थी, लेकिन एक साल में २०० में से २१ बनाये गये। गोरखपुर, देवरिया और बस्ती के अन्दर ३५० ट्यूबवेल बनाने की स्कीम थी, लेकिन हमें आश्चर्य हुआ कि केवल ४८ बनाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि रुपया रखने के बाद और कई वर्षों के बाद सरकार ने अपने हाथ में काम लिया, उसमें क्यों प्रगति नहीं हो रही है?

[श्री राधामोहन सिंह]

अगर बजट में रुपया रखा जाय और आवश्यकता हो तो उस रकम का उपयोग होना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस तरफ अवश्य ध्यान देगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की चेष्टा करता था कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट इस सदन के सामने रखी है, उसका स्वागत करता और मैं यह देखता कि यह बजट सैद्धान्तिक कसौटी पर रखा गया है, लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि केवल यह एक या दो विषयों को छोड़ कर यह सारा बजट उन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है जिनकी आवश्यकता नहीं है। यानी अनफोर्सीन, अरजेण्ट और न्यू सर्विसेज यह तीन आइटेम्स हैं जिनके लिये सप्लीमेंटरी ग्राण्ट रखी जाती है। केवल बाढ़ वाली मदें ऐसी हैं, बाढ़ से कुछ जिलों में नुकसान हुआ, जिनको यह कहा जा सकता है कि अर्जेन्सी थी। लेकिन इसके अलावा जितनी मदें हैं वे ऐसी हैं जिन्हें अनफोर्सीन नहीं कहा जा सकता है, जो अर्जेंट नहीं कही जा सकती हैं और जो न्यू सर्विसेज में नहीं आती हैं। इतना होने के अलावा मुझे सब से बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब कि मैं देखता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के द्वारा सर्वमान्य सिद्धांत को ठुकरा दिया। वह सिद्धांत यह है कि सप्लीमेन्ट्री बजट में कोई मांग तब रखी जाती है जबकि वह फाइनेन्स कमेटी में पास हो जाती है। आज इस सप्लीमेन्टरी बजट में ७ मांगे ऐसी हैं जोकि बिना फाइनेन्स कमेटी की मन्जूरी लिये हुये इस सप्लीमेन्टरी बजट में रख दी गयी हैं।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)---मैं जनाब के जरिये यह बतला दूं कि फाइनेन्स कमेटी की मीटिंग हुई थी और जो मेम्बर उसमें शरीक हुये थे उनमें से कुछ यहां भी मौजूद होंगे। पहले यह सातों मांगें उनके सामने रखी गयी थीं और उसके बाद इस में शरीक की गयी हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---खैर, इसकी इत्तला मुझे नहीं मिली। अगर उन्होंने रखा हो, तब तो बात ठीक है। लेकिन इसके बाद मैं इस में जहां पर सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया है, उनको एक-एक को लेकर मैं चलता हूं जैसे कि रुड़की के लेबोरेटरी का सवाल है। लगातार ४९-५०, ५०-५१, ५१-५२ और ५२-५३ के सप्लीमेन्टरी बजट में रुड़की युनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिये रुपया मंजूर किया गया, लेकिन वह खर्च नहीं हुआ। आज एकदम यह कहा जाता है कि रुड़की युनिवर्सिटी की लेबोरेटरी के लिये रुपया चाहिये। तो तीन साल तक रुपया खर्च नहीं हुआ और अनुपूरक बजट के द्वारा उस मांग को आज फिर अनफोरसीन और अर्जेण्ट कहा जाता है और वहां पर लेबोरेटरी की आवश्यकता है। उस लाइब्रेरी का रुपया जो अभी तक तीन साल से खर्च नहीं हुआ था वह आज लेबोरेटरी के लिए रख दिया जाय। ऐसे ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन जिसका कि वीरेन्द्र शाह जी ने जिक्र किया कि उसके लिये ढाई हजार रुपया दे दिया गया। वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिकृत रूप से हिन्दी साहित्य सम्मेलन नहीं माना जाता है, लेकिन उसे ढाई हजार रुपया दे दिया गया।

एक रिसर्च स्कीम की बात कही जाती है जोकि जुवार के बारे में, बाजरे के बारे में और चावल के बारे में रखी गयी है जोकि सन् १९४८ से शुरू हुयी है। सरकार को यह मालूम था कि ५३ में यह स्कीम खत्म होने जा रही है, लेकिन जो आम बजट है उसमें इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। इस रिपोर्ट में भी लिखा था कि अभी रिसर्च का काम पूरा नहीं हुआ है, रिसर्च का काम तो अभी बाकी है लेकिन बाकी रिसर्च को सरकार जानती थी कि इसे पूरा करना है, लेकिन उसे आम बजट में नहीं रखा। इसी प्रकार इम्प्लायमेंट स्कीम पूर्वी जिले वालों के बारे में आप देखिये। सरकार को मालूम था उसकी ग्राण्ट

खत्म हो रही है लेकिन उसको भी इसी सप्लीमेन्टरी बजट में लाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर किस कसौटी पर कस कर सप्लीमेंटरी बजट की सारी मांगें रखी गयी हैं। एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में आडिटर जनरल की रिपोर्ट में जो बातें लिखी हुयी हैं उनमें से कितनी बातें इन अनुपूरक अनुदानों को पेश करते समय ध्यान में रखी गयी हैं। वित्त विभाग को यह चाहिये था और सरकार को यह चाहिये था कि किसी भी मांग को सप्लीमेन्टरी बजट में पेश करने से पहले उनको ध्यान में रखती। इसके साथ ही साथ वूमेंस हास्पिटल, गोंडा के लिये मांग की गयी है, जो कि पिछले साल के सप्लीमेन्टरी एस्टिमेट में आ जाना चाहिये थी। बजट मैनुअल के अनुसार तरीका यह था १४८ में:—

"Unavoidable excesses which cannot be reported to the finance Department by that date must be left for explanation in connexion with the appropriation Accounts and the Audit report thereon."

इस बजट मैनुअल के विरुद्ध गोंडा हास्पिटल में जो एक्सेस हुआ, उसको आज के सप्लीमेंट्री ग्रांट में रखा जा रहा है। इसके अलावा काशीपुर कोलोनाइजेशन के सम्बन्ध में, जो वहां के कर्मचारी हैं, उनके लिये हाउस रेंट एलाउन्स एक ग्रांट के द्वारा मांगा गया है। पांच साल पहले सरकार को यह बात मालूम थी कि काशीपुर के कोलोनाइजेशन के कर्मचारियों को वह हाउस रेंट नहीं मिल रहा है, जो वहां के और तराई के कर्मचारियों को मिलता है। अब पांच साल के बाद जब वहां की स्कीम बाइंडअप हो रही है तब सरकार को पता चला है कि वहां के कर्मचारियों को हाउस रेंट देना है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

बनारस स्टेट में वाटर वर्क्स के मामले में इसी मेमोरेंडम में लिखा है कि रामनगर के महाराजा साहब से यह समझौता था कि इसको ट्रांस्फर किया जायगा और दो ट्यूबवेल लगाये जायंगे। रामनगर स्टेट को मर्ज हुये तीन चार साल हो गये और सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमको यह करना है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह बात मालूम नहीं थी कि हमने एक खास किस्म का ऐग्रीमेन्ट रामनगर के महाराजा से किया है। तो किस सिद्धांत के अनुसार सप्लीमेन्ट्री ग्रांट में इस आइटम को लाया गया।

आगे रामपुर के नवाब साहब को २६ हजार रुपये देने की बात है बरेली में एक पुलिस आउट पोस्ट की जमीन खरीदने के लिये। उसमें यह था कि अगर १८ महीने की नोटिस वे देंगे तो लीज खत्म हो जायगा। तो नवाब साहब ने १८ महीने पहले नोटिस दे दी कि अब हम आगे लीज नहीं देना चाहते, अगर सरकार खरीदना चाहे तो खरीद ले। इस तरह १८ महीने पहले सरकार को मालूम हो गया कि रामपुर के नवाब साहब लीज नहीं देना चाहते हैं। लेकिन १८ महीने तक यह बात छोड़ दी गयी, पुराने बजट में भी नहीं ली गयी और पुराने सप्लीमेंटरी बजट में भी नहीं ली गयी। आज हमारे सामने आता है यह अनफोरसीन है और रामपुर के नवाब की लीज की जमीन खरीदनी है।

माननीय बेचनराम गुप्त ने यह कहा ९ मदें हैं। मैं कहता हूं कि सिवाय बाढ़ के, सिवाय म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के, और फ्रूट युटिलाइजेशन स्कीम के, और कोई भी आप ऐसी मद बतला दीजिये जो अनफोरसीन हो, अर्जेंट हो या नयी सर्विस के हिसाब से हो।

इसी प्रकार लखनऊ युनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का मामला है। यह मेमोरेंडम में साफ लिखा हुआ है कि यह सन् १९५२-५३ के सप्लीमेंट्री में नहीं आ सका। इसके कोई कारण नहीं बतलाये गये हैं कि क्यों नहीं आ सका। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि अर्जेंसी के नाम पर, अनफोरसीन के नाम पर और न्यू सर्विसेज के नाम पर जो वित्तीय गलतियां होती हैं, उनको छिपाने के लिये कुछ बड़ी मदों को ले करके नान अर्जेंट मदों को भी साथ में जोड़ दिया जाता है। इसके

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

साथ-साथ कंटिजेंसी फंड का बहुत दुरुपयोग होता है। हर चीज के लिये कंटिजेंसी फंड से विथड्राअल होता है और कंटिजेंसी का जो अर्थ होता है उससे इस सदन के सभी सदस्य परिचित हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मुझे क्षमा कीजिये यदि मैं आप को उस धैर्य के लिये धन्यवाद दूं जिसके द्वारा कि आप ने माननीय राजनारायणजी का इतना प्रकांड और विद्वत्तापूर्ण भाषण सुना, उसे सुनने के बाद मुझे आशा थी कि उनकी की हुई भूलों को माननीय नारायण दत्त जी सुधारने की चेष्टा करेंगे किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सप्लीमेंटरी बजट दूसरी बार भी इस सदन में आने के उपरान्त हमारे सदन के बहुत से सदस्य न उसका भाव समझ पाये न अर्थ लगा सके। सप्लीमेंटरी बजट के लिये माननीय राजनारायण जी ने कहा कि उसको बार-बार लाने की प्रथा और बीच में लाने की प्रथा अनुचित है, उनका यह तर्क सुन कर आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें बजट बनाने वाले इतने प्रतिभाशाली हैं कि १२ महीने के सभी खर्चों के एक-एक पाई का अनुमान लगा सकें। सदन ने एक ऐक्ट पास किया है जिसका नाम है कंटिजेंसी फंड ऐक्ट जिसके मातहत ४ करोड़ तक का खर्चा एक्जिक्यूटिव कर सकती है और जिसको सदन दूसरी बैठक में पास करे। एक शिकायत हुआ करती है पिछली-पुरानी और नई हुकूमत की भी कि साल के आखिर में रुपया खर्च करने के बाद बजट पेश किया जाता है। गत वर्ष फरवरी, १९५३ में सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया था जब कि इस साल तीन महीने बाक़ी हैं। गवर्नमेंट ने दस महीने के खर्चे के बाद आज यह पूरक बजट पेश किया है। इस ओर ध्यान देना चाहिये था कि उसने कम से कम एक नई सूरत तो निकाली। ३ करोड़ २४ लाख का जो खर्च पहले था वह ५२-५३ के रेवेन्यू एकाउन्ट का तीन प्रतिशत होता है और आज रेवेन्यू एकाउन्ट में से केवल ३३ लाख ८७ हजार रुपया मांगा जा रहा है। चाहिये तो यह था कि इस गवर्नमेंट की प्रशंसा की जाती कि गवर्नमेंट ने साल भर के खर्चे में इतनी किफायत की और आमदनी में बचत कर के ऐसी जरूरी मदों में रुपया खर्च किया। यह गवर्नमेंट की एकोनामिक और आर्थिक दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इतना पैसा उसने और जगहों से बचा कर, जनता पर विशेष कर-भार न डाल कर और आवश्यक कार्यों में खर्च किया। ५ लाख ८७ हजार रुपया २५ लाख किसानों के लिये है यानी प्लानिंग डेवलपमेंट, कम्युनिटी वर्क्स के लिये रुपया दिया गया है। मूल बजट में ४ लाख रुपया सहायता के लिये और ५ लाख रुपया टेस्ट वर्क्स के लिये रक्खा गया था। पूरक बजट में ५ लाख रुपया अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये अधिक दिया गया है। किसान और मजदूरों के हिमायती इसमें कौन सी ऐसी बात सोचते हैं, जिसमें इसका एप्रोसियेशन नहीं कर सकते।

दूसरी मद है रेवेन्यू एकाउन्ट। १ करोड़ २१ लाख रुपया जो इसमें दिखाया गया है इसमें ८३ लाख रुपया किसानों को जा रहा है, ७८ लाख खाद के लिये और ५ लाख मेसोनरी वेल्स के लिये। पता नहीं क्या समझ कर किसानों और मजदूरों के हिमायती इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। इसमें कहाँ से निन्दा की बात पैदा हो गई। छोटी-छोटी बातों को ले कर सदन का समय नष्ट करने से क्या फायदा? दूसरा बड़ा एमाउन्ट है डिस्बर्समेंट ऑफ एडवान्सेज एण्ड लोन्स। ९३ लाख रुपया खेती को संभालने के लिये खर्च किया गया है, लेकिन प्रशंसा का एक भी शब्द किसान और मजदूरों के किसी हिमायती ने नहीं कहा। ३० लाख इसलिये खर्च किया जा रहा है कि मजदूरों के लिये बस्ती बसाई जाय। ५० लाख की पूरी स्कीम है लेकिन बाक़ी रक़म सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने का वायदा किया है। वास्तव में हमारे साथियों ने इस बजट का अध्ययन नहीं किया, इसकी भावना को नहीं समझा और न वे यह समझते हैं कि सप्लीमेंट्री बजट किस चिड़िया का नाम है। पता नहीं इस सदन में बहस किस रास्ते पर बहती जा रही है। हमारे माननीय राजनारायण जी ने स्वतंत्र नागरिक होने के नाते यह फरमाया कि आज ब्रिटिश हुकूमत के जमाने से जेलों की हालत और खराब होती जा रही है। आज से चार

दिन पहले की बात है कि कुछ प्रतिनिधि बाहर के माननीय राजनारायण जी के जिले काशी में गये जो प्रयोग देखने के लिये आये थे और उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में जेलों के सुधार का जितना काम हो रहा है उतना भारत के किसी प्रदेश में नहीं हो रहा है। भारतवर्ष को नहीं, एशिया को इस बात का गर्व होगा कि जिस बन्धनरहित जेल की कल्पना रशा ने राजनीतिक बन्दियों को चक्कियां पिसवा कर की थी, जिसकी क्रियात्मक कल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका भी कर चुका है, लेकिन वे ज्यादा नहीं कर सके और स्विटजरलैंड भी ४०० क़ैदियों से ज्यादा नहीं कर सका वहां आज उत्तर प्रदेश की सरकार ३००० क़ैदियों को खुले बन्धन में रखती है। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे प्रशंसनीय कार्य के लिये एक भी प्रशंसा का शब्द हमारे दोस्तों के मुंह से नहीं निकला। महिलाओं की जेलों के बारे में भी कहा गया जब कि आज संसार का यह मत है कि पुरुषों से दूर एक अलग महिला जेल बनायी जाय और ऐसा मालूम होता है कि सरकार की निन्दा करना कुछ लोगों का धर्म सा हो गया है। सन् ५० की क्रांति की बात कही गयी लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि उसका क्या सम्बन्ध सप्लीमेंटरी बजट से है। यह भी कहा गया कि इस तरह से सरकार के कार्य करने से मिलीटरी डिक्टेटरशिप हो सकती है। मैं नहीं समझता कि क्या प्रजातंत्र के हिमायती ऐसे मुर्दा हो गये हैं कि वे ऐसा हो जाने देंगे। जो कोई भी दल डिक्टेटरशिप की चेष्टा करेगा हम उसे कुचल देंगे। अगर उन्होंने अपने दल के नेता श्री जयप्रकाशनारायण जी और अच्युत पटवर्धन जी के व्याख्यानों को पढ़ा होता तो उन्हें मालूम होता कि आज वह ज़माना नहीं कि केवल निन्दा ही कर के अपना कर्त्तव्य पूरा समझ लिया जाय। आज कार्य करने का युग है। केवल सरकार की निन्दा करने से ही न तो कोई दल बढ़ सकता है और न राजनीति ही बढ़ सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, ३३ लाख ८७ हजार रुपये के बारे में यदि वह प्रतिशत निकालेंगे तो रेवेन्यू एकाउन्ट का आधा प्रतिशत आता है। रेवेन्यू एकाउन्ट की रक़म का केवल आधा फ़ीसदी होता है। इससे मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक नीति कम से कम इस विषय में बहुत ही दृढ़ है। सोच-सोच कर इतनी मितव्ययिता के साथ पैसा खर्च किया जा रहा है कि बिना एक पैसा बढ़ाये अधिक से अधिक कार्य करने के लिये हमने केवल क़रीब पौने तीन करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया है।

श्री रामचन्द्र विकल (ज़िला बुलन्दशहर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज यहां इस बजट के मौक़े पर कुछ माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के लिये मिले। मैं भी दिल्ली के दामन में उस दूर क्षेत्र से यहां आया हूं जहां इस सरकार की निगाहें आज तक नहीं पहुंची हैं, जहां की समस्यायें इतनी जटिल हैं कि उनका सुलझाना बहुत जरूरी है और जहां गंगा और यमुना की त्रिवेणी के समान दो धारायें दृष्टिगोचर होती हैं, और जहां दिल्ली की सीमा पर बिजली की रोशनी रात को जलती है, वह क्षेत्र जहां से मैं आता हूं बिलकुल अंधेरे में पड़ा रहता है। सरकार की कोई योजना आज तक वहां नहीं पहुंच सकी है। २, ३ बातें अवश्य हुई हैं जो छोटी-छोटी हैं। एक अस्पताल, एक मामूली स्कूल वहां कायम किये जा सके। अस्पताल की इमारत के लिये रुपया मंजूर किया गया, लेकिन वह रुपया भी काम में नहीं आ सका, और सरकार की लौटाफेरी में ही रह गया, जिसको कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने इस बजट की बड़ी भारी खूबी बताया है और यह कहा कि सरकार ने कुछ रुपया दूसरे कार्यों से बचा कर और कार्यों के लिये रख दिया है। दुर्भाग्य से हमारा क्षेत्र भी उसी बात का शिकार हुआ है, जो बजट की सब से बड़ी खूबी बतलायी गयी है। और भी बहुत सी बातें हैं। मैं एक स्कूल की चर्चा कर रहा हूं कि सन् १९४६ ई० में सरकार की ओर से एक जूनियर स्कूल वहां क़ायम किया गया, उसकी इमारत के लिये एक पैसा भी नहीं दिया गया है।

दूसरी सब से बड़ी लानत जो हम पर पड़ती है वह यह है कि पश्चिम के ज़िले बहुत मालदार हैं और वहां अच्छे काम हुआ करते हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जो ध्यान पश्चिमी जिलों की ओर से बन गया है कि वहां केवल मालदार ही लोग रहते हैं और वहां सरकार के बहुत बड़े-बड़े काम होते हैं लेकिन जहां की बात मैं कह रहा

[श्री रामचन्द्र विकल]

हूं उस क्षेत्र में न तो सिंचाई के साधन हैं, न अस्पताल हैं, न तालीम का ही कुछ प्रबन्ध है और वहां की दशा प्रान्त के और हिस्सों से ज्यादा खराब है।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार जहां प्रान्त में कोई काम करे या कोई योजना बनाये तो मैं कहूंगा कि सरकार का ध्यान ऐसे क्षेत्रों की तरफ भी जाय जो शहरों से तथा सड़कों से दूर आबाद हैं। वहां पर सिंचाई के लिये नहर, ट्यूब वैल वगैरह कोई भी साधन नहीं है। हां, एक नहर जरूर निकलती है जिसके लिये बगैर आबपाशी किये हुये ही वहां के किसानों को तावान देना पड़ता है। वहां की नहर कटती है, न मालूम किन कारणों से कटती है लेकिन किसानों को तावान देने की परेशानी उठानी पड़ती है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी व्यापक योजनाओं में इस भाग को केवल इसलिये न छोड़ दे कि वह पश्चिम में है और वहां सरकार के काम होते ही हैं।

मैं कह रहा था कि सरकार अव्वल तो कोई मांग स्वीकार करती ही नहीं है और यदि कभी कोई मांग स्वीकार भी हो जाती है तो वह इस लैप्स की बीमारी से हमारा क्षेत्र उसका शिकार हो जाता है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां सरकार के बहुत से काम पिछड़े हुये हैं वहां मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं और जहां सरकार का ऐसे इलाक़ों की तरफ से उपेक्षा करना है वहां के लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना है। नेता जी विरोधी दल ने स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में केवल दो आपत्तियां की हैं एक तो उन्होंने यह आपत्ति की है कि सन् १९४६ ई० में २०,००० रुपया कलेक्टिव सबस्क्रिप्शन द्वारा एकत्रित किया गया था, वहां पर अभी तक चिकित्सालय नहीं बन पाया है। दूसरी उन्होंने एक स्थान के डाक्टर के चरित्र के सम्बन्ध में आपत्ति की है। इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि वह सही है। १९४६ में कलेक्टिव सबस्क्रिप्शन के द्वारा २०,००० रुपया प्राप्त हुआ है और अस्पताल बनाने का प्रयत्न भी किया गया है, लेकिन सब से बड़ी कठिनाई जमीन के सम्बन्ध में थी। इसलिये जमीन के बारे में प्रयत्न किया गया और बनारस के राजा साहब ने एक स्थान देने का बचन भी दिया लेकिन वह ऐसा स्थान था जहां तालाब के भरवाने की जरूरत थी और जिसमें व्यय भी काफी होने वाला था। इसलिये राजा साहब से कोई अच्छा स्थान देने के लिये प्रार्थना की गई और इस सम्बन्ध में जिलाधीश तथा अन्य कर्मचारियों को लिखा गया यदि अभी तक वहां पर स्थान मिल गया होता तो चिकित्सालय की इमारत कभी की खड़ी हो गयी होती। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उपयुक्त स्थान मिल सके और जैसे ही उपयुक्त स्थान मिल जायगा वहां पर चिकित्सालय के भवन का निर्माण प्रारम्भ करा दिया जायगा।

दूसरी आपत्ति जो उनकी एक डाक्टर के सम्बन्ध में थी वह यह थी कि डाक्टर के०सी० रायजादा के सम्बन्ध में यह अभियोग जरूर मिला। इस वक्त उनको अपने स्थान से हटाना जब कि जांच पुलिस के द्वारा हो रही है, उचित नहीं होगा। उनका बयान भी लिया गया है और सिविल सर्जन ने भी जांच की है। पुलिस की जांच की रिपोर्ट आने के बाद यदि उनको दोषी पाया जायगा तो अवश्य उस डाक्टर के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायगी। बाक़ी सब विभाग के सम्बन्ध में कोई विशेष बात माननीय सदस्यों की तरफ से नहीं कही गयी है। अभी विकल जी ने अपने क्षेत्र के बारे में कहा। सन् ४२ में जब कि उस क्षेत्र में किसी की नजर नहीं जाती थी, एक अस्पताल कायम किया गया है और एक डाक्टर वहां पर रहता है। जूनियर हाईस्कूल भी कायम किया गया है। गतवर्ष चिकित्सालय की इमारत बनवाने के बारे में कहा गया था, लेकिन यदि उसकी इमारत नहीं बनी है तो इसमें विकल जी की ही जिम्मेदारी है क्योंकि उन्होंने इसके लिये जमीन और कुछ रुपया दिलाने का वादा किया था लेकिन अभी तक न रुपया ही जमा हुआ और न स्थान ही लिया गया। जिस स्थान पर इमारत बनानी थी

उस स्थान की रजिस्ट्री होने में काफी समय लग गया। अब मैं जानता हूं कि दो तीन महीने हुये रजिस्ट्री हो गयी है। अब वहां पर इमारत बनने का प्रश्न विचाराधीन है जिसका इस साल के बजट में प्राविजन भी किया गया है। वहां की इमारत बनवाना इस साल अवश्य शुरू कर दिया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय माननीय परिपूर्णानन्द जी की बातों का जवाब देने में नहीं लगाना चाहता, इसलिये कि माननीय विकल जी की बातों को अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो वे अवश्य ही संतुष्ट हो गये होंगे। शायद हाउस में उस वक्त मौजूद न हों तो माननीय गोवर्धन जी का भाषण किसी जगह पढ़ लें तो उससे उनको इस बात की पुष्टि हो जायगी कि जो कुछ कहा गया है उससे उल्टा अर्थ सरकार के कारनामों का निकलता है। इतना मैं अवश्य स्वीकार करूंगा कि मैं उनकी विद्वता का कायल हूं और उन्होंने इस बजट को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है। उन्होंने बहुत से आंकड़ों को बताया लेकिन अगर मैं उनमें उलझूंगा तो दिक्कत हो जायगी और मैं अपनी बात न कह पाऊंगा। इतना मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि उन्हें हमको भ्रम में डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। उन्होंने उन मदों के बारे में कुछ नहीं बताया जो भारत सरकार से इस सरकार को प्राप्त हुईं। उन्होंने बताया कि ३५ लाख रुपया जो रेवेन्यू साइड से आया उसके अलावा बाक़ी रुपया बचत का रुपया है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हम ऐसी बचत नहीं चाहते जैसी कि माननीय विकल जी ने बतायी या जैसी कि गोवर्धन जी ने बतायीं। गोवेर्धन जी ने बताया कि मजदूर जो टेस्ट वर्क्स पर काम कर रहे थे उनको मजदूरी के लिये बार-बार सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ा और महीनों दौड़ने के बाद ही उनकी मजदूरी मिल पायी। हम इस प्रकार की बचत के लिये किसी प्रकार से भी तैयार नहीं हैं, चाहे तो पूरक बजट हो या मुख्य बजट हो। हमें यह देखना होता है कि इसमें देश के ग़रीब लोगों की ग़रीबी को दूर करने में वह मददगार हुआ है या नहीं। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के दिलाने में वह मददगार है या नहीं। लेकिन मैं देखता हूं कि यह २ करोड़ ७२ लाख रुपये का बजट इस प्रकार से उनका मददगार है, ऐसा कोई चिन्ह इसमें नहीं पाया जाता। यह ठीक है कि पूरक बजट पेश करने का जो तरीका पुराना था उसी पुराने तरीके से वह हमारे सामने पेश कर दिया जाता है। जब वह मेरे सामने आया तो मैंने आंख फाड़ फाड़ कर देखा लेकिन उसमें माननीय मुख्य मंत्री की जो पवित्र इच्छा है उसकी पूर्ति होती मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसी दिन फरमाया था कि हमारे उत्तर प्रदेश में बेकारी को दूर करने के लिये प्राथमिकता दी जायगी। उसके बाद ही सप्लीमेंट्री बजट आया लेकिन उसमें मैंने उनकी इच्छा को कहीं भी पूरी होते हुये नहीं पाया। बल्कि यह जरूर देखा कि हमारे प्रदेश में २० स्थानों पर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज थे उनमें से ९ को बंद कर दिया जायगा, केवल ११ उनमें से रहेंगे। वे एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज कितने लोगों को रोजी दिलाते थे, मैं इस बात का झगड़ा नहीं करना चाहता हूं मगर कम से कम जो क़दम बेरोजगारी दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार उठा रही है वह यही है कि २० एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में से ९ को बन्द कर रही है और ११ को रहने दे रही है। इसके अलावा दूसरी योजनाओं को जब मैं देखता हूं तो टेक्निकल इंस्टिट्यूट्स जिनमें कि पहले फीस नहीं लगती थी अब इस साल के सप्लीमेंटरी बजट में इस बात की गुंजाइश है कि उनके ऊपर भी फीस लगा दी जाय।

हां, यह बात मैंने जरूर देखी कि रेशनलाइजेशन और एफिसिएंसी सेक्शन लेबर डिपार्टमेंट जरूर खोलने जा रहा है और उसके लिये ६२ हजार रुपया खर्च होगा। इस ६२ हजार रुपये से टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्रीज में रेशनेलाइजेशन होगा। मुझे रेशनलाइजेशन का काफी अनुभव है और इसलिये मैं समझता हूं कि रेशनलाइजेशन के माने क्या हैं। आज जो हजारों आदमी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लगे हुये हैं, चाहे वे लक्ष्मी रतन काटन मिल के हों या स्वदेशी काटन मिल के हों, अगर वहां रेशनलाइजेशन किया जाता है तो इसके माने यही होंगे कि जितने आदमी निकाले गये हैं वे बिलकुल ठीक हैं। मैं समझता हूं कि अगर यही उद्देश्य इस रेशनलाइजेशन

[श्री गेंदासिंह]

का है तो मैं इस सदन से यही कहूंगा कि इस ६२ हजार रुपये की रक़म में से एक पाई भी मंजूर नहीं करना चाहिये। जहां तक मैं समझ पाया हूं, रेशनलाइजेशन का यही मतलब है। मुझे माननीय श्रम मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी यह बतलाने की कोशिश करें कि रेशनलाइजेशन के क्या माने हैं। इस एफिसिएंसी सेक्शन का काम इसके सिवा और क्या होगा कि वह लोगों को निकालने की योजना बनाये? एक तरफ तो यह बात है और दूसरी तरफ मैं कहीं नहीं देखता हूं कि सरकार बड़ी-बड़ी रक़म इकट्ठी करने वालों पर किसी मिल पर, किसी लखपती पर या किसी करोड़ पति पर ऐसा कोई टैक्स लेने का विचार कर रही है कि वह रुपया निकल कर ऐसे लोगों के हाथों में जाय जिनकी परचेजिंग कैपिसिटी बढ़े।

सरकार बजट पेश कर के माननीय परिपूर्णानन्द जी से यह कहलवा रही है कि हम उसे बधाई दें, हम क्यों बधाई दें? माननीय परिपूर्णानन्द जी हमें बता दें कि इस बजट में कितना हजार रुपया, २ करोड़ ७२ लाख में से लोगों को रोजी दिलाने के लिये रखा गया है। वे कह रहे हैं कि हम आवें तो वे कान में समझा देंगे लेकिन हम कान में समझने वाले नहीं हैं, हम सदन के सामने समझने वाले हैं। मैं तो इसको कई बार कह चुका हूं कि मैं देहात का किसान हूं, मैं किताबों के जंगल में नहीं जाना चाहता लेकिन अगर वे हमें समझा देंगे तो मैं उसे मान लूंगा। मैं सरकार को बधाई देने के लिये भी तैयार हूं। जहां तक सरकार ने किसानों को कर्जा दिया उसके लिये मैं उसे बधाई देने के लिये तैयार हूं। लेकिन मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी जैसे पढ़े लिखे से यह कहूंगा कि क्या कभी उन्होंने बिहार के अखबारों को नहीं पढ़ा है। बाढ़-पीड़ितों के सिलसिले में जो कुछ बिहार की सरकार कर रही है उसे आप देखने की मेहरबानी करें तो आपको मालूम हो जायगा कि वह इस कार्य के लिये कितना रुपया खर्च कर रही है। अगर उन्होंने इसे देखा होता तो वे कभी भी इस सरकार को बधाई देने के लिये नहीं कहते, क्योंकि सिर्फ ४ जिलों में उसके यहां बाढ़ है, उत्तरी बिहार के जिले हैं। मगर मैं समझता हूं कि जो सहायता वहां की सरकार बाढ़-पीड़ितों की कर रही है उनके मुकाबिले में यू० पी० सरकार की सहायता नहीं के बराबर है। चार चार आने आठ आठ आने मजदूरी देकर जो हजारों आदमी हमारे जिले में काम करने के लिये आते थे अभी १० दिन हुए कि वहां काम बन्द कर दिया गया है, जिससे ४ हजार आदमी बेरोजगार हो गये हैं। वहीं पर चार बालिश्त बाद के जो गांव बिहार के अन्दर हैं वहां बिहार सरकार १२ आने मजदूरी देकर काम करा रही है। तो यह मदद और सहायता जो कुछ बाढ़ से क्षति हुयी है उसके मुकाबिले में यू० पी० की सरकार ने क्या किया? इसकी चर्चा तो मैं बाद में करूंगा जब कि बजट आवेगा। इस समय समय नहीं है। इस समय जैसा कि माननीय राज नारायण जी ने कहा कि अगर उनको मालूम हो गया होता कि कहीं पर इस सरकार ने इस बजट में इस कार्य के लिये कुछ रकम रखी है, जिससे लोगों की क्रयशक्ति बढ़ने जा रही है, और गरीब लोगों को, थोड़ा पढ़े लिखे लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलने जा रही है तो हम धन्यवाद देते। धन्यवाद देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसा कि श्री अशोक मेहता ने कहा है कि एरियाज आफ एग्रीमेंट हो सकता है, तो हम तो एरियाज आफ एग्रीमेंट की बात सोचते हैं। इसलिये ऐसी बात के लिये माननीय परिपूर्णानन्द जी का सरकार को बधाई देने के लिये कहना मैं समझता हूं कि शोभा नहीं देता। मैं उनसे फिर बारबार इस बात का आग्रह करूंगा कि वे मेरी बात को छोड़ दें, माननीय राज नारायण जी की बात को छोड़ दें, माननीय गोवर्धन जी की बात को सुनें, माननीय रामचन्द्र जी विकल की बात को सुनें, और पार्टी के रंग को छोड़कर उनकी बातों को सुनें और देखें कि वे क्या कहते हैं। वह इशारा कर रहे हैं कि यहां आजाओ तो बतला दूं। मैं क्यों आऊं और अगर आऊंगा तो बड़ी मुसीबत हो जायगी। मैं तो सीधे-सीधे उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि शायद उन लोगों को माननीय परिपूर्णानन्द जी कभी-कभी

डाटते होंगे कि क्यों ऐसी बात सदन में कह दिया करते हो, जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिये। मेरे लिये क्या, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, मैं बहुत बेखौफ होकर बातें कहा करता हूं।

मैं आखिर में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अगर बेरोजगारी और बेकारी दूर करने की योजना ले आये तो एक करोड़, दो करोड़, पांच करोड़ और दस करोड़ रुपया खर्च करने की बात हो तो हम कहेंगे कि खर्च करो और उसके लिये उस वक्त हम सरकार को बधाई दे सकते हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जनाब स्पीकर साहब, एक शायर ने एक शेर कहा था। मैं आपकी इजाजत से इस मौके पर मेम्बरान को सुनाना चाहता हूं, इसलिये कि आज जो नक़शा बहस का मेरे सामने आया वह नकशा इस शेर में खिंच जाता है। वह शेर यह है।

'कासिद के आते-आते खत और लिख रखूं।
मैं जानता हूं कि जो वह कहेंगे जवाब में।।

अब इसे मैं मेम्बरान के ऊपर छोड़ दूंगा कि वह खुद अन्दाजा कर लें कि यहां जो कुछ हुआ और शायद जो कुछ अब करेंगे उनका सबका हासिल एक है।

जहां तक इन सप्लीमेन्टरीज का ताल्लुक है इस पर कुछ लीगल एतराज है कि कांस्टीट्यशन में जिस तरीके से सप्लीमेन्टरी लाने की इजाजत दी है उसकी जो धारा संविधान में है उसके मुताबिक यह नहीं है। मैं फायनेन्स सेक्रेटरी का एक नोट जो इन वालूम्स में है उसकी तीन लाइनें पढ़कर सुनाता हूं। उनसे यह मालूम होगा कि यह किस हद तक कानून के मुताबिक है:

"The demands included here are mostly for new items of expenditure for which no provision was included in the current year's budget and which are so urgent that thei rpostponement till the following year is considered undesirable."

मैंने जितनी तकरीरें सुनी हैं उनमें से किसी ने यह बात नहीं कही है कि ये स्कीम्स जो इस किताब में दी हुयी हैं जिन पर बहस हुयी है उनमें से कोई स्कीम ऐसी हैं कि उनको मुफीद नहीं समझा जाय और या उनको इस साल शुरू करने के बजाय अगले साल तक इन्तजार करना चाहिये। बेकार और बाकार की बात तो ऐसी है कि जो कायदे की बात हो वह भी बेकार कही जा सकती है और बेकायदे बात हो वह भी बाकार कही जा सकती है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, ऐसा किसने कहा? किसी ने भी एसा नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष---इस मौके पर सवाल तो आप नहीं कर सकते।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जितनी स्पीचेज यहां लिखी गयी हैं वे अभी मौजूद हैं और मैं पूरे यक़ीन के साथ कहता हूं कि मैं इसी वक्त हर एक तक़रीर से साबित कर सकता हूं कि किसी ने भी इस असेम्बली में ऐसा नहीं कहा है कि जो स्कीम इस में दी हुयी हैं वह मुफीद नहीं हैं या किसी ने भी उनकी तनकीद नहीं की है और अगर की है तो उन को छोड़कर बाकी जो हाउस है उसमें से हर एक मेम्बर के पास यह किताब मौजूद है वह उसको देखकर फैसला कर लें कि नोट में क्या लिखा है। मेम्बर साहबान देखें कि जो बिलकुल नयी स्कीम हैं उनको लाना संविधान की रू से जायज था और इस स्टेट को उनके इस वक्त न लाने से नुकसान होता। लिहाजा उस नुक़सान से बचने के लिये और संविधान के मुताबिक ही यह सप्लीमेन्टरी

[श्री हाफिमुब्राहीम]इहजम्मद

एस्टीमेट्स लाये गये हैं। मैं एक आम जवाब दे सकता था लेकिन जिन्होंने ज्यादातर एतराज किये हैं उन सबको एक जगह होने का मौक़ा है और उनके अलावा दूसर मेम्बर साहबान से मैंने कोई इस किस्म का एतराज नहीं सुना। हो सकता है कि उन्होंने अपने दिमाग को रिजर्व कर रखा हो इसलिये कि यह कोई मौजूं जगह नहीं है और यहां उनके करने से कोई पब्लिसिटी नहीं हो सकेगी, लिहाजा उन्होंने उसको यहीं कर दिया।

दो तीन बातें खास कही गयीं और जिनकी निस्बत मैं एक आम बात अर्ज करता हूं कि इस बहस के सिलसिले में उनके कहने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वे बातें ग्राण्टवाइज बहस में लाई जा सकती थीं, लेकिन चूंकि वह कह दी गई हैं इसलिये मैं उन की निस्बत कुछ अर्ज करता हूं। मसलन यह कहा गया कि रामपुर में नवाब रामपुर की कुछ जमीन सरकार के पास है। वह इस सरकार ने नहीं ली है, बल्कि किसी पिछली सरकार ने २० साल के लिये उसको ठेके पर लिया था और उसी सरकार के जमाने में उसके ऊपर इमारत बन गयी थी और उनको हक़ था कि इतने दिनों का नोटिस देकर वह कह देंगे कि सरकार अपनी इमारत हटा ले। उसके बाद नवाब साहब रामपुर ने नोटिस दे दिया और इस वक्त सरकार की हजारों रुपये की इमारत उस जमीन पर खड़ी हुई थी, उनसे मामला तय किया गया कि वह इमारत उस जमीन पर रहे और इसमें वक्त लगा। १८ महीने का वक्त शुरू से आखिर तक इन नेगोशियेशन्स में लगा। यह दूसरे शख्स की जबान पर था कि सरकार को आइन्दा वह हक रहे या न रहे जो अब तक उसको उस जमीन पर था और वे मान गये। इस से ज्यादा मैं और इस सिलसिले में नहीं अर्ज करना चाहता। एक बात यह कही गयी कि बनारस के संस्कृत कालेज की लाइब्रेरी के लिये केटे लागिंग के वास्ते रुपये की जरूरत थी और उसके लिये किसी मौके पर नरेन्द्रदेव जी ने कहा था। उसके लिये गवर्नमेंट ने कुछ रुपया दिया था। कहा गया कि वह रुपया उस मक़सद पर खर्च नहीं हुआ, बल्कि उसको वापस ले लिया गया, यह बात बिलकुल ग़लत है।

एक सदस्य—यह किसने कहा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—एक साहब जो सामने बैठते हैं उन्होंने कहा था और मैंने सुनकर अपने सामने नोट कर लिया था। बनारस संस्कृत कालेज के मुताल्लिक उसकी लाइब्रेरी के वास्ते कैटेलागिंग के लिए रुपया दिया गया और वह बिलकुल उसी मक़सद के ऊपर खर्च किया गया।

दूसरी बात एक कही गई थी जौनपुर में जो वहां कोई इंस्टीट्यूशन है उसी की प्रेमिसेज के अन्दर, अहाते में, उसके किसी साहब का एक रेस्ट्रां है। वहां, और जो मेरा इल्म है वह यह है कि जो उसके मालिक हैं वह वहां की मुकामी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं। वहां के टीचर्स ने अपने सालाना जलसे में, जो कि यूनियनों और एसोसियेशनों का मुख्तलिफ सर्विसेज का, एन्युअल जलसा होता है, वैसे ही टीचर्स ने अपनी सर्विसेज का सालाना जलसा वहां किया, कहीं उस इंस्टीट्यूशन में, उस जलसे में, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर साहब को दावत दी थी कि आप उसका उद्घाटन करें। यह उसका उद्घाटन करने के लिए तशरीफ ले गये थे। जिस रोज रात को वे वहां पहुचे, जौनपुर, तो मालूम हुआ कि उन सेक्रेटरी साहब की तरफ से उनके खिलाफ एक गलत प्रोपोगंडे का पैम्फलेट छपा हुआ है, वह तकसीम हो रहा है और सुबह वह वहां तकसीम होगा। उसकी इत्तिला जब उन लोगों को हुई जिनका कि एसोसियेशन था तो उन्होंने तहकीकात की और इसे सही पाया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा जलसा खत्म नहीं होता तब तक आप यहां नहीं बैठ सकते और इस काम को हम नहीं करने देंगे कि इस किस्म का

प्रोपेगंडा इस मौके पर आप करें। इसके बाद फिर वही रेस्ट्रां है वहां और फिर कोई और किसी किस्म की बात पैदा नहीं हुई। यह वाकयात भी मेरे खयाल में सही नहीं थे। हमारे दोस्त बनारस के स्पीकर साहब थे, मेम्बर हैं, हमारे गुप्ता जी को उन्होंने कुछ मशविरे दिये। उन मशविरों के मुताल्लिक तो मैं सिर्फ यह जवाब दिये देता हूं कि मैं उन मशविरों को जाचूंगा और उसमें जिस-जिस बात को इस काबिल समझूंगा कि उन पर अमल किया जाय, उनके ऊपर अमल करूंगा।

एक अभी शिकायत हो रही थी बिजली की पहाड़ों में, पानी की भी शिकायत थी। पानी की शिकायत के मुताल्लिक, खैर, मेरा यह कहना तो गलत होगा कि मैं उससे डाइरेक्टली कन्सर्न्ड नहीं हूं और मैं उसका जवाब देने का जिम्मेदार नहीं हूं। जरूर जिम्मेदार हूं मैं उसका जवाब देने का, मगर इस वक्त जो कुछ इस सिलसिले में वहां हो रहा है उसकी पूरी मालूमात इस दौरान में जो कि उनकी तकरीर में और मेरी तकरीर में गुजरा है, मैं मंगा नहीं सका हूं, लेकिन बिजली की भी शिकायत थी। तो बिजली के मुताल्लिक मैं आपकी इजाजत से बतला देता हूं चन्द लफ्जों में कि यह-यह हो रहा है। आगे के लिए वह इरशाद फरमा रहे थे कि यह-यह वहां होना चाहिए। बागेश्वर और गरुड़, ये दो मुकाम हैं वहां। इन दो जगहों में बिजली का इन्तजाम हो रहा है। बागेश्वर के लिए जो वहां का पावर प्लांट है उसके लिए आर्डर जा चुका है और वहां पर लाइन इस वक्त भेजी जा रही है जिसका काम जारी है। नैनीताल, भुवाली, रानीखेत, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर इनके लिए ६८ के० वी० लाइन इस वक्त लगाई जा रही है, बरेली से वहां पर लाइन पहुंचाने के लिए।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--शहरों के लिए हो रहा है, देहातों के लिए नहीं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जब लाइन चलती है एक मुकाम से दूसरे मुकाम को तो उसके रास्ते में गांव हमेशा आते हैं और उन गांवों के अन्दर बिजली पहुंच जाती है। यहां इस तरह से देख लिया जाय कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जब बिजली जाती है तो उसके रास्ते में गांव किस तरह से आ जाते हैं। तो उसके मुताल्लिक भी कोई ऐसी शिकायत की बात नहीं है। एक तजवीज यह पेश हुई, यानी सुझाव दिया गया और कोई रेजोल्यूशन भी उसके मुताल्लिक आने वाला है कि सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल्स बनाये जा रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सा रुपया खर्च किया जा रहा है, यह एक गलत तरकीब है। मुनासिब यह है कि किसी मुर्करिरा रकबे पर कि इतने एकड़ पर एक कुवां पक्का, जैसे कि हमारे होते हैं, बना दिया जाय और उससे आबपाशी कराई जाय। जिन मेरे दोस्त ने यह तजवीज बनाई है उन्होंने शायद इतनी तकलीफ गवारा नहीं की और अगर की है तो शायद वह सही नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अगर वह मेरे पास आने की तकलीफ करेंगे तो मैं उनको पूरे तौर से इस बात को समझा दूंगा कि अगर हम इस उसूल को मानें कि आबपाशी का खर्चा किसी जमाने में उतना होना चाहिये जितना कि कम से कम हो सकता है तो एक उसूल है आबपाशी का, उसके मातहत यह नहीं कि वह चार पैसा हो या दो पैसा हो, बल्कि जितने तरीके दुनिया में रायज हैं आबपाशी के उनमें जो सही हो बनिस्बत दूसरे के तो हमेशा उसको अख्तियार किया जाना चाहिये। मैं यकीन दिलाता हूं अपने दोस्त को, जैसा कि मैंने अर्ज किया, मैं उनको समझा दूंगा कि किसी कुवें को खोद कर वैसे आबपाशी करने और एक ट्यूबवेल जो लगा हुआ है उसके जरिये आबपाशी देना और जितने रकबे को वह सींचता है उसके हिसाब से कुवें बनवा कर उन दोनों के खर्चे का मुकाबला किया जाय तो एक और तीन का आप फर्क पायेंगे। लिहाजा जो स्कीम कि इस वक्त यहां तकरीर में बयान की गयी वह तो किसी तरीके से किसी मुल्क के वास्ते आर्थिक नहीं समझी जा सकती, एकोनामिक नहीं हो सकती है और उसके अख्तियार करने के मशविरे को कम से कम इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वह तो शायद मजबूर है, आइन्दा जो कोई भी आवे उसको मंजूर कर ले। उसकी निस्बत मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकूंगा।

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

जेल की बाबत कहा गया । एक बात मैंने बड़ी अजीब सुनी। अजीब क्यों कहूं बड़ी दिलचस्प, वेरी इंटेरेस्टिंग कि जब हम गये जेल अंग्रेजों के जमाने में तब तो हमने वहां आराम पाया और अब गये हम जेल तो हमने वहां तकलीफ पायी। आज मैं जनाब से अर्ज करूं बड़े अदब के साथ और मेम्बरान की खिदमत में अर्ज करूं कि एक वफ़द यहां के मेम्बरान का बनाया जाय, दो चार, पांच मेम्बरान का, और जितनी जेल यू० पी० में हैं उन सब में उनको घुमाया जाय। मैं यह नहीं कहता कि पहले कायदा यह था और अब यह है, अगर यह कहता तो उसकी निस्बत यह कहा जा सकता था कि काग़ज़ पर लिख रखा होगा, मौके पर अमल नहीं होने पाया है। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि न्यूटरल आदमियों का एक वफ़द घुमा दिया जाय। वह जाकर देखे कि वहां क्या हो रहा है। वहां के कैदियों से दरियाफ्त करके आयें कि उन्हें क्या तकलीफ है। मेरे नज़दीक तकलीफ जिस चीज़ का नाम है वह रही नहीं है और मफ़कूद होती जाती है। इसलिए कि मत्मये-नज़र यानी दृष्टिकोण इस गवर्नमेंट की जेल की पालिसी का यह है कि इनको तकलीफ और दुःख देकर के लोगों को बदलना नहीं है, बदल नहीं सकते हैं, बल्कि अच्छी शिक्षा देकर, आराम देकर, इनको इस तरफ मुत्वज्जह करके कि क्रिमिनलिटी बुरी बात है उसको छोड़ें, इस दृष्टिकोण से काम कराया जाता है।

हां, मैं अर्ज करता हूं कि एक शख्स को जरूर वहां तकलीफ होगी, अगर वह जेल जाय। तो शायद मेरे दोस्त जिन्होंने यह कहा उनका यह केस हो। वह जो तकलीफ होगी वह है दिमागी तकलीफ। उसको कोई दूर कर नहीं सकता है। एक साहब जेल जायं, उनके दिमाग़ को यह तकलीफ हो कि "हाय, देश के आज़ाद होने के बाद आज भी मैं भेजने वालों में नहीं हूं आने वालों में हूं।" इसकी तक़लीफ दिमाग़ को ज़रूर हो सकती है। वह हुई होगी। उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। बाकी वहां और कोई तकलीफ हो, इसको मैं नहीं मानता। यह कहा गया कि औरतों की एक जेल बननी तजवीज़ है। मिनिस्टर साहब जो हैं उनका फरमाना तो यह है कि जेल हों ही न। अगर सब आदमी नेक हो जायं, किसी को जेल भेजने की ज़रूरत न रहे तो यह बाअसे ख्वाहिश है। बावजूद इस ख्याल के एक तरफ तो लखनऊ में एक बहुत बड़ी जेल बनाई जा रही है और एक तरफ औरतों की जेल बन रही है। यह सही है, इसलिये कि हमने देखा, जैसा कि औरों को सब को मालूम है, कि इस सूबे की जेलों में जो लोग रहते हैं, हालांकि उनमें औरतें कम रहती हैं, फिर भी लाज़िमी है उनको मर्दों के साथ रख नहीं सकते, उनके रहने के लिये और जगह बनी हुई है। वह एक तनहाई के अन्दर अजीब तकलीफ में ज़िन्दगी गुजारती हैं। इसलिये यह लाजिमी हो गया कि एक अच्छे आराम की जेल बना कर सब के लिये इन्तजाम कर दिया जाय और औरतों को वहां रखा जाय ताकि वे एक दूसरे की सोसाइटी में रहें और उनको उस किस्म की बातों का अहसास न हो जिनका कि तनहाई में अहसास होता है। तो यह तो सिर्फ औरतों को आराम पहुंचाने के लिये इस बात को अख्तियार किया गया, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर एतराज़ किया जा सके।

मैंने यह भी सुना कि मेरे बुजुर्ग दोस्त श्री गोपालनारायण जी सक्सेना जेल में गये थे उनको तकलीफ हुई। क्या तकलीफ हुई यह नहीं सुना। जहां तक मुझे इल्म है गवर्नमेंट ने भी नहीं सुना। न इस तरह की कोई बातें गवर्नमेंट की नोटिस में लाई ही गईं कि क्या तकलीफ हुई। मैं बड़ी खुशी से उन कहने वाले दोस्त को दावत देता हूं कि वह उन तकलीफों को बतलायें, जेल मिनिस्टर साहब से मिल लें या हमारे पन्त जी से मिल लें और उन्हें बतलायें कि यह-यह गलत बातें हुई हैं। वैसे मुझे तो यकीन है कि यह हुआ ही नहीं। ग़लत अफवाहों पर खयाल कायम कर लेना यह तो दूसरी बात है। लेकिन अगर वाकई किसी को यकीन है कि ऐसा हुआ तो हम उन बातों को जानना चाहेंगे और हम

उसे कभी गवारा नहीं कर सकते। हमने, हुजूरवाला, जेलें इसलिये नहीं बना रखी थीं कि अगर कोई दूसरी पार्टीवाला किसी किस्म की कार्रवाई करेगा तो हम उसे तकलीफ देंगे। उसको तो मेरे नजदीक कहने से पहले जो साहबान यह चाहते हैं कि इस किस्म की बात न हो उनको गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिये था। वह गवर्नमेंट से कहते, जेल मिनिस्टर साहब से कहते और फिर मालूम होता कि यह बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है।

मेरे किसी दोस्त ने यह कहा कि कोई वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हैं या क्या हैं, मैं ठीक समझा नहीं, उनके पुलिस ने हथकड़ी डाली। उसके बाद आप कहते हैं और वह किस्सा टूटा इस बात पर कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनके लिये कार भेजी, कार में उनको बिठाया गया और वे कार में वहां पहुंचाये गये जहां कि उनको ले जाने वाले थे। कहां तो एक आदमी उनके हाथों में हथकडियां डाले हुये था और पुलिस का कांस्टेबिल घसीटता हुआ चला जा रहा था, कहां उनको कार में बिठला कर के पहुंचा दिया गया! इससे आप सब अन्दाजा कर सकते हैं कि इस स्टोरी में कहां तक सच्चाई है। मैं अर्ज करूं कि आदमी दुनिया में बदनियती भी करता है, आदमी दीदोदानिश्ता ऐसे काम करता है जिनके लिये यह समझा जा सकता है कि वह काम बद-नियती से किये गये हैं। मुमकिन है कि किसी ग़रीब कांस्टेबिल की समझ में न आया हो और उसने यह कार्यवाही कर ली हो, लेकिन ज्योंही वे इस गवर्नमेंट के हायर अथारिटीज के सामने आये, वह बात बाक़ी नहीं रही, तो क्या वह ऐसी बात हो सकती है कि उसकी इस ऐवान में आ करके शिकायत की जाय। मेरे नजदीक यह चीज उस दर्जे की नहीं है। जो चीज जिस दर्जे की हो, उसको उसी दर्जे पर रखना चाहिये, उसको उससे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

एक बात यह कही गयी कि सड़कों के प्रोग्राम में दूसरी सड़कों को लेते रहते हैं। जिन साहब ने इस बात को कहा वह तो चले गये हैं। तो क्या मैं इस बात को छोड दूं और इसमें हाउस का वक्त खर्च न करूं ?

एक हमारे दोस्त ने यह सजेशन किया कि स्टेट डिपार्टमेंट एबालिश कर दिया जाय। उसकी जो हिस्ट्री बयान की, किसी आदमी को, जिसको जरा भी तहजीब का खयाल हो, दिक्क़त भी होती है कहते हुये, और जी नहीं चाहता है कहते हुये कि एक ग़लत हिस्ट्री बयान कर दी और यह कह दिया महबूब आलम स्टेट आफिसर थे। कोई महबूब आलम इस गवर्नमेंट में स्टेट आफिसर नहीं रहे। लाल सिंह एस० ए० डी० में एक असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, वह थे स्टेट आफिसर। जो यह समझा गया है कि स्टेट डिपार्टमेंट के पास सिर्फ मेम्बरों के मुताल्लिक काम है, यह बात ग़लत है।

श्री अध्यक्ष---अब दो ही मिनट रह गये हैं। मैं वक्त की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---मैं दो मिनट में ही यह बात ख़त्म कर दूंगा। स्टेट डिपार्टमेंट का काम सिर्फ मेम्बरों के मुताल्लिक़ नहीं है। जितने काम उसके पास हैं उनके अलावा उनके पास और काम आ रहे हैं जिनको इस डिपार्टमेंट से कराना है और जो किसी और डिपार्टमेंट से नहीं हो सकते हैं। आज लखनऊ से बाहर जो गवर्नमेंट ने अपने दफ्तरों के लिये कहीं इमारतें बनायी हैं, वह १४ हजार गवर्नमेंट के पास इमारतें हैं इस वक्त कि जिनका ऐडमिनि-स्ट्रेशन गवर्नमेंट को मुस्तकिल तौर पर करना है। वह इमारतें अभी और बढ़ रही हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम तो सिर्फ यह है कि वह बना दे। उनके पास बनाने का इतना काम है कि वह उसी से नहीं निकल सकते हैं और असेम्बली डिपार्टमेंट को तो उससे कुछ वास्ता ही नहीं है उन इमारतों के इन्तजाम से जो सरकार की इमारतें हैं। जितना मेम्बरों के मुताल्लिक़ काम है, इनके पास तो ज्यादा से ज्यादा वही आ सकता है। और उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करूं कि इस सिलसिले में दो तीन दफा यहां सवालात हुये और उन सवालात के जवाब में मैंने कह दिया कि यह काम तो खुद असेम्बली डिपार्टमेंट ने छोड़ा। उसके बाद गुफ्तगू भी हुई लेकिन असेम्बली डिपार्टमेंट लेने के लिये तैयार नहीं हुआ। तो य बात दूसरी है कि जो मेम्बरों का काम है

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

वह अलग कर दिया जाय लेकिन यह कि स्टेट डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है यह बात ग़लत है। उसकी मुस्तक़िल जरूरत है, जरूरत बढ़ती जा रही है और जरूरत बढ़ती जायगी जितनी कि इमारतें बढ़ती जा रही हैं। अब ५ पर सुई आ गई लिहाजा मैं माफी मांगता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं बनारस के बारे में माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन कर दूं कि मैंने यह नहीं कहा कि रुपया वापस ले लिया, मैंने यह कहा कि जिस प्रकार रुपया खर्च होना चाहिये था वह खर्च नहीं हुआ।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मैंने कहा था कि खर्च हो गया।

श्री राजनारायण---जरा सुन लीजिये। जिस तरीक़े से खर्च होना चाहिये था उस तरीक़े से खर्च नहीं हुआ। जब छपाने का समय बीत गया तब तक कैटेलागिंग की छपाई नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष---अब कोई नई चीज ऐड नहीं कीजिये। जो कहा था वही कहिये।

श्री राजनारायण---कैटेलागिंग के लिये रुपया मंजर हुआ था, लेकिन उसकी छपाई नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष---यह चीज आपने नहीं कही थी, यह नई चीज आप ऐड कर रहे हैं। यह बात सही है कि आपने यह नहीं कहा था कि सरकार ने रुपया वापस ले लिया ?

श्री राजनारायण---जी हां।

(इसके बाद सद ५ बज कर १ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२३ दिसम्बर, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३३ पर)

जून तथा जुलाई, १९५३ में हिण्डन वैरियर गाजियाबाद से यातायात की हुई चने तथा उसके बने हुये पदार्थों की राशि का नकशा

क्रम संख्या	परमिट होल्डर का नाम	पता	पदार्थ	मात्रा		
१	२	३	४	५		
		मई, १९५३				
				मन	सेर	छ०
१	श्री आशा राम	गांव पसौंडा	चना	२	०	०
२	,, आनन्द	,, ,,	,,	२	०	०
३	,, बलराज सिंह	,, बिपलनपुर	,,	१	०	०
४	,, गंगा सिंह	,, अर्थला	,,	२	०	०
५	,, शिवचरन	,, करहड़ा	,,	२	०	०
६	,, गेंदा	,, ,,	,,	१	०	०
७	,, सेमा	,, बहारा हिजीपुर	,,	२	०	०
८	,, शिव राम	,, ,,	,,	२	०	०
९	,, अब्दुलसलाम	,, ,, ,,	,,	१	०	०
१०	,, राम निवास	,, ,, ,,	,,	२	०	०
११	,, अलाउद्दीन	,, पसोंडा	,,	१	०	०
			योग	१८	०	०
		जून, १९५३				
१	श्री विमल	गांव पसोंडा	चना	२	०	०
२	,, गोपीनाथ	,, ,,	,,	२	०	०
३	,, भानू	,, रिसलख	,,	१	१०	०
४	,, गेंदा	,, ,,	,,	१	१०	०
५	,, टेक चन्द	,, निसतोली	,,	२	०	०
६	,, रामचन्द	,, ,,	,,	२	०	०
७	,, नरेन्द्र नाथ	,, ,,	,,	०	२०	०
८	,, शिवलाल	,, कदेंरा	,,	२	०	०
९	,, राम दीन	,, रामशुन्द	,,	२	०	०
१०	,, विहारी लाल	,, फरक़नगर	,,	२	०	०
११	,, करम सिंह	,, कन्देरा	,,	२	०	०
१२	,, चन्दर सिंह	,, ,,	,,	२	०	०
१३	,, लक्ष्मन	,, पसोंडा	,,	२	०	०
१४	,, हबीब अहमद	,, ,,	,,	२	०	०
१५	,, राजकुमार	,, ,,	,,	२	०	०
१६	,, बनवारी लाल	,, ,,	,,	२	०	०

लोकसभा सचिवालय प्रकाशन

क्रम-संख्या	परमिट होल्डर का नाम	पता	पदार्थ	मात्रा		
१	२	३	४	५		
				मन०	सेर०	छ०
१७	श्री नानक चन्द	गाँव असालतपुर	चना	२	०	०
१८	,, रामफल	,,	,,	२	०	०
१९	,, रामनन्द	गाँव फरक़नगर	,,	२	०	०
२०	,, अम्बे प्रसाद	,,	,,	२	२०	०
२१	,, बलदेव राम	गाँव करकारा	,,	१	३०	०
२२	,, गोकुल	गाँव निसतोली	,,	१	१०	०
२३	,, बाचू	,,	,,	२	०	०
२४	,, साजन सिंह	गाँव पसोंदी	,,	२	०	०
२५	,, देवी सहाय	,,	,,	२	०	०
२६	,, मंगाराम	,,	,,	२	०	०
२७	,, नन्द राम	,,	,,	२	०	०
२८	,, मुंशिफ अली परधान	,,	,,	१	२०	०
२९	,, पोस्ट मास्टर	,,	,,	१	२०	०
३०	,, भारत लाल	,,	,,	१	२०	०
३१	,, सूरज भान	,,	,,	२	०	०
३२	,, राम गोपाल	गाँव फरक़नगर	,,	२	०	०
३३	,, राम लाल	,,	,,	२	०	०
३४	,, चरन सिंह	गाँव शाहाबाद	,,	२	०	०
३५	,, बलवीर सिंह	गाँव कन्दरा	,,	२	०	०
			योग ..	६५	०	०

जुलाई, १९५३

१	श्री खेमा माली	गाँव फरक़नगर	चना	२	०	०
२	,, आनन्द प्रकाश	,,	,,	२	०	०
३	,, राम रिक	गाँव निसतोली	,,	२	०	०
४	,, राम चन्द्र	,,	,,	२	०	०
५	,, राम भरोसे	,,	,,	२	०	०
६	,, इस्माइल	,,	,,	२	०	०
७	,, हाफिज	गाँव पसोंडा	,,	२	०	०
८	,, अलादीन	,,	,,	२	०	०
९	,, सखर	,,	,,	२	०	०
१०	,, शंकर लाल	गाँव फरक़नगर	,,	२	०	०
११	,, सचारू	,,	,,	२	०	०
१२	,, सुखवीर	गाँव पसोंडा	,,	२	०	०
१३	,, श्यामा	गाँव सेवाशहाजापुर	,,	२	०	०
१४	,, मामचंद	गाँव निसतोली	,,	२	०	०
१५	,, हबीब	,,	,,	२	०	०
१६	,, भारत	,,	,,	२	०	०
१७	,, बनवारी लाल	गाँव पसोंडा	,,	२	०	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	परमिट होल्डर का नाम		पता	पदार्थ	मात्रा मन	सेर	छ०
१	२		३	४	५		
१८	श्री हरद्वारी लाल	गांव	पसोंडा	चना	२	०	०
१९	,, जुम्मा	,,	,,	,,	२	०	०
२०	,, आनन्द	,,	फरक्कनगर	ग्राम दाल	२	०	०
२१	,, अभय राम	,,	पसोंडा	चना	२	०	०
२२	,, मुनसुफ अली	,,	,,	,,	२	०	०
२३	,, राम निवास	,,	,,	,,	२	०	०
२४	,, सुरजा	,,	,,	,,	२	०	०
२५	,, रूप चन्द	,,	सलेसा बाजपुर	,,	२	०	०
२६	,, रामबाल	,,	,,	,,	२	०	०
२७	,, जगदीश चन्द्र	,,	झंडापुर	,,	२	०	०
२८	,, श्यामा	,,	सलेसा बाजपुर	,,	३	०	०
				योग	५६	०	०
२९	श्री प्रकाश दाल मिल्स, आगरा परमिट संख्या १०६/९, दिनांक १-७-५३		आगरा से देहली को	ग्राम दाल	१५०	०	०
३०	परमिट संख्या १२१, दिनांक १३-७-५३		,,	ग्राम	एक ट्रक		
३१	परमिट संख्या ९/१५५, दिनांक २४-७-५३		,,	,,	१५०	०	०
३२	परमिट संख्या ९/१६७, दिनांक २८-७-५३		,,	,,	एक ट्रक		
३३	परमिट संख्या ५४/२३७, दिनांक ११-७-५३		उरई से देहली को	,,	४००	०	०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०७ एल० ए०-१९५४—८५० ।